

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2017—ज्येष्ठ 19, शक 1939

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्र. ई.-5-733-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 22 से 27 मई 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-870-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 15 से 26 जून 2017 तक, बाहर दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अविनाश लवानिया की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार श्री मनोज सरयाम, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अविनाश लवानिया द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज सरयाम उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2017

क्र. ई.-1-154-2017-5-एक.—श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993) पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री नीरज मंडलोई द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2017

क्र. ई.-5-816-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 11 से 22 अगस्त 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-867-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री प्रवीण सिंह अध्यक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीण सिंह अध्यक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2017

क्र. ई.-5-858-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयुक्त, नगरपालिक निगम, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. ई.-5-607-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार

गृह निगम को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक, छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 25, 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 10 से 22 जुलाई 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-996-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एस. कुलेश, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 22 से 27 मई 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश

स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 तथा 28 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर बी. एस. कुलेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. एस. कुलेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि बी. एस. कुलेश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

No. F-5-560-IAS-leave-5-One.—Sanction is hereby accorded to Shri Mohammed Suleman, IAS (1989) Principal Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Commerce, Industry and Employment Deptt. & Science and Technology Deptt. to avail Ex-India earned leave of 12 days from 03<sup>rd</sup> July 2017 to 14<sup>th</sup> July 2017 along with permission to prefix/suffix gazetted holidays falling on 02<sup>nd</sup> July 2017 and 15<sup>th</sup> and 16<sup>th</sup> July 2017, to visit England and France.

(2) On return from leave Shri Mohammed Suleman, IAS (1989) is again posted as Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Commerce, Industry and Employment Deptt. & Science and Technology Deptt. until further orders.

(3) Shri Mohammed Suleman will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as he was getting before proceeding on leave.

(4) It is certified that had Shri Mohammed Suleman not proceeded on leave, he would have continued on his present post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त, सह-संचालक, संस्थागत वित्त को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा दिनांक 11 से 25 मई 2017 तक पद्धति दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 22 मई से 3 जून 2017 तक, तेरह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा अनुसार यथावत्।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2017

क्र. ई.-5-980-आयएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला इन्डौर को नीचे दर्शाए गये विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 21 मार्च से 1 अप्रैल 2017 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश (कार्योंत्तर).
2. दिनांक 10 से 22 अप्रैल 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश (कार्योंत्तर) उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 तथा 23 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पर पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2017

क्र. ई.-5-1009-आयएस-लीब-5-एक.—श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2017 द्वारा दिनांक 15 से 19 मई 2017 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14 एवं 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था। एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2017

क्र. एफ 1 (बी) 159-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	श्री संजीव कुमार पाण्डेय, 117-कृष्ण नगर कालोनी, सतना रोड, अमरपाटन, जिला सतना, मध्यप्रदेश-485775.	गवालियर
2	02	सुश्री कल्याणी पाण्डेय, इ. एन. 1/27 चार इमली, आई. ए. एस. गेस्ट हाउस के पीछे, भोपाल, मध्यप्रदेश-462016	उज्जैन
3	03	सुश्री सौम्या अग्रवाल, 60, ग्लोबस ग्रीन कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल, मध्यप्रदेश-462036.	राजगढ़
4	04	श्री त्रिलोचन गौड़, गुदावले, सदरबाजार, कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश-473770.	रीवा
5	05	सुश्री श्वेता गुप्ता सुश्री श्वेता गुप्ता D/0 हरीचरण गुप्ता, गुरुद्वारे के सामने, बड़े पुल के पास ए. बी. रोड, कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश-473770.	रायसेन

(1)	(2)	(3)	(4)
6	09	श्री अक्षय सिंह मरकाम, 517/ए, सुदामा नगर, शिव मंदिर चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश-452009.	जबलपुर
7	10	सुश्री अनिता द्विवेदी, ई.डब्ल्यू.एस.-568, सरस्वती नगर, एलआईजी ग्राउण्ड के पास, जवाहर चौक, भोपाल, मध्यप्रदेश-462003.	भोपाल
8	11	श्री योगेन्द्र सिंह, हाउस नं.-77, C/o रिसाल सिंह सेंगर, ग्राम व पोस्ट, करतल, तहसील-नैनी, जिला बांदा, उत्तरप्रदेश-210129.	टीकमगढ़
9	12	श्री आशुतोष द्विवेदी, 123 विस्णुपुरी, वर्धमान बॉयज हास्टल, रुम नं.-105, भंवरकुंआ चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश-452001.	छिंदवाड़ा
10	13	सुश्री पूजा शर्मा, मारुति सुजुकी शोरूम के पास, भोपाल बायपास, ब्यावरा, राजगढ़, मध्यप्रदेश 465674.	झाबुआ
11	14	श्री पियूष कुमार मिश्रा, म. नं.-123, वर्धमान होस्टल, रुम नं.-311, विष्णुपुरी मेन, भंवरकुंआ चौक, मध्यप्रदेश-452001.	सागर
12	16	सुश्री अमृता गर्ग, शिवकालोनी, गली नं.-05, सिद्धार्थ नगर, पोस्ट-बिरला विकास, सतना, मध्यप्रदेश-485005.	छतरपुर
13	17	श्री सुमित अग्रवाल, म. नं. 318, राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश-473551.	मुरैना
14	18	श्री राजीव पाठक, म. नं. 105, सिटी कोतवाली के बाजू से, दरहाई रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482002.	रीवा
15	19	सुश्री सुरभि मीना, एल. आई. जी.-99, गायत्री किराना, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश-461001.	पन्ना
16	20	श्री कर्णिक श्रीवास्तव 190, कटरा वार्ड, इटावा, बीना जिला सागर, मध्यप्रदेश-470113.	बालाघाट
17	21	श्री तुषार सिंह, आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह परियोजना प्रशासक बंगला, वार्ड क्र. 13, जनपद पंचायत कार्यालय के पीछे, जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश-484771.	जबलपुर
18	22	सुश्री अपूर्वा किलेदार, एफ-205, रॉयल प्लॉटिनम, बाम्बे हॉस्पिटल के पास, विजयनगर, इंदौर, मध्यप्रदेश-452010.	मण्डला

(1)	(2)	(3)	(4)
19	23	श्री नीतेश पटेल, डी-68, शालीमार सेवन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश-462026.	होशंगाबाद
20	24	श्री सौरभ कुमार, C/o राजेश कुमार, 20 ब्लॉक, शुभविहार के पीछे, शिवानंद नगर, सेक्टर-3, पोस्ट-गुद्धियारी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़-492011.	कटनी
21	25	श्री मोतीलाल कुशवाहा, C/o डॉ. देवेन्द्र सिंह, बैंक कॉलोनी, गली नं. 02, बरहुत नगर, सतना, मध्यप्रदेश-485001.	बैतूल
22	26	सुश्री अदिति भावसार, पुराना सिंडिकेट बैंक के पास, गांधी नगर, इटारसी, मध्यप्रदेश-461111.	भोपाल
23	28	श्री जितेन्द्र सिंह जाट, ग्राम खरगावली, पोस्ट पठारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश-464551.	विदिशा
24	29	सुश्री मंजू चौहान, जूनियर एम. आई. जी. 3, रामायण कॉम्प्लेक्स, गौतमनगर, भोपाल, मध्यप्रदेश-462023.	सीधी
25	30	सुश्री हिमाली सोनी, मानस मंडल के पीछे, गोमतीपुरा, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश-475001.	सतना
26	31	सुश्री रूपरेखा यादव, 43, सिटी पुलिस लाइन धार, मध्यप्रदेश-454001.	उमरिया
27	32	श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम व पोस्ट बीरा, तहसील अजगढ़, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश-488220.	सीहोर
28	35	सुश्री नमिता धमगाये, ग्राम व पोस्ट आगरी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश 481332.	शहडोल
29	36	सुश्री नीति सोनवे, नर्मदानगर, प्लाट नं. 88/02, सेट अलासियस स्कूल के पास, पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482008.	मंदसौर
30	37	सुश्री आंकाक्षा तलया, ई-2, बरगी हिल्स कालोनी, नागपुर रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482003.	बड़वानी
31	38	श्री प्रमोद शाक्य, जिला पेंशन कार्यालय, कलेक्टर परिसर, कलेक्टोरेट, भिण्ड, मध्यप्रदेश-477001.	अशोकनगर

(1)	(2)	(3)	(4)
32	39	सुश्री दीपाली चंदौरिया, दाल बाजार, राम मंदिर वाली गली, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश-474009.	गुना
33	40	श्री रजनीश कश्यप कोल, C/o पी. सी. कोल, ई-5, डॉ. कोलोनी, एम.जी.एम.एच. केम्पस, मेडीकल कालेज, रीवा, मध्यप्रदेश-486001.	धार
34	41	श्री दुर्गेश आर्मों, म. नं. 07, सेन्ट्रल जेल कॉलोनी, इंद्रा मार्केट, जबलपुर मध्यप्रदेश-482001.	सिवनी
35	42	श्री रवीन्द्र वास्कले, ग्राम व पोस्ट भवती, तहसील व जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश-451551.	हरदा
36	43	श्री सुनील कुमार वरकड़े, न्यू कलेक्टरेट कालोनी, रूम नं. जी 15, डिण्डौरी पोस्ट आफिस डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी. मध्यप्रदेश-481880.	रतलाम
37	45	श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर, ग्राम तिरला, पोस्ट तिरला, तहसील धार, जिला धार, मध्यप्रदेश-454129.	होशंगाबाद
38	46	सुश्री सोनू डाबर, जे-46, दौलत नगर, माण्डव रोड, धार, मध्यप्रदेश-454001.	नीमच
39	47	श्री रोहित सिंह अलावा, 21 प्रकाश नगर, धार जिला धार, मध्यप्रदेश 454001.	आगर
40	48	श्री भूपेन्द्र रावत, 423, पटेल फालेया, ग्राम आम्जुआ, तहसील व जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश 457990.	देवास
41	49	श्री अश्वनी कुमार, गवारी पोस्ट खैररांजी केवलारी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश-480994.	दतिया
42	54	सुश्री दीपा डोडवे, क्वाटर नं. 4/ टाईप 4, शास्त्री नगर, ठाठीपुर, (एजीएमपी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश-474011.	बुरहानपुर
43	55	श्री देवेन्द्र सिंह धुर्वे, सिविल लाइन सिद्धनगर, घुघरी तहसील घुघरी, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश-481664.	जबलपुर
44	56	सुश्री नीलम कोजे, सेक्टर-ए. 65, 66, श्री यंत्र नगर, खण्डवा रोड, बिलवाली, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452020.	इंदौर

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस में कॉलम 4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं दिनांक 15 जून, 2017 तक मध्यप्रदेश युलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्त आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी. नरोहा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2017

क्र. एफ 1(ए)191-91-ब-2-दो.—श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 जून से 14 जुलाई 2017 तक तैतीस दिवस अर्जित अवकाश, के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अवस्थी का चालू कार्य श्री सोलेमन यश कुमार मिंज, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)347-1985-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 27, 29, 30, 31 मई 2017 एवं 1-3 जून 2017

तक आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 28 मई 2017 एवं 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अपनी पुरियों से मिलने लॉस एंजेलिस, डेलिस (अमेरिका) जाने हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

**भोपाल, दिनांक 29 मई 2017**

क्र. एफ 1(ए)122-2011-ब-2-दो.—श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को दिनांक 29 मई से 9 जून 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे का चालू कार्य श्री सुशांत कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, शहजोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

**भोपाल, दिनांक 30 मई 2017**

क्र. एफ 1(ए)155-93-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (गुप्त/वि.अभि.), ओएसडी, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी कुल सचिव, सांची बौद्ध भारतीय—ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2017 तक दो दिवस लंघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति तथा स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 15 फरवरी 2017 को भोपाल से मुम्बई एवं वापस दिनांक 16 फरवरी 2017 को एक सहायक के साथ हवाई यात्रा की अनुमति अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, (गुप्त/वि.अभि.), ओएसडी, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी कुल सचिव, सांची बौद्ध भारतीय—ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)199-91-ब-2-दो.—श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 22 जून से 1 जुलाई 2017 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सीताराम सत्या, पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भाषुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भाषुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2017

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब (एक) 1257.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 8 मार्च 2017 को मान्य करते हुए सुश्री रूचि श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) रीवा, का त्यागपत्र दिनांक 16 जनवरी 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1-2017-इक्कीस-ब (एक) 1722—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मार्च 2017 को मान्य करते हुए श्री उज्ज्वल उपाध्याय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) इन्दौर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 8 मार्च 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 12 मई 2017

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-1488-17.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)2220-2015, दिनांक 28 जुलाई, 2015 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 28 जुलाई, 2015 को प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2 एवं 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे

संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

## अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“2.	श्रीमती माया विश्वलाल, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर।	जबलपुर
3.	श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर।	इन्दौर।”

F. No.1-1-88-XXI-B(1)1488-017.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1)2220-2015, dated 28th July, 2015, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 28th July, 2015, namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial Number 2 and 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

## SCHEDULE

S. No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“2.	Smt. Maya Vishwalal, IVth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur
3.	Shri Pankaj Singh Maheshwari, VIth Additional Sessions Judge, Indore.”.	Indore.”.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक)1396.—(मेरिट क्र. 10), राज्य शासन, श्री अजय प्रताप सिंह यादव पिता श्री जवाहर लाल यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार

ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 7 जून, 1985 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2017

फा. क्र. 2149-2017-इकीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खंड (घ) सहपाठि नोटरी नियम, 1956 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खंड (ख) (i) के अंतर्गत, एतद्वारा श्री महेश श्रीवास्तव, नोटरी, जिला गुना को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री महेश श्रीवास्तव का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2017

फा. क्र. 2118-इकीस-ब(दो).—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन, एतद्वारा, श्री भारत सिंह कौरव, जिन्हें इस विभाग के समसंभवक अदेश दिनांक 24 फरवरी 2006 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 2 फरवरी 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरंत प्रभाव से अभियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामकुमार चौबे, सचिव।

### मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2017

क्र. 937-2143-2016-छत्तीस.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री सतीश चन्द्र सिलावट, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल को दिनांक 11 से 19 मई 2017 तक, कुल नौं दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र सिलावट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(3) श्री सतीश चन्द्र सिलावट, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल के अवकाश अवधि में श्री ओ. पी. सक्सेना, संचालक मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव।

### पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2017

क्र. एफ 12-37-2017-18-5.—मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श उपरान्त वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक 1481-1473-32-88, दिनांक 9 मार्च 1988 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित किया गया है।

(2) यह कि, खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात् बनने वाले ढंठ एवं डंठल व जिन्हें सामान्य भाषा में नरवाई कहा जाता है, को खेतों में जलाने से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रदूषण व विभिन्न पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न होती हैं एवं खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात् बचने वाले टूट एवं डंठल (नरवाई) को जलाने से आंखों में खुजली होने, श्वास संबंधी बीमारी, ब्रोनकाइटिस, अस्थमा होने के कारण बनती है। नरवाई को जलाने से होने वाली बीमारियों के उपचार में व्यय भार बढ़ने के साथ-साथ मानव एवं पशुओं के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। खुले में नरवाई जलाने से होने वाले धुयें के कारण पशु-पक्षी एवं भूमि पर अथवा भूमि के नीचे रहने वाले जीव-जंतु प्रभावित होने के साथ-साथ सड़क पर अदृश्यता की स्थिति निर्मित होने से दुर्घटना का कारण बनती है।

(3) यह कि, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19(5) में राज्य सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अथवा उसके भाग में किसी भी पदार्थ को जलाने (ईंधन के अतिरिक्त) पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां प्रदत्त हैं। ऐसे कारणों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु राज्य शासन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श उपरान्त अधिसूचना जारी कर सकता है। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विचार-

विमर्श के पश्चात यह पाया है कि खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात बचने वाले दूंठ एवं डंठल (नरवाई) को जलाने से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रदूषण व विभिन्न पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न होती हैं, जो पर्यावरण के साथ-साथ विभिन्न जीव जन्तुओं के लिये घातक हैं।

(4) अतः, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(5) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सर्व-संबंधितों एवं आम जनता को निर्देशित करती है कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात बचने वाले दूंठ एवं डंठल (नरवाई) को जलाना प्रतिबंधित है। अतः खेतों की कटाई के पश्चात बचने वाले दूटे/डंठल जिन्हें नरवाई कहा जाता है के जलाने पर पूरे मध्यप्रदेश में वायु अधिनियम की धारा 19(5) के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है।

(5) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर निम्नानुसार पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई करनी होगी :—

- (1) छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से कम है, पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2500/- प्रतिघटना देना होंगे।
- (2) छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ से कम है, को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 5000/- प्रतिघटना देना होंगे।
- (3) छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 5 एकड़ से अधिक है, को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 15000/- प्रतिघटना देना होंगे।

संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे।

**राजीव शर्मा, अपर सचिव.**

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्र. एफ 11-05-2006-उन्नीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसेसिएशन के आर्टिकल-81 (ए) (सी), (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री मनोहर अगनानी, तत्कालीन आयुक्त-सह-

संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है।

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्र. एफ-5-1-2017-उन्नीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में सदस्य के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है।

क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पद की त्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शशिकरण मिश्रा, पत्नी श्री सुखीनन्द गौतम, इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व की बस्ती, तुलसी नगर, रीवा.	रीवा	अनारक्षित
2	डॉ. राकेश मिश्रा, पुत्र श्री रामदास मिश्रा, मिश्रा भवन, (होटल आकाश) मुख्यारंगंज, सतना.	सतना	अनारक्षित
3	श्रीमती सावित्री सिंह, पत्नी श्री उमेश प्रताप सिंह, अशोक विहार कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, सतना.	सतना	आरक्षित (महिला)
4	श्रीमती अंजु पाठक, पत्नी श्री व्ही. सी. पाठक, करोंदिया, स्टेडियम रोड, केन्द्रीय विद्यालय के पास, सीधी.	सीधी	आरक्षित (महिला)
5	श्री दिनेश कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री रामगोविंद कुलश्रेष्ठ, डॉ. राठी क्लीनिक के पीछे, दत्तपुरा, मुरैना.	मुरैना	अनारक्षित
6	श्रीमती निधि कुलश्रेष्ठ, पत्नी श्री रामकृष्ण कुलश्रेष्ठ, बैजनाथ वकील वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना.	मुरैना	आरक्षित (महिला)

(1)	(2)	(3)	(4)	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 मई 2017
7	श्रीमती मेघा भिड़े, पत्नी श्री अनिल भिड़े, 6, चाणक्यपुरी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	अनारक्षित	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समितियों के कृषक, व्यापारी एवं तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन हेतु.
8	श्रीमती सुमित्रा हाथीवाला, पत्नी श्री वीरेन्द्र हाथीवाला, इतवारा, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	आरक्षित (महिला)	क्र. डी-5-56-चौदह-14-3.—प्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं :—
9	श्री श्याम सुन्दर चौधरी, पुत्र श्रीनिवासजी चौधरी, गोवर्धन नाथ मन्दिर, जीवांगंज मंदसौर.	मन्दसौर	अनारक्षित	
10	श्रीमती समता गुप्ता, पत्नी श्री प्रमोद गुप्ता, 12/1, जीवांगंज, गोवर्धन नाथ मंदिर के पास, मंदसौर.	मन्दसौर	आरक्षित (महिला)	
11	श्रीमती रीना शर्मा, श्री राजीवनयन शर्मा श्रीकृष्ण भवन, लालपुरा, राधौगढ़, जिला गुना.	गुना	आरक्षित (महिला)	
2.	उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :—			
2.1	सदस्य कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.			
2.2	सदस्य के बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.			
2.3	सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.			
2.4	सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.			
2.5	सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.			
2.6	संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.			
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	औबेदुल्लागंज	रायसेन	07	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिथित होने के कारण.	22	गुना	गुना	10	श्री नीरज निगम, कृषक सदस्य कादि, 9-8-16 को रिक्त घोषित किया गया.
10	औबेदुल्लागंज	रायसेन	08	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिथित होने के कारण.	23	बैराड	शिवपुरी	05	श्रीमती काशी पत्नी जनवेद, कृषक सदस्य का देहांत होने के कारण.
11	औबेदुल्लागंज	रायसेन	09	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिथित होने के कारण.	24	बदरवास	शिवपुरी	10	श्री परसादी लाल, कृषक सदस्य का दिनांक 12-11-16 को स्वर्गवास होने के कारण.
12	औबेदुल्लागंज	रायसेन	10	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिथित होने के कारण.	25	बक्सवाहा	छतरपुर	02	श्री जुगला आदिवासी, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 24-8-16 को सदस्य पद से त्यागपत्र देने के कारण.
13	औबेदुल्लागंज	रायसेन	-	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिथित होने के कारण.	26	राजनगर	छतरपुर	08	श्री अजय मिश्रा, कृषक सदस्य पद के लिये निरहित होने से दिनांक 16-6-16 को पद रिक्ती की घोषणा.
14	औबेदुल्लागंज	रायसेन	-	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिथित होने के कारण.	27	दमोह	दमोह	-	श्री नीरज चौबे, व्यापारी सदस्य का निधन होने के कारण.
15	शामगढ़	मंदसौर	08	श्रीमती गीता, कृषक सदस्य का दिनांक 24-9-14 को स्वर्गवास होने के कारण.	28	पथरिया	दमोह	10	श्रीमती आरती, कृषक सदस्य द्वारा इस्तीफा देने के कारण.
16	मंदसौर	मंदसौर	6	श्रीमती रामकन्या बाई कृषक सदस्य का दिनांक 17-1-17 को स्वर्गवास होने के कारण.	29	अनूपपुर	अनूपपुर	01	श्री अनिल प्रसाद रोतेला, कृषक सदस्य के इस्तीफा देने के कारण.
17	कालापीपल	शाजापुर	01	श्री नन्हलाल, कृषक सदस्य का दिनांक 21-12-16 को स्वर्गवास होने के कारण.	30	अनूपपुर	अनूपपुर	02	श्री फूलसिंह कृषक सदस्य के निधन होने के कारण.
18	महिदपुर	उज्जैन	05	श्री नागूलाल मालवीय, कृषक सदस्य पद के लिये निरहित होने से पद रिक्त.	31	अनूपपुर	अनूपपुर	08	श्री तीरथ सिंह, कृषक सदस्य के इस्तीफा देने के कारण.
19	आलोट	रत्लाम	06	श्रीमती जशोदा बाई का निधन होने के कारण.	32	बड़वानी	बड़वानी	08	श्रीमती मुन्नी बाई, कृषक सदस्य का दिनांक 23-7-16 का स्वर्गवास होने के कारण.
20	छपारा	सिवनी	01	श्रीमती जानकी बाई कृषक सदस्य का निधन होने के कारण.					श्रीमती जाहली बाई की मृत्यु होने के कारण.
21	राघौगढ़	गुना	09	श्रीमती मुन्नी बाई, कृषक सदस्य का दिनांक 23-7-16 का स्वर्गवास होने के कारण.					

अतः उपरोक्त 19 कृषि उपज मंडी समितियों में 32 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 13(5) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 26 के अंतर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय-अनुसूची एतद्वारा विहित करती है :—

क्रमांक	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख/दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नाम निर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक	27 एवं 29	30-5-2017 (मंगलवार)
2	नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक	29	6-6-2017 (मंगलवार)
3	नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक	33	8-6-2017 (गुरुवार)
4	अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने का दिनांक	34	12-6-2017 (सोमवार)
5	प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	35, 36 एवं 37	14-6-2017 (बुधवार)
6	आवश्यक होने पर मतदान का दिनांक	45	25-6-2017 (रविवार)
7	मतगणना का दिनांक (03.30 बजे दोपहर पश्चात)	74	25-6-2017 (रविवार)
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	78	26-6-2017 (सोमवार)

राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वान्ह 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के माखीजा, अवर सचिव.  
भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

#### मंडी समितियों के उपनिर्वाचन 2017 की आचार संहिता

क्र. डी-5-56-चौदह-14-3.—प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समिति, समिति बकतरा (जिला-सिहोर), उदयपुरा (जिला-सिहोर), औबेदुल्लागंज (जिला रायसेन), शामगढ़ (जिला-मंदसौर), मंदसौर (जिला-मंदसौर), कालापीपल (जिला-शाजापुर), महिदपुर (जिला उज्जैन), आलोट (जिला-रत्लाम), छपारा (जिला-सिवनी), राघौगढ़ (जिला-गुना), गुना (जिला-गुना), बैराड (जिला-शिवपुरी), बद्रवास (जिला-शिवपुरी), बक्सवाहा (जिला-छतरपुर), राजनगर

(जिला-छतरपुर) दमोह (जिला-दमोह), पथरिया (जिला-दमोह), अनूपपुर (जिला-अनूपपुर), राजनगर (जिला-बड़वानी) के उप निर्वाचन हेतु समय अनुसूची विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 मई 2017 द्वारा जारी की गई है। इन मण्डी समितियों के उप निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने का दायित्व राज्य शासन का है। अतः इस संबंध में आदर्श आचार संहिता जारी की जा रही है, जो संलग्न है। उप निर्वाचन से संबंधित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों का दायित्व है कि इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण तथा व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें।

उपरोक्त आदर्श आचार संहिता दिनांक 26 मई 2017 से 26 जून 2017 तक प्रभावशील रहेगी।

पी. के माखीजा, अवर सचिव।

#### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. 3381-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-10-2011-एक-10, दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा श्री एस. एन. खेरे (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर, संभाग जबलपुर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री खेरे ने दिनांक 24 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है। अतः श्री एस. एन. खेरे (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), सदस्य संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सिवनी एवं बालाधाट जिलों के लिये दिनांक 24 मार्च 2017 से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

क्र. 3383-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-14-2010-एक-10, दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा श्री राम प्रकाश वर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति इंदौर, संभाग इंदौर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री वर्मा ने दिनांक 28 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है। अतः श्री राम प्रकाश वर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति इंदौर, संभाग, इंदौर को इंदौर, धार एवं खरगोन जिलों के लिये दिनांक 28 मार्च 2017 से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

क्र. 3385-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3(9)2007-एक-10, दिनांक 22 मार्च 2017 द्वारा श्री श्रीराम शर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर, संभाग ग्वालियर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा ने दिनांक 31 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है। अतः श्री श्रीराम शर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर को भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना जिलों के लिये दिनांक 31 मार्च 2017 से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव।

### नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

क्र. एफ 31-5-2017-सत्ताइस-एक.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा (5) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर जिले की पनागर तहसील में स्थित सात जल उपभोक्ता संथाओं क्रमशः झुरझुरू, उमरिया चौबे, सिंगौद, कोहानी, वम्हनोदी, पिपरिया (खिरिया) एवं निरंदपुर की प्रबंध समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 11 जुलाई 2017 से छः माह की वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. बघेल, अवर सचिव।

### महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2017

क्र. 1261-261-2017-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 87 के उपनियम (1) के साथ वर्णित नियम, 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सामाजिक कार्यकर्ता के चयन हेतु तीन वर्ष के लिये राज्य स्तर पर उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा

कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, तहत निम्नानुसार राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन करती है, अर्थात् :—

संक्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	मान. श्री आर. सी. मिश्रा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश।	अध्यक्ष
2	आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण।	सदस्य-सचिव
3	अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग।	सदस्य
4	श्री प्रज्जवल खरे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, (विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि) इन्डौर।	सदस्य
5	श्री मुकेश पांडे राजीव गांधी विश्वविद्यालय, भोपाल।	सदस्य (विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि)
6	श्री श्रीकांत विट्वेकर, विनय नगर, ग्वालियर।	सदस्य (गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि)।
7	श्री अमिताभ सोनी, अरेरा हिल्स, भोपाल।	सदस्य (गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि)।

No.1261-261-2017-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of rule 87 read with rule 88 of the Juvenile Justice (Care and protection of children) rules, 2016, the State Government hereby constitutes the state level selection committee for the selection of child welfare committee and Juvenile Justice board social Members for the period of three year in the State for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties on it such committee under the said rules namely :—

S. No.	Name	Designation
(1)	(2)	(3)
1	Hon Shri R.C. Mishra Retired Judge. High Court M.P.	Chairperson
2	Commissioner, Directorate of Women Empowerment.	Member Secretary

(1)	(2)	(3)
3	Chairperson, State Commission For Protection of Child Right.	Member (Representative of SCPCR).
4	Shri Prajjawal Khare, Devi Ahilya Vishvvidhalaya Indore.	Member Representative of University).
5	Shri Mukesh Pande, Rajiv Gandhi Praudyegiki Vishvvidhalaya, Bhopal.	Member, (Representative of University).
6	Shri Shrikant Vitvekar, Vinay Nagar, Gwalior.	Member, (Representative of Non-Governmental Organization).
7	Shri Amitabh Soni, Arera hills, Bhopal	Member, (Representative of Non-Governmental Organization).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, अवर सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 11 मई 2017

क्र. 5920-स.अ.रा-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक बी-1-59-2017-2-एक-भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2017 द्वारा श्री महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर का स्थानांतरण इस जिले में हो जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 5082-स.अ.रा.-17 दिनांक 25 अप्रैल 2017 में निमानुसार आंशिक संशोधन करते हुए श्री महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर को अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, तेंदूखेड़ा तथा श्री जी. एस. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर पदस्थ किया जाता है। श्री महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर अपने कार्य के साथ-साथ जिला कार्यालय, नरसिंहपुर की भू-अर्जन शाखा, (जिला भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर) तथा भू-अभिलेख शाखा एवं भू-प्रबंधन शाखा के प्रभारी अधिकारी रहेंगे। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आर. आर. भोंसले, कलेक्टर।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(मंडी निर्वाचन), जिला सीहोर (मध्यप्रदेश)  
सीहोर, दिनांक 17 मई 2017

क्र. 369-स्था. निर्वा.-मंडी निर्वा.-2016-17.—इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-326-स्था.निर्वा.-मंडी निर्वा.-2015-16, सीहोर, दिनांक 1 अगस्त, 2015 में संशोधन कर, पुनः मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला सीहोर मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधि की सीहोर जिले की निमानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मंडी समिति का नाम	बैंक की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि उपज मंडी समिति, सीहोर.	श्रीमती उषा सक्सेना	अध्यक्ष
2	कृषि उपज मंडी समिति, श्यामपुर.	श्री तुलसीराम	संचालक
3	कृषि उपज मंडी समिति, आषा.	श्री देवीसिंह परमार	संचालक
4	कृषि उपज मंडी समिति, जावर.	श्री राधेश्याम दलपति	संचालक
5	कृषि उपज मंडी समिति, इछावर.	श्री हीरालाल	संचालक
6	कृषि उपज मंडी समिति, नसरूल्लागंज.	श्री रवि मालवीय	संचालक
7	कृषि उपज मंडी समिति, रेहटी.	श्री रामनारायण साहू	संचालक
8	कृषि उपज मंडी समिति, बकतरा.	श्री रमाकान्त भार्गव	संचालक

सुदाम खाडे, कलेक्टर।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 488-ए-82-16-17

झाबुआ, दिनांक 1 मई 2017

**(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013))**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्ती होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

**ग्राम - करनगढ़**

**तहसील - पेटलावद**

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि करनगढ़ मार्झिनर नहर	0.60	0.21	0.81

**अनुसूची (2)**

अनुसूची क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	460		0.08	0.08		0.08	0.08
2	भोदिरिया, जीवणा पिता हमिरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	502	0.67		0.67	0.13		0.13
3	मँगली पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	469	0.16		0.16	0.04		0.04
4	देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/2		0.03	0.03		0.03	0.03
		471/2		0.04	0.04		0.04	0.04
5	थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/1	0.03		0.03	0.03		0.03
		471/1	0.05		0.05	0.05		0.05
6	भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/3	0.04		0.04	0.03		0.03
		471/3	0.04		0.04	0.04		0.04

अनु. क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	गैंवराबाई पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	461	0.03		0.03	0.03		0.03
		462	0.02		0.02	0.02		0.02
		464		0.12	0.12		0.03	0.03
		467	0.25		0.25	0.03		0.03
8	सोमली पति विरजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	463	0.11		0.11	0.09		0.09
		465	0.10		0.10	0.03		0.03
		466		0.12	0.12		0.03	0.03
9	धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	329	0.06		0.06	0.05		0.05
10	राजु पिता मुन्जा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	472/1	0.06		0.06	0.03		0.03
	योग :-		1.62	0.39	2.01	0.60	0.21	0.81

प्र. क्र. 488-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता  
का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में  
माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका  
कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता  
है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार  
तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की  
अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार  
अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न  
वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम — करनगढ़

तहसील — पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि करनगढ़ मार्ईनर नहर	0.60	0.21	0.81

अनुसूची (2)

अनु. क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	460		0.08	0.08		0.08	0.08

2	भोदरिया, जीवणा पिता हमिरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	502	0.67		0.67	0.13		0.13
3	मँगली पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	469	0.16		0.16	0.04		0.04
4	देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	470/2		0.03	0.03		0.03	0.03
		471/2		0.04	0.04		0.04	0.04
5	थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	470/1	0.03		0.03	0.03		0.03
		471/1	0.05		0.05	0.05		0.05
6	भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	470/3	0.04		0.04	0.03		0.03
		471/3	0.04		0.04	0.04		0.04
7	गँवराबाई पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	461	0.03		0.03	0.03		0.03
		462	0.02		0.02	0.02		0.02
		464		0.12	0.12		0.03	0.03
		467	0.25		0.25	0.03		0.03
8	सोमली पति विरजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	463	0.11		0.11	0.09		0.09
		465	0.10		0.10	0.03		0.03
		466		0.12	0.12		0.03	0.03
9	धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	329	0.06		0.06	0.05		0.05
10	राजु पिता मुन्जा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	472/1	0.06		0.06	0.03		0.03
	योग :-		1.62	0.39	2.01	0.60	0.21	0.81

प्र. क्र. 488-ए-82-16-17

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (1)

ग्राम - करनगढ़

तहसील - पेटलावद

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि करनगढ़ माईनर नहर	0.60	0.21	0.81

## अनुसूची (2)

अनुक्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	460		0.08	0.08		0.08	0.08
2	ओदरिया, जीवणा पिता हमिरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	502	0.67		0.67	0.13		0.13
3	मैंगली पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	469	0.16		0.16	0.04		0.04
4	देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/2		0.03	0.03		0.03	0.03
		471/2		0.04	0.04		0.04	0.04
5	थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/1	0.03		0.03	0.03		0.03
		471/1	0.05		0.05	0.05		0.05
6	भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/3	0.04		0.04	0.03		0.03
		471/3	0.04		0.04	0.04		0.04
7	गेवराबाई पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	461	0.03		0.03	0.03		0.03
		462	0.02		0.02	0.02		0.02
		464		0.12	0.12		0.03	0.03
		467	0.25		0.25	0.03		0.03
8	सोमली पति विरजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	463	0.11		0.11	0.09		0.09
		465	0.10		0.10	0.03		0.03
		466		0.12	0.12		0.03	0.03
9	धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	329	0.06		0.06	0.05		0.05
10	राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	472/1	0.06		0.06	0.03		0.03
	योग :-		1.62	0.39	2.01	0.60	0.21	0.81

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,**  
**मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 05-अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 12 मई 2017

चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में सल्लोखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

1. परियोजना का नाम :-- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना।
2. भूमि का विवरण :-- ग्राम- मझगुवां तहसील-भोहनगढ़ जिला-टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर

संक्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	कला पत्नि सुदामा जाति यादव पता नियासी ग्राम पड़वार भूमि स्थानी	599/2/1	0.405	0.260
2	छिदामी तनय धुरका जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्थानी	604/3	0.745	पक्का कुआ-1
3	अर्जना किशोरी सरमन मथुरा तनय हरिया पचिया वे. हरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्थानी	622/5	2.023	पक्का कुआ-1
कुल योग-		किंता-3	3.173	0.260

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना का निर्माण करने हेतु।

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग जतारा टीकमगढ़ में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2016-17

चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद

(1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

1. परियोजना का नाम :— हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना।

2. भूमि का विवरण :— ग्राम— दरगांयभाटा तहसील—मोहनगढ़ जिला—टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—0.166 हेक्टेयर

स0क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	रामरचरन तनय हल्काई हीरालाल तनय रामप्रसाद जाति यादव पता नि. दरगांयभाटा बराबर भाग भूमि स्वामी	78/1/मिन-1	2.687	पक्का कुंआ—1
2	मु. रामप्यारी वेवा प्रागी जाति धोबी पता नि. दरगांयकला भूमि स्वामी विश्वनाथ, वैनू आशाराम तनय प्रागी जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी प्रेम सियादेवी पुत्री प्रागी जाति धोबी पता निवासी ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी	78/1/मिन-3	1.376	0.166
	कुल योग—	किता-2	4.063	0.166

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना का निर्माण करने हेतु।

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग जतारा टीकमगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र. 200-भू-अर्जन-2017

दमोह, दिनांक 15 मार्च 2017

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्य की नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म लोक निर्माण विभाग दमोह को रेल्वे ओवर ब्रिज से मुक्ति धाम मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम दमोह खास में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्य नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्य की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

**सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है**

योजना का नाम — रेल्वे ओवर ब्रिज से मुक्ति धाम मार्ग का निर्माण।

ग्राम का नाम — दमोह खास

रकबा — 0.008 है।

**आपसी सहमति से क्य की जाने वाली भूमि का विवरण**

क्र.	भू-स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा हें में	अर्जित रकबा हें में	अन्य सम्पत्ति
	ग्राम — दमोह खास				
1	नारायण वल्द बलदेव काठी	930/3	0.029	0.008	—
	कुल योग :-		0.029	0.008	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अवर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 29-अ-82-16-17

मंदसौर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय कल्लम भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014  
आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के  
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉर्डी तट नहर योजना यूनिट-01 "एयर वेन्ट सॉफ्ट" निर्माण हेतु भू-अर्जन के लिए ग्राम:- सांदलपुर तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर      तहसील—भानपुरा      ग्राम:- सांदलपुर      क्षैत्रफल 1.072 रकबा 0.008 है।

### अनुसूची (1)

स. क.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सांदलपुर	0.008	0.000	0.008
	योग	0.008	0.000	0.008

## अनुसूची (1)

## भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -I

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्खा	कुल निजी रक्खा	अर्जित रक्खा	कुल अर्जित रक्खा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	धनराज पिता श्रीराम जाति कुल्मी निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	91/2		0.590		0.008
कुल रक्खा				1.072		0.008

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 30-अ-82-16-17

(राज्य भासन के आदेश राजस्व विभाग भूत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग — 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा — 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/14 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/14 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-01 के रोड निर्माण लिए ग्राम: कांवली तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप “ख” में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण –

जिला—मन्दसौर    तहसील—भानपुरा    ग्राम: कांवली    क्षेत्रफल 0.233    रकबा 0.100 है।

#### अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (ह.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कांवली	0.100	0.000	0.100
	योग	0.100	0.000	0.100

#### अनुसूची (1)

#### भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-I

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्व नं.	निजी	कुल	अर्जित	कुल
			रकबा	निजी रकबा	रकबा	अर्जित रकबा
1	प्रेमबाई पिता भंवरसिंह, अर्जुनसिंह पिता नाहरसिंह जाति सौधिया राजपूत निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	7 178/7	0.117 0.166	0.233	0.065 0.035	0.100
कुल रकबा				0.233		0.100

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 31-अ-82-16-17

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय-प्रशासन भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014  
आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र.पत्र भाग पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के  
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमात से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 15/11/15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँधी तट नहर योजना यूनिट-01 “एयर वेन्ट सॉफ्ट” निर्माण हेतु भू—अर्जन के लिए ग्राम— रलायता तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप “ख” में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में

कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधीक्षकरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर तहसील—भानपुरा ग्राम—रलायता क्षेत्रफल 0.320 रकबा 0.008 है।

#### अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	रलायता	0.008	0.000	0.008
	योग	0.008	0.000	0.008

#### अनुसूची (1)

#### भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-I

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रकबा	कुल निजी रकबा	अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	रमेश पिता बापुलाल जाति कुल्मी निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	643		0.320		0.008
कुल रकबा				0.320		0.008

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 33-अ-82-16-17

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आंपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 1.5/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय—समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बौंयी तट नहर योजना यूनिट-01 रोड निर्माण के लिए ग्राम—बरखेडी तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप “ख” में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के

पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला—मन्दसौर तहसील—मानपुरा ग्राम—बरखेडी क्षेत्रफल 7.370 रकबा 1.429 है।

#### अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	बरखेडी	1.429	0.000	1.429
	योग	1.429	0.000	1.429

#### अनुसूची (1)

### भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-I

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी	कुल निजी रकबा	अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			रकबा	हेक्टर	हेक्टर	सिंचित
1	संतोष कुवर बैवा श्यामसिंह मोहनसिंह भगवानसिंह सुनिताबाई पिता श्यामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	195		0.300		0.180
2	प्रेमसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	198/1		0.550		0.099
3	सोहनबाई पति लक्ष्मीचंद जाति सुतार पता निवासी सांदलपुर भूमि स्वामी	203		0.960		0.132
4	मांगीलाल पिता उंकारलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी	205 227 223 221	0.330 0.630 0.920 0.920	2.800	0.132 0.156 0.110 0.380	0.778
5	दौलतराम भांगीलाल पिता रामनारायण रोडीबाई बैवा हिरालाल भगतराम शम्मुलाल हेमराज प्रेमबाई पिता हीरालाल जाति भीणा पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी	226		0.920		0.045
6	लख्मीचंद पिता उंकारलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी	225		0.920		0.090
7	सत्यनारायण पिता बंसतीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी	224		0.920		0.105
			कुल रकबा	7.370		1.429

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

प्र. क्र. अ-82-16-17

मंदसौर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मन्त्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014  
आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भगा - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के  
अन्तर्गत धारा - 11(1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉर्डी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-1 Sub Canal Supply Village : ढाबा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर, तहसील—भानपुरा, ग्राम **MR-1 Sub Canal Supply:Dhaba** क्षेत्रफल 3.320 अर्जित रकबा 0.602

#### अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (ह.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	ढाबा	0.602	0.000	0.602
	योग	0.602	0.000	0.602

#### अनुसूची (1)

#### भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	सुगन बाई बैवा मानसिंह जाति राजपुत पता निवासी लेदीकला भूस्वामी	6	0.690	0	0.138
2	शम्भुसिंह डुर्जनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूस्वामी	169	1.920	0	0.288
3	सज्जनसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपुत निवासी कनबाडी राजस्थान भूस्वामी पता निवासी ग्राम भूस्वामी	187/1	0.710	0	0.176
		कुल रकबा	3.320	0	0.602

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपर्युक्त गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. -अ-82-16-17

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्या नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्या नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉर्डी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Canal Villege : ढावला माधौसिंह** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्या नीति की आपसी सहमति से भूमि क्या कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **MR-2 Sub Canal Villege : ढावला माधौसिंह** क्षेत्रफल 7.639 रक्वा 0.773

### अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रक्वा (ह.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	<b>ढावला माधौसिंह</b>	<b>0.773</b>	<b>0.000</b>	<b>0.773</b>
	<b>योग</b>	<b>0.773</b>	<b>0.000</b>	<b>0.773</b>

### अनुसूची (1)

#### भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क्र.	कृषक नाम	सर्व नं.	निजी रक्वा	कुल निजी रक्वा	अर्जीत रक्वा	कुल अर्जीत रक्वा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	राजीबाई पति राधेश्याम जाति याटीदार पता निवासी संधारा भुखामी	1192/2		1.881		0.144
2	मोरख्वज पिता गोवर्धनलाल जाति तेली पता निवासी संधारा भुखामी	1195/1/1		0.318		0.115
3	सुंदरबाई पति मोरख्वज राठोर जाति तेली पता निवासी संधारा भुखामी	1216		3.354		0.288
4	विरेन्द्रकुमार, निर्मल कुमार पिता मनोहरलाल राज कुमार, हुक्मचंद पिता फुलचंद जाति महाजन पता निवासी संधारा भुखामी	1213		1.100		0.144
5	हरिसिंह, रामचंद, चांदमल पिता किशन व झमकुबाई बेवा किशन जाति नायक पता निवासी हाफसखेडी भुखामी	1158		0.986		0.082
			कुल रक्वा		7.639	0.000
						0.773

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपर्युक्त गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-अ-82-16-17

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, येल्लम मवन भोपाल दिनांक 12/11/2014  
आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के  
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **Main Canal Supply Village : भानपुरा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वतंत्र के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर, तहसील—भानपुरा, ग्राम **Main Canal Supply : Bhanpura** क्षेत्रफल 1.000 अर्जीत रकमा 0.080

### अनुसूची (1)

स. क.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकमा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	भानपुरा	0.080	0.000	0.080
	योग	0.080	0.000	0.080

### अनुसूची (1) भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

संख्या नम्बर	कृषक का नाम	सर्व नम्बर	कुल निजी रकमा	कुल अर्जीत रकमा	आवासी भूमि
			हेक्टर	सिंचित	qsm
1	विमल कुमार पिता प्यारचन्द जाति तम्बोली निवासी भानपुरा भू-स्वामी	1579/2	1.000	0.050	
2	विमल कुमार पिता प्यारचन्द जाति तम्बोली निवासी भानपुरा भू-स्वामी	1579/2		0.000	300
			1.000	0.050	300 sqm

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 01-अ-82-16-17

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, दिनांक 12/11/2014  
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति म.प्र. पत्र भाग-1, पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के  
अंतर्गत धारा-11(1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग, कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन मन्दसौर द्वारा ग्राम आक्याबीका तालाब योजनात्मक, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर की की निजी भूमि की आवश्यकता है, इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी/भूमिस्वामित्वों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

**अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण**  
जिला मन्दसौर, तहसील मल्हारगढ़, ग्राम आक्याबीका, क्षेत्रफल 5.58 हेक्टर

**अनूसूची (1)**

क्र.	कृषक का नाम	सर्व नं.	कुल रक्खा	अर्जित की जाने वाली भूमि रक्खा	
				सिंचित	असिंचित
1	सोहनबाई पति दामोदर दास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका	136/1 मिन 1	0.13	0.04	0
		136/2 मिन 1	0.08	0.07	0
2	दामोदरदास पिता श्रीदास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका	125 मिन 2	0.38	0	0.38
3	शीतल उर्फ सीताराम पिता भंवरलाल, जाति कुम्हार, निवासी आक्याबीका	146	0.89	0.30	0
4	जगदीशचन्द्र पिता किशनदास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका	137/2	0.11	0.11	0
5	नागुदास, रामदयाल, कारू पिता हीरादास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका	137/1	0.11	0.08	0
6	लीलाबाई वेदा रामचन्द्र, जाति कुल्मी, निवासी आक्याबीका	150	0.27	0	0.27
7	दोलतराम पिता केशुराम, जाति कुल्मी, निवासी आक्याबीका	151/1	0.09	0.05	0
		147/1	0.25	0	0.19
	कुल योग		2.31	0.65	0.84
					1.49

क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा		
				सिंचित	असिंचित	कुल
8	कंवरलाल पिता केशुराम, जाति कुलमी, निवासी आक्याबीका	147/2 मिन 1	0.70	0.10	0	0.10
		151/2	0.09	0.02	0	0.02
9	कैलाश पिता लक्ष्मण, जाति बलाई	160	0.62	0.37	0	0.37
10	भेरुलाल पिता देवीलाल, जाति गायरी	163/मिन 1	1.30	0.80	0	0.80
11	शम्भुबाई पति झामकलाल, रामगोपाल, शांतिलाल, सुखदेव पिता झामकलाल, जाति बलाई, निवासी आक्याबीका	173/मिन 1	0.45	0.39	0	0.39
12	लक्ष्मण पिता मोड़ा, सम्पत्तबाई बेवा छगनलाल, जाति बलाई, नि. आक्याबीका	158/मिन 1	0.12	0.12	0	0.12
		159/मिन 1	0.44	0.44	0	0.44
13	रामदयाल पिता किशनलाल, जाति गायरी	236/2/मिन 1	0.34	0.07	0	0.07
14	रामगोपाल पिता भगवान, जाति चमार	235/मिन 1	0.20	0.20	0	0.20
15	मांगीलाल पिता भुवानीराम, जाति कुलमी	232/मिन 1	0.42	0.28	0	0.28
16	कमलसिंह पिता औंकारसिंह, जाति राजपूत	174	0.11	0.11	0	0.11
		227/2	0.58	0.04	0	0.04
17	श्रवणसिंह पिता कमलसिंह, जाति राजपूत	226/1	0.15	0.10	0	0.10
18	भारतसिंह पिता औंकारसिंह, जाति राजपूत, निवासी आक्याबीका	225/1	0.58	0.20	0	0.20
19	रमेश, मुरलीदास पिता भंवरदास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका	175	0.11	0.11	0	0.11
20	लक्ष्मीनारायण पिता रामचन्द्र, जाति कुलमी, निवासी आक्याबीका	234/1/मिन 1	0.22	0.22	0	0.22
21	कन्हैयालाल पिता भुवानीराम, जाति कुलमी, निवासी आक्याबीका	233/मिन 1	0.36	0.29	0	0.29
		234/2/मिन 1	0.02	0.02	0	0.02
22	बसंतबाई पति भेरुलाल, जाति बलाई	144/मिन 2	0.50	0.21	0	0.21
	पृष्ठ क्रमांक 02 का योग		7.31	4.09	0	4.09
	पृष्ठ क्रमांक 01 का योग		2.31	0.65	0.84	1.49
	महायोग		9.62	4.74	0.84	5.58

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अर्जुन सिंह डाबर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 13806-अ-82-2015-2016

राजगढ़, दिनांक 15 मई 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बत्त का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की **ग्राम नलखेड़ा** के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**-: अनुसूची :-**

**मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नलखेड़ा**

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	करणसिंह पिता किशनलाल लोड़ा	195/1 195/2	2.238 4.047	2.238 4.047
	योग	2/-	<b>6.285/-</b>	<b>6.285/-</b>
2	रामबगस, गंगाराम, रतन पिता देवा जाति लोड़ा	145/3/2	0.285	0.285
	योग	1/-	<b>0.285/-</b>	<b>0.285/-</b>
3	रतनसिंह पिता रामसिंह लोड़ा	19/4	2.529	0.506
	योग	1/-	<b>2.529/-</b>	<b>0.506/-</b>
4	करणसिंह, बापूलाल पिता किशनलाल, बनेसिंह, कालू पिता भीमा	35/4 180 181  योग	0.012 0.025 0.013  3/-	0.012 0.025 0.013  <b>0.050/-</b>
5	रामचन्द्र पिता मन्ना जाति लोड़ा	38/2 143/3 176/3  योग	0.050 0.303 0.511  3/-	0.050 0.303 0.511  <b>0.864/-</b>
6	हीरा पिता खीमा जाति लोड़ा	89	0.013	0.013
	योग	1/-	<b>0.013/-</b>	<b>0.013/-</b>
7	राधेश्याम पिता चैनसिंह लोड़ा	143/2	0.304	0.304
	योग	1/-	<b>0.304/-</b>	<b>0.304/-</b>
8	लालजी पिता किशलाल जाति अनुसूचित जाति	146/1	0.106	0.106
	योग	1/-	<b>0.106/-</b>	<b>0.106/-</b>
9	छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति	146/2 149/3/3	0.107 0.220	0.107 0.220
	योग	2/-	<b>0.327/-</b>	<b>0.327/-</b>
10	दुलीचंद पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति	146/3	0.106	0.106
	योग	1/-	<b>0.106/-</b>	<b>0.106/-</b>
11	जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/3	0.393	0.155
	योग	1/-	<b>0.393/-</b>	<b>0.155/-</b>

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
12	प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/4	0.393	0.393
	योग	1 ✓	0.393 ✓	0.393 ✓
13	बापूलाल पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/5	0.394	0.394
	योग	1 ✓	0.394 ✓	0.394 ✓
14	शिवनारायण पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/6	0.589	0.330
	योग	1 ✓	0.589 ✓	0.330 ✓
15	रामबगस, गंगाराम पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	147/3/1	0.284	0.284
	योग	1 ✓	0.284 ✓	0.284 ✓
16	रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	147/3/2	0.095	0.095
	योग	1 ✓	0.095 ✓	0.095 ✓
17	नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/1	0.018	0.014
	योग	1 ✓	0.018 ✓	0.014 ✓
18	दूलीचन्द, चेनसिंह पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/2	0.076	0.031
	योग	1 ✓	0.076 ✓	0.031 ✓
19	छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/3	0.076	0.071
	योग	1 ✓	0.076 ✓	0.071 ✓
20	लालजी पिता किशन जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/4	0.076	0.071
	योग	1 ✓	0.076 ✓	0.071 ✓
21	रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/5	0.076	0.071
	योग	1 ✓	0.076 ✓	0.071 ✓
22	प्रभूलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/6	0.055	0.050
	योग	1 ✓	0.055 ✓	0.050 ✓
23	जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/7	0.019	0.015
	योग	1 ✓	0.019 ✓	0.015 ✓
24	पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/8	0.019	0.016
	योग	1 ✓	0.019 ✓	0.016 ✓
25	गोरखन पिता देवाजी लोड़ा	149/4/3	0.126	0.126
	योग	1 ✓	0.126 ✓	0.126 ✓

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
5	चैनसिंह पिता मन्ना जाति लोड़ा योग	194/3/- 1	0.173 0.173/-	0.173 0.173/-
27	नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति योग	146/6 1	0.027 0.027/-	0.027 0.027/-
28	रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा योग	145/3/1 1	0.094 0.094/-	0.094 0.094/-
29	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति योग	100/1 1	0.058 0.058/-	0.058 0.058/-
30	केशरसिंह पिता देवाजी योग	154/6/2 1	0.106 0.106/-	0.106 0.106/-
31	पन्नलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति योग	149/3/7 146/8 2	0.055 0.026 0.081/-	0.055 0.026 0.081/-
32	जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति योग	149/3/8 146/7 2	0.055 0.026 0.081/-	0.055 0.026 0.081/-
33	रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति योग	146/4 151/1 152/5 153/5 154/3/5 149/3/5 150/5 7 /	0.106 0.026 0.015 0.010 0.465 0.220 0.182 1.024/-	0.106 0.026 0.015 0.010 0.465 0.220 0.182 1.024/-
	कुल योग	47 /	15.202/-	12.606/-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13806-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### -: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नलखेड़ा

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	करणसिंह पिता किशनलाल लोड़ा योग	195/1 195/2 2	2.238 4.047 6.285/-	2.238 4.047 6.285/-

2	रामबगस, गंगाराम, रतन पिता देवा जाति लोड़ा योग	145/3/2 1	0.285 0.285	0.285 0.285
3	रतनसिंह पिता रामसिंह लोड़ा योग	19/4 1	2.529 2.529	0.506 0.506
4	करणसिंह, बापूलाल पिता किशनलाल, बनेसिंह, कालू पिता भीमा योग	35/4 180 181 3	0.012 0.025 0.013 0.050	0.012 0.025 0.013 0.050
5	रामचन्द्र पिता मन्ना जाति लोड़ा योग	38/2 143/3 176/3 3	0.050 0.303 0.511 0.864	0.050 0.303 0.511 0.864
6	हीरा पिता खीमा जाति लोड़ा योग	89 1	0.013 0.013	0.013 0.013
7	राधेश्याम पिता चैनसिंह लोड़ा योग	143/2 1	0.304 0.304	0.304 0.304
8	लालजी पिता किशलाल जाति अनुसूचित जाति योग	146/1 1	0.106 0.106	0.106 0.106
9	छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति योग	146/2 149/3/3 2	0.107 0.220 0.327	0.107 0.220 0.327
10	दुलीचंद पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति योग	146/3 1	0.106 0.106	0.106 0.106
11	जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम <sup>भू-स्वामी</sup> योग	147/2/3 1	0.393 0.393	0.155 0.155
12	प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी योग	147/2/4 1	0.393 0.393	0.393 0.393
13	बापूलाल पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम <sup>भू-स्वामी</sup> योग	147/2/5 1	0.394 0.394	0.394 0.394
14	शिवनारायण पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम <sup>भू-स्वामी</sup> योग	147/2/6 1	0.589 0.589	0.330 0.330
15	रामबगस, गंगाराम पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम <sup>भू-स्वामी</sup> योग	147/3/1 1	0.284 0.284	0.284 0.284
16	रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी योग	147/3/2 1	0.095 0.095	0.095 0.095
17	नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम <sup>भू-स्वामी</sup> योग	147/4/1 1	0.018 0.018	0.014 0.014
18	दूलीचन्द, चैनसिंह पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित <sup>जाति नि.ग्राम भू-स्वामी</sup> योग	147/4/2 1	0.076 0.076	0.031 0.031

19	छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/3	0.076	0.071
	योग	1 /	0.076 /	0.071 /
20	लालजी पिता किशन जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/4	0.076	0.071
	योग	1 /	0.076 /	0.071 /
21	रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/5	0.076	0.071
	योग	1 /	0.076 /	0.071 /
22	प्रभूलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/6	0.055	0.050
	योग	1 /	0.055 /	0.050 /
23	जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/7	0.019	0.015
	योग	1 /	0.019 /	0.015 /
24	पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/8	0.019	0.016
	योग	1 /	0.019 /	0.016 /
25	गोरखन पिता देवाजी लोड़ा	149/4/3	0.126	0.126
	योग	1 /	0.126 /	0.126 /
26	चैनसिंह पिता मन्ना जाति लोड़ा	194/3 /	0.173	0.173
	योग	1	0.173 /	0.173 /
27	नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति	146/6	0.027	0.027
	योग	1 /	0.027 /	0.027 /
28	रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा	145/3/1	0.094	0.094
	योग	1 /	0.094 /	0.094 /
29	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति	100/1	0.058	0.058
	योग	1 /	0.058 /	0.058 /
30	केशरसिंह पिता देवाजी	154/6/2	0.106	0.106
	योग	1 /	0.106 /	0.106 /
31	पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति	149/3/7 146/8	0.055 0.026	0.055 0.026
	योग	2 /	0.081 /	0.081 /
32	जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति	149/3/8 146/7	0.055 0.026	0.055 0.026
	योग	2 /	0.081 /	0.081 /
33	रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति	146/4 151/1 152/5 153/5 154/3/5 149/3/5 150/5	0.106 0.026 0.015 0.010 0.465 0.220 0.182	0.106 0.026 0.015 0.010 0.465 0.220 0.182
	योग	7 /	1.024 /	1.024 /
	कुल योग	47 /	15.202 /	12.606 /

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13808-अ-82-2015-2016

■ (अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अजेन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्राप्तेकर और पारदाशता का आधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - सुरजपुरा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	15.926	13.510
	योग	15.926	13.510

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	6
1	चंद्र सिंह आ. रुगनाथ जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9717994064	88/1	2.023	1.763
	योग			2.023	1.763
2	देवीसिंह पिता भगवान सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111279578	88/4	2.023	0.150
	योग			2.023	0.150
3	पान बाई पति भंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174246704	88/8	2.000	1.820
	योग			2.000	1.820
4	रोडीलाल आ० समदा जाति अहीर पता निवासी ग्रेम भूमि स्वामी	7697726293	88/10	2.023	2.023
	योग			2.023	2.023
5	कृष्णाबाई पति कालू सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7773018041	88/13	2.023	2.023
	योग		-	2.023	2.023

6.	शिवलाल आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111821387	88/15/1	1.012 ✓	1.012 ✓
	योग			1.012 ✓	1.012 ✓
7	श्याम सिंह पिता हिन्दु सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977965787	88/15/2/1	1.011 ✓	1.011 ✓
	योग			1.011 ✓	1.011 ✓
8	निर्भय सिंह पिता बद्रीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111821387	88/15/2/2/1	0.700 ✓	0.700 ✓
	योग		88/15/2/2/2	0.312 ✓	0.312 ✓
	योग			1.012 ✓	1.012 ✓
9	हिन्दूसिंह आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977965787	88/15/3	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग			0.506	0.506
10	अमर सिंह पिता कनीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120474932	88/15/4	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग			0.506 ✓	0.506 ✓
11	नन्दा पिता छीतर जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7770915292	88/36	0.173 ✓	0.070 ✓
	योग		88/66	0.400 ✓	0.400 ✓
	योग			0.573 ✓	0.470 ✓
12	विष्णुप्रसाद, भगवान सिंह पिता अमर सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009582645	88/50	1.214 ✓	1.214 ✓
	योग			1.214 ✓	1.214 ✓
	महायोग			15.926 ✓	13.510 ✓

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13808

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्वर्वस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्वर्वस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

## अनुसूची (1)

ग्राम - सुरजपुरा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉथ परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	15.926	13.510
	योग	15.926	13.510

## अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉथ परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	मोंबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	6
1	चंद्र सिंह आ. रुगनाथ जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9717994064	88/1 /	2.023 /	1.763 /
	योग			2.023 /	1.763 /
2	देवीसिंह पिता भगवान सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111279578	88/4 /	2.023 /	0.150 /
	योग			2.023 /	0.150 /
3	पान बाई पति भंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174246704	88/8 /	2.000 /	1.820 /
	योग			2.000 /	1.820 /
4	रोडीलाल आ० समदा जाति अहीर पता निवासी ग्रेम भूमि स्वामी	7697726293	88/10 /	2.023 /	2.023 /
	योग			2.023 /	2.023 /
5	कृष्णबाई पति कालू सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7773018041	88/13 /	2.023 /	2.023 /
	योग			2.023 /	2.023 /

6	शिवलाल आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111821387	88/15/1	1.012	1.012
	योग			1.012	1.012
7	श्याम सिंह पिता हिन्दु सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977965787	88/15/2/1	1.011	1.011
	योग			1.011	1.011
8	निर्भय सिंह पिता बद्रीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111821387	88/15/2/2/1	0.700	0.700
			88/15/2/2/2	0.312	0.312
	योग			1.012	1.012
9	हिन्दूसिंह आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977965787	88/15/3	0.506	0.506
	योग			0.506	0.506
10	अमर सिंह पिता कनीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120474932	88/15/4	0.506	0.506
	योग			0.506	0.506
11	नन्दा पिता छीतर जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7770915292	88/36	0.173	0.070
			88/66	0.400	0.400
	योग			0.573	0.470
12	विष्णुप्रसाद, भगवान सिंह पिता अमर सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्रेम भूमि स्वामी	9009582645	88/50	1.214	1.214
	योग			1.214	1.214
	महायोग			15.926	13.510

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13810-अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्बर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्बर्वस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

### —: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम माण्डाखेड़ा

स.क्र	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्कड़ा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	अमरसिंह पिता धन्ना धापुबाई बेवा धन्ना, रोड़जी, मेहरबान पिता रूपा, कांती बाई पिता रूपा, कैशी बाई बेवा रूपा, प्रेमसिंह, नारू, गोपीलाल, रामप्रसाद पिता हरिसिंह बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी	4/414/2/-	0.316/-	0.316/-
	योग	1-	0.316/-	0.316/-
2	अमृतलाल जगदीश पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	226/1/- 29/4/2/-	0.076/- 0.263/-	0.076/- 0.263/-
	योग	2-	0.339/-	0.339/-
3	अजब बाई पति शिवनारायण सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	142/2/-	0.107/-	0.107/-
	योग	1-	0.107/-	0.107/-
4	उँकारसिंह पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	8/403/- 91/2/2/-	1.947/- 0.025/-	1.947/- 0.025/-
	योग	2-	1.972/-	1.972/-
5	उम्मेदराम शान्ती लाल प्रवीण मधुबाई आ. रामसिंह माकुबाई बेवा रामसिंह चारण नि. ग्राम भु—स्वामी	330/2/-	0.824/-	0.400/-
	योग	1	0.824/-	0.400/-
6	एलकार सिंह साहुकारसिंह पिता निर्भयसिंह अमीर बाई बेवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	37/3/- 48/409/2/-	0.256/- 0.304/-	0.256/- 0.304/-
	योग	2/-	0.560/-	0.560/-
7	किशोर पिता देवीलाल पारदी नि. ग्राम भु. स्वामी	252/4/2/-	0.631/-	0.160/-
	योग	1	0.631/-	0.160/-
8	करणसिंह पिता रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	70/1/2/2/2/-	0.449/-	0.449/-
	योग	1/-	0.449/-	0.449/-

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
9	कमला बाई पति मांगी लाल बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी	370/1/3/-	2.000/-	0.950/-
	योग	1	2.000/-	0.950/-
10	कालीबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	118/2/- 379/399/3/- 379/399/5/- 379/399/6/- 379/399/7/- 379/399/8/- 379/399/9/-	0.215/- 0.500/- 0.580/- 0.400/- 0.500/- 0.365/- 0.185/-	0.215/- 0.500/- 0.580/- 0.400/- 0.500/- 0.365/- 0.185/-
	योग	7/-	2.745/-	2.745/-
11	किशनलाल पिता सेवाजी चारण नि. ग्राम भु स्वामी	230/406/1/- 309/395/- 310/396/-	0.080/- 0.025/- 0.038/-	0.080/- 0.025/- 0.038/-
	योग	3/-	0.143/-	0.143/-
12	कविता बाई पति रामचन्द्र सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	367/18/3/-	1.147/-	1.147/-
	योग	1/-	1.147/-	1.147/-
13	कंचनबाई बेवा मांगीलाल पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी	379/5/1/-	1.685/-	1.685/-
	योग	1/-	1.685/-	1.685/-
14	कमलसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	225/4/- 227/1/4/-	0.028/- 0.022/-	0.028/- 0.022/-
	योग	2/-	0.050/-	0.050/-
15	गोरेलाल पिता लोपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	357/5/2/- 367/1/3/-	0.018/- 0.253/-	0.018/- 0.253/-
	योग	2/-	0.271/-	0.271/-
16	गोपाल पिता कनीराम जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	379/399/1/1/-	5.060/-	1.200/-
	योग	1/-	5.060/-	1.200/-
17	गोपाल पिता रमेशन्द्र चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	232/2/-	0.124/-	0.124/-
	योग	1/-	0.124/-	0.124/-
18	घीसालाल पिता जित जगलाथ पारदी नि. ग्राम भु स्वामी	379/6/1/-	0.445/-	0.445/-
	योग	1/-	0.445/-	0.445/-
19	चन्द्रसिंह लाखनसिंह पिता अमरसिंह लीलाबाई बेवा. अमरसिंह कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी	3/9/-	1.696/-	1.696/-
	योग	1/-	1.696/-	1.696/-
20	चन्द्रसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	225/2/- 227/1/2/-	0.028/- 0.023/-	0.028/- 0.023/-
	योग	2/-	0.051/-	0.051/-
21	जतनबाई पति रत्नलाल सौंध्या नि. ग्राम भु स्वामी	379/4/-	2.000/-	2.000/-
	योग	1/-	2.000/-	2.000/-

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
22	जगदीश पिता मातीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	5/9 - 4/414/7-	0.443/- 0.063/-	0.443/- 0.063/-
	योग	2	0.506/-	0.506/-
23	जितेन्द्रसिंह ना.बा. पिता निर्भयसिंह सर. माता अमरीबाई बंवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	49/2-	0.122/-	0.122/-
	योग	1 ✓	0.122/-	0.122/-
24	जोशन बाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	6/415/1/ 370/1/5/ 369/2/1/-	0.650/- 2.000/- 0.563/-	0.650/- 0.620/- 0.563/-
	योग	3	3.213/-	1.833/-
25	जसरत पिता बापुलाल खाती नि. ग्राम भु— स्वामी	57/2/1-	0.993/-	0.353/-
	योग	1	0.993/-	0.353/-
26	देवराज पिता बापु सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	32/411-	0.569/-	0.569/-
	योग	1 ✓	0.569/-	0.569/-
27	दरोपबाई पति छोटेलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	240/3-	0.009/-	0.009/-
	योग	1 ✓	0.009/-	0.009/-
28	दरियावसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	33/1-	0.100/-	0.100/-
	योग	1 ✓	0.100/-	0.100/-
29	देवबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	199/402/1/ 287/2/-	0.044/- 0.038/-	0.044/- 0.038/-
	योग	2 ✓	0.082/-	0.082/-
30	देवराज पिता बलराम चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	320/397/- 336/1/-	0.038/- 0.462/-	0.038/- 0.411/-
	योग	2 ✓	0.500/-	0.449/-
31	देवीसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	11/4/2/-	0.500/-	0.500/-
	योग	1	0.500/-	0.500/-
32	धन्नालाल पिता धीसा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु— स्वामी	89/2/2/- 281/3/-	0.379/- 0.025/-	0.379/- 0.025/-
	योग	2 ✓	0.404/-	0.404/-
33	धीरपसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	12/2/2/- 46/4/2/-	0.927/- 0.012/-	0.927/- 0.012/-
	योग	2 ✓	0.939/-	0.939/-
34	माधु पिता मेहताब कुम्हार नि. ग्राम भु— स्वामी	63/7/1/-	1.858/-	1.672/-
	योग	1	1.858/-	1.672/-
35	नोरंगबाई पति रामचरण सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	360/- 362/2/1/- 367/16/1/-	0.291/- 2.529/- 2.228/-	0.189/- 1.214/- 2.228/-
	योग	3	5.048/-	3.631/-

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
36	नेतुबाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	71/405 187/394	0.544 0.038	0.544 0.038
	योग	2 ✓	0.582 ✓	0.582 ✓
37	नारायण सिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	18/3 35/4 37/2 49/1 106/4 109/4 48/409/1 110/4 349/1/6	1.254 0.258 0.256 0.122 0.066 0.142 0.303 0.114 1.000	1.158 0.258 0.256 0.122 0.066 0.142 0.303 0.114 1.000
	योग	9 ✓	3.515 ✓	3.419 ✓
38	प्रेमबाई पति नारायणसिंह जाति सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	367/18/4	1.147	1.147
	योग	1 ✓	1.147 ✓	1.147 ✓
39	प्यारजी पिता जगन्नाथ सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	4/414/3 4/414/5 200/387 286/4	0.190 0.506 0.025 0.038	0.190 0.506 0.025 0.038
	योग	4 ✓	0.759 ✓	0.759 ✓
40	फतेहसिंह पिता पूरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	228/1 228/2 229/1/1 229/1/2 199/402/2 222/1/2 287/3	0.064 0.050 0.011 0.008 0.044 0.100 0.026	0.064 0.050 0.011 0.008 0.044 0.100 0.026
	योग	7 ✓	0.303 ✓	0.303 ✓
41	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	35/2 38/1 41/1	0.129 0.184 0.398	0.129 0.184 0.398
	योग	3 ✓	0.711 ✓	0.711 ✓
42	प्रेमसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	6/415/2 3/413/1	0.653 0.177	0.653 0.177
	योग	2 ✓	0.830 ✓	0.830 ✓
43	पर्वतसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	12/2/3	0.927	0.927
	योग	1 ✓	0.927 ✓	0.927 ✓
44	बनेसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	11/7/2 112/3/1	0.505 0.330	0.505 0.297
	योग	2 ✓	0.835 ✓	0.802 ✓

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
45	रामचरण, हीरालाल पिता धीसालाल, जगन्नाथ, रामबगस, सालगराम पिता कनीराम जाति दांगी नि. ढकोरा भु— स्वामी	361 366 367/19	0.266 0.051 5.059	0.110 0.026 4.553
	योग	3	5.376	4.689
46	बीरम पिता किशन अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु— स्वामी	30/2/2	0.177	0.177
	योग	1	0.177	0.177
47	भंवरलाल मांगीलाल कालुसिंह रामलाल बनेसिंह नारायण सिंह छोटेलाल आ. दला बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	4/4/4/4 370/4	0.126 0.506	0.126 0.350
	योग	2	0.632	0.476
48	भारतसिंह पिता शान्तीलाल देवलबाई बेवा शान्ती लाल चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	232/1	0.123	0.123
	योग	1	0.123	0.123
49	भारतसिंह दिनेश पिता बनेसिंह नारेगबाई बेवा बनेसिंह मांगीलाल औतरलाल अनारसिंह सुल्तानसिंह होकमसिंह पिता लालजी भुजीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	199/402/3 287/1 296	0.317 0.076 0.051	0.317 0.076 0.051
	योग	3	0.444	0.444
50	भुलीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	91/2/2	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
51	मांगीलाल पिता पुरजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	33/2/1 34/2/1 36/1 222/1	0.108 0.107 0.466 0.100	0.108 0.107 0.466 0.100
	योग	4	0.781	0.781
52	मोतीलाल पिता केसर जी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	35/1 37/1 55 221/1/1 234/1/1	0.258 0.383 1.303 0.070 0.106	0.258 0.383 1.303 0.070 0.106
	योग	5	2.120	2.120
53	मोहनलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	29/4/1 131/2 226/2	0.510 1.315 0.076	0.247 0.735 0.076
	योग	3	1.901	1.058
54	मांगीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	34/1 44/2 44/4 227/2 11/7/1	0.190 0.114 0.190 0.012 0.506	0.190 0.114 0.190 0.012 0.058
	योग	5	1.012	0.564

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
55	मानसिंह पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/4	0.017	0.017
	योग	1 ✓	0.017 ✓	0.017 ✓
56	मांगीबाई पति देवसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	23/410/2 379/399/4/2	0.348 1.265	0.348 1.265
	योग	2 ✓	1.613 ✓	1.613 ✓
57	मांगीलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	94/1 96/1 97/1 101/1	0.291 0.082 0.398 1.164	0.291 0.082 0.398 1.164
	योग	4 ✓	1.935 ✓	1.935 ✓
58	मांगीलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/1	0.017	0.017
	योग	1 ✓	0.017 ✓	0.017 ✓
59	रामचरण पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	229/2	0.065	0.065
	योग	1 ✓	0.065 ✓	0.065 ✓
60	रामनारायण पिता सबलु सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	73/2 224/1/1	0.247 0.130	0.247 0.130
	योग	2 ✓	0.377 ✓	0.377 ✓
61	रामलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/5	0.018	0.018
	योग	1 ✓	0.018 ✓	0.018 ✓
62	रतन पिता भेरु सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	11/5	1.770	1.770
	योग	1 ✓	1.770 ✓	1.770 ✓
63	रामबाबू दत्तक पुत्र मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	33/2/2 34/2/2 36/2	0.082 0.082 0.357	0.082 0.082 0.357
	योग	3 ✓	0.521 ✓	0.521 ✓
64	रमेशचन्द्र पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	311/10/2	3.886	3.886
	योग	1 ✓	3.886 ✓	3.886 ✓
65	रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति पारदी नि. ग्राम भु— स्वामी	372/2/4 252/4/4	0.316 0.633	0.316 0.130
	योग	2 ✓	0.949 ✓	0.446 ✓
66	रामसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	35/3 38/2 41/2	0.127 0.183 0.399	0.127 0.183 0.399
	योग	3 ✓	0.709 ✓	0.709 ✓

संख्या	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
67	रामकरण पिता हिन्दू सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	246/2/1/3 -	0.103	0.103
	योग	1 ✓	0.103 ✓	0.103 ✓
68	रतनलाल हरिसिंह पिता भेरु देवीसिंह हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	223/1/1	0.120	0.120
	योग	1 ✓	0.120 ✓	0.120 ✓
69	रामसिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	362/1/3/1 367/23 379/999/1/1/5	1.000 0.506 0.730	0.842 0.506 0.300
	योग	3 ✓	2.236 ✓	1.648 ✓
70	लालसिंह पिता लक्ष्मण चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	50/3	1.494	1.344
	योग	1 ✓	1.494 ✓	1.344 ✓
71	लालजी पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	18/4 37/4 48/409/3 49/3 109/6 221/6	1.254 0.256 0.304 0.123 0.142 0.064	1.254 0.256 0.304 0.123 0.142 0.064
	योग	6 ✓	2.143 ✓	2.143 ✓
72	ललताबाई पिता निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	66/1/1	0.747	0.200
	योग	1 ✓	0.747 ✓	0.200 ✓
73	विजयसिंह पिता पन्नालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	328 230/406/2 370/1/4	1.884 0.059 0.754	0.436 0.059 0.554
	योग	3 ✓	2.697 ✓	1.049 ✓
74	शेतानबाई पिता हीरलाल सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	370/3/2 -	1.518 -	1.518 -
	योग	1 ✓	1.518 ✓	1.518 ✓
75	शिवनारायण पिता सबलू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	224/2/1	0.136	0.136
	योग	1 ✓	0.136 ✓	0.136 ✓
76	शिवनारायण पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	12/2/1 12/2/4 46/4/1 229/4	0.464 0.464 0.051 0.034	0.464 0.464 0.051 0.034
	योग	4 ✓	1.013 ✓	1.013 ✓
77	शम्भु पिता देवीलाल पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी	252/4/1	0.632	0.160
	योग	1 ✓	0.632 ✓	0.160 ✓
78	संतराबाई पति करण सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	3/413/2	1.151	1.151
	योग	1 ✓	1.151 ✓	1.151 ✓

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
79	सरदार बाई पति उंकार सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	367/1/1 367/18/1 367/18/2 367/1/12 377/407	0.500 0.750 0.750 0.363 0.455	0.500 0.750 0.750 0.363 0.455
	योग	5 ✓	2.818 ✓	2.818 ✓
80	शान्तीलाल धीरप पिता भागीरथ मु. धापुबाई वि. भागीरथ पारथी नि. ग्राम भु—स्वामी	252/4/3/1 272/2/1/3	0.633 0.316	0.160 0.316
	योग	2 ✓	0.949 ✓	0.476 ✓
81	सुन्दर बाई पति भंवरलाल बंजारा नि. ग्राम भु—स्वामी	367/21	2.370	0.711
	योग	1 ✓	2.370 ✓	0.711 ✓
82	सम्पत बाई पत्नी मोतीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	5/13	1.856	1.856
	योग	1 ✓	1.856 ✓	1.856 ✓
83	हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	11/4/1 379/399/4/1 23/410/1	0.500 1.265 0.348	0.500 1.265 0.348
	योग	3 ✓	2.113 ✓	2.113 ✓
84	हमीरसिंह छोटेलाल पिता सांवतसिंह चारण नि. ग्राम भु—स्वामी	342	0.316	0.316
	योग	1 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
85	हीरालाल पिता भंवरजी सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	33/3 39 40 42 43 46/3 229/3	0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034	0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034
	योग	7 ✓	1.300 ✓	1.300 ✓
86	हरिसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु—स्वामी	232/3 311/10/1/1 153/390/2 154/391 159/392 160/393	0.123 3.886 0.021 0.025 0.038 0.076	0.123 2.768 0.021 0.025 0.038 0.076
	योग	6 ✓	4.169 ✓	3.051 ✓
87	प्रेमसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	225/3 227/1/3	0.029 0.022	0.029 0.022
	योग	2 ✓	0.051 ✓	0.051 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
88	औमप्रकाश भगवानदास कमलदास चन्द्रकला भगवती अशोक पिता केसरदास सुन्दरबाई पति केसरदास बैरागी नि. ग्राम भू- स्वामी	367/1/2	1.000	1.000
	योग	1 /	1.000 /	1.000 /
89	भंवरिया विजयसिंह धनश्याम पिता कनीराम मु. मीराबाई बेवा कनीराम जाति बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी	70/416	0.455	0.455
	योग	1 /	0.455 /	0.455 /
90	प्रेमसिंह पिता दीपा बरजुबाई बेवा दीपा जाति बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी	4/414/6 367/1/10	0.063 0.500	0.063 0.500
	योग	2 /	0.563 /	0.563 /
91	रघुवीर, दिनेश पिता रामप्रसाद अयौध्याबाई बेवा रामप्रसाद जाति गाडरी नि. ग्राम भू- स्वामी	370/1/2	2.000	1.400
	योग	1 /	2.000 /	1.400 /
92	कंचनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/3	1.000	0.010
	योग	1 /	1.000 /	0.010 /
93	रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	63/5	2.530	1.450
	योग	1 /	2.530 /	1.450 /
94	देवबाई, गीताबाई, संतोषबाई, गंगाबाई, रमाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	63/6	0.795	0.795
	योग	1 /	0.795 /	0.795 /
95	नेनीबाई बेवा दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/2/2/1	1.916	1.916
	योग	1 /	1.916 /	1.916 /
96	विजयसिंह पिता पुरालाल सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	225/1 227/1/1	0.029 0.022	0.029 0.022
	योग	2 /	0.051 /	0.051 /
97	सांवला आम्बा पिता उमराव जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	230/1	0.160	0.160
	योग	1 /	0.160 /	0.160 /
98	छोटेलाल पिता रुपा बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी	357/5/3	0.018	0.018
	योग	1 -	0.018 -	0.018 -
99	जोसनाबाई पति विजयसिंह जाति चारण नि. ग्राम भू- स्वामी	362/1/2 369/2/1	1.247 0.563	0.140 0.563
	योग	2 /	1.810 /	0.703 /
100	भंवरलाल पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/4	0.500	0.200
	योग	1 /	0.500 /	0.200 /
101	कालू पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/5	0.500	0.300
	योग	1 /	0.500 /	0.300 /

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
102	धन्ना पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/7	0.378	0.378
	योग	1 ✓	0.378 ✓	0.378 ✓
103	धन्नालाल पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	368/3/3	0.827	0.827
	योग	1 ✓	0.827 ✓	0.827 ✓
104	प्रेमसिंह पिता सब्बा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/9	0.500	0.500
	योग	1 ✓	0.500 ✓	0.500 ✓
105	गोपीलाल, लालसिंह पिता धूलजी, बचना बाई बेवा हीराबाई पिता धूलजी, शिवलाल, अमरसिंह पिता भोना, फूलसिंह पिता पेमा मु, भूरीबाई बेवा पेमा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/4 368/2	0.569 0.759	0.150 0.151
	योग	2 ✓	1.328 ✓	0.301 ✓
106	प्रेमबाई पिता मानसिंह जाति बृजा नि.ग्राम भू-स्वामी	369/2/3	0.759	0.759
	योग	1 ✓	0.759 ✓	0.759 ✓
107	हमीरसिंह पिता सांवतसिंह जाति चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	370/5 ✓	3.794	2.700
	योग	1 ✓	3.794 ✓	2.700 ✓
108	किशोर पिता देवीलाल जाति परथी नि.ग्राम भू-स्वामी	372/2/3/3	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.114
109	माखनलाल पिता किशनलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम अंतरालिया मु— स्वामी	379/2	2.000	0.200
	योग	1 ✓	2.000 ✓	0.200 ✓
110	मांगीलाल पिता हजारी जाति बंजारा नि.ग्राम भू—स्वामी	385/1/2	1.000	0.600
	योग	1 ✓	1.000 ✓	0.600 ✓
111	चन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2/2	0.158	0.158
	योग	1 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
112	देवबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/4/2	1.145	1.145
	योग	1 ✓	1.145 ✓	1.145 ✓
113	नारायणसिंह, रामचन्द्र पिता उंकारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू—स्वामी	296/3	0.038	0.038
	योग	1 ✓	0.038 ✓	0.038 ✓
114	पर्वतसिंह, संतोषबाई, सुनीताबाई पिता उंकार, सूरजबाई बेवा उंकारसिंह, नारायणसिंह पिता बिहारीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू—स्वामी	367/2/1/1	0.230	0.230
	योग	1 ✓	0.230 ✓	0.230 ✓
115	बल्लभबाई पति प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू—स्वामी	27/1/2	0.573	0.573
	योग	1 ✓	0.573 ✓	0.573 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
116	रेशबाई पिता भगवानसिंह जाति सौंदिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2/1 ✓	0.158 ✓	0.158
	योग	1 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
117	लालसिंह, बजेसिंह पिता मांगीलाल, प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	267/2/4/1	0.234	0.234
	योग	1 ✓	0.234 ✓	0.234 ✓
118	सरदारबाई पिता नवल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	280/2/3 ✓	0.015	0.015
	योग	1 ✓	0.015 ✓	0.015 ✓
119	विष्णु पिता गणपत, सोहदरबाई बेवा गणपत जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	368/1/2	2.000	0.400
	योग	1 ✓	2.000 ✓	0.400 ✓
	कुलयोग :-	227 ✓	130.016 ✓	100.918 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13810-अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### —: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम माण्डाखेड़ा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
✓	अमरसिंह पिता धन्ना धापुबाई बेवा धन्ना, रोड़जी, मेहरबान पिता रूपा, कांती बाई पिता रूपा, कैशी बाई बेवा रूपा, प्रेमसिंह, नारू, गोपीलाल, रामप्रसाद पिता हरिसिंह बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	4/414/2 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
	योग	1 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓

2	अमृतलाल जगदीश पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	226/1/- 29/4/2/-	0.076/- 0.263/-	0.076/- 0.263/-
	योग	2 -	0.339/-	0.339/-
3	अजब बाई पति शिवनारायण सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	142/2/-	0.107/-	0.107/-
	योग	1 -	0.107/-	0.107/-
4	उँकारसिंह पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. - स्वामी	8/403 - 91/2/2/-	1.947/- 0.025/-	1.947/- 0.025/-
	योग	2 -	1.972/-	1.972/-
5	उम्मेदराम शान्ती लाल प्रवीण मधुबाई आ. रामसिंह माकुबाई बेवा रामसिंह चारण नि. ग्राम भु. - स्वामी	330/2/-	0.824/-	0.400/-
	योग	1	0.824/-	0.400/-
6	एलकार सिंह साड़ुकारसिंह पिता निर्भयसिंह अमीर बाई बेवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	37/3/- 48/409/2/-	0.256/- 0.304/-	0.256/- 0.304/-
	योग	2 -	0.560/-	0.560/-
7	किशोर पिता देवीलाल पारदी नि. ग्राम भु. स्वामी	252/4/2/-	0.631/-	0.160/-
	योग	1	0.631/-	0.160/-
8	करणसिंह पिता रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	70/1/2/2/2/-	0.449/-	0.449/-
	योग	1 /	0.449/-	0.449/-
9	कमला बाई पति मांगी लाल बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी	370/1/3/-	2.000/-	0.950/-
	योग	1	2.000/-	0.950/-
10	कालीबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	118/2/- 379/399/3/- 379/399/5/- 379/399/6/- 379/399/7/- 379/399/8/- 379/399/9/-	0.215/- 0.500/- 0.580/- 0.400/- 0.500/- 0.365/- 0.185/-	0.215/- 0.500/- 0.580/- 0.400/- 0.500/- 0.365/- 0.185/-
	योग	7 /	2.745/-	2.745/-
11	किशनलाल पिता सेवाजी चारण नि. ग्राम भु स्वामी	230/406/1/- 309/395/- 310/396/-	0.080/- 0.025/- 0.038/-	0.080/- 0.025/- 0.038/-
	योग	3 /	0.143/-	0.143/-
12	कविता बाई पति रामचन्द्र सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	367/18/3/-	1.147/-	1.147/-
	योग	1 -	1.147/-	1.147/-
13	कंचनबाई बेवा मांगीलाल पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी	379/5/1/-	1.685/-	1.685/-
	योग	1 /	1.685/-	1.685/-

14	कमलसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	225/4 / 227/1/4 /	0.028 / 0.022 /	0.028 / 0.022 /
	योग	2 /	0.050 /	0.050 /
15	गोरेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/2 / 367/1/3 /	0.018 / 0.253 /	0.018 / 0.253 /
	योग	2 /	0.271 /	0.271 /
16	गोपाल पिता कनीराम जाति चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	379/399/1/1 /	5.060 /	1.200 /
	योग	1 /	5.060 /	1.200 /
17	गोपाल पिता रमेशन्न चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	232/2 /	0.124 /	0.124 /
	योग	1 /	0.124 /	0.124 /
18	धीसालाल पिता भूत जगन्नाथ पारदी नि. ग्राम भु स्वामी	379/6/1 /	0.445 /	0.445 /
	योग	1 /	0.445 /	0.445 /
19	चन्द्रसिंह लाखनसिंह पिता अमरसिंह लीलाबाई बेवा. अमरसिंह कुम्हार नि. ग्राम भु— स्वामी	3/9 /	1.696 /	1.696 /
	योग	1 /	1.696 /	1.696 /
20	चन्द्रसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	225/2 / 227/1/2 /	0.028 / 0.023 /	0.028 / 0.023 /
	योग	2 /	0.051 /	0.051 /
21	जतनबाई पति रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु स्वामी	379/4 /	2.000 /	2.000 /
	योग	1 /	2.000 /	2.000 /
22	जगदीश पिता मातीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	5/9 / 4/414/7 /	0.443 / 0.063 /	0.443 / 0.063 /
	योग	2 /	0.506 /	0.506 /
23	जितेन्द्रसिंह ना.बा. पिता निर्भयसिंह सर. माता अमरीबाई बंवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	49/2 /	0.122 /	0.122 /
	योग	1 ✓	0.122 /	0.122 /
24	जोशन बाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु. स्वामी	6/415/1 / 370/1/5 / 369/2/1 /	0.650 / 2.000 / 0.563 /	0.650 / 0.620 / 0.563 /
	योग	3	3.213 /	1.833 /
25	जसरत पिता बापुलाल खाती नि. ग्राम भु. स्वामी	57/2/1 /	0.993 /	0.353 /
	योग	1	0.993 /	0.353 /
26	देवराज पिता बापु सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	32/411 /	0.569 /	0.569 /
	योग	1 /	0.569 /	0.569 /
27	दरोपबाई पति छोटेलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	240/3 /	0.009 /	0.009 /
	योग	1 /	0.009 /	0.009 /
28	दरियावसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	33/1 /	0.100 /	0.100 /
	योग	1 /	0.100 /	0.100 /
29	देवबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	199/402/1 / 287/2 /	0.044 / 0.038 /	0.044 / 0.038 /
	योग	2 /	0.082 /	0.082 /

30	देवराज पिता बलराम चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	320/397/ 336/1/	0.038/ 0.462/	0.038/ 0.411/
	योग	2	0.500 /	0.449 /
31	देवीसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	11/4/2/	0.500 /	0.500 /
	योग	1	0.500 /	0.500 /
32	धन्नालाल पिता धीसा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु— स्वामी	89/2/2 / 281/3 /	0.379 / 0.025 /	0.379 / 0.025 /
	योग	2	0.404 /	0.404 /
33	धीरपसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	12/2/2 / 46/4/2 /	0.927 / 0.012 /	0.927 / 0.012 /
	योग	2	0.939 /	0.939 /
34	माधु पिता मेहताब कुम्हार नि. ग्राम भु— स्वामी	63/7/1 /	1.858 /	1.672 /
	योग	1	1.858 /	1.672 /
35	नोरंगबाई पति रामवरण सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	360 / 362/2/1 / 367/16/1 /	0.291 / 2.529 / 2.228 /	0.189 / 1.214 / 2.228 -
	योग	3	5.048 /	3.631 /
36	नेनुबाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	71/405 187/394	0.544 0.038	0.544 0.038
	योग	2	0.582 /	0.582 /
37	नारायण सिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	18/3 35/4 37/2 49/1 106/4 109/4 48/409/1 110/4 349/1/6	1.254 0.258 0.256 0.122 0.066 0.142 0.303 0.114 1.000	1.158 0.258 0.256 0.122 0.066 0.142 0.303 0.114 1.000
	योग	9	3.515 /	3.419 /
38	प्रेमबाई पति नारायणसिंह जाति सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	367/18/4	1.147	1.147
	योग	1	1.147 /	1.147 /
39	प्यारजी पिता जगन्नाथ सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	4/414/3 4/414/5 200/387 286/4	0.190 0.506 0.025 0.038	0.190 0.506 0.025 0.038
	योग	4	0.759 /	0.759 /
40	फतेहसिंह पिता पूरजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	228/1 228/2 229/1/1 229/1/2 199/402/2 222/1/2 287/3	0.064 0.050 0.011 0.008 0.044 0.100 0.026	0.064 0.050 0.011 0.008 0.044 0.100 0.026
	योग	7	0.303 /	0.303 /

41	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	35/2 38/1 41/1	0.129 0.184 0.398	0.129 0.184 0.398
	योग	3 /	0.711 /	0.711 /
42	प्रेमसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	6/415/2 3/413/1	0.653 0.177	0.653 0.177
	योग	2 /	0.830 /	0.830 /
43	पर्वतसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	12/2/3	0.927	0.927
	योग	1 /	0.927 /	0.927 /
44	बनेसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	11/7/2 112/3/1	0.505 0.330	0.505 0.297
	योग	2 /	0.835 /	0.802 /
45	रामचरण, हीरलाल पिता धीसलाल, जगन्नाथ, रामबगस, सालगराम पिता कनीराम जाति दांगी नि. ढकोरा भु— स्वामी	361 366 367/19	0.266 0.051 5.059	0.110 0.026 4.553
	योग	3 /	5.376 /	4.689 /
46	बीरम पिता किशन अनुसूचित जाति.नि. ग्राम भु— स्वामी	30/2/2 /	0.177 /	0.177 /
	योग	1 /	0.177 /	0.177 /
47	भंवरलाल मांगीलाल कालुसिंह रामलाल बनेसिंह नारायण सिंह छोटेलाल आ. दला बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	4/4/4/4 370/4	0.126 0.506	0.126 0.350
	योग	2 /	0.632 /	0.476 /
48	भारतसिंह पिता शान्तीलाल देवलबाई बेवा शान्ती लाल चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	232/1	0.123	0.123
	योग	1 /	0.123 /	0.123 /
49	भारतसिंह दिनेश पिता बनेसिंह नारेगबाई बेवा बनेसिंह मांगीलाल छीतरलाल अनाशसिंह मुलानसिंह होकमसिंह पिता लालजी भुजीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	199/402/3 287/1 296	0.317 0.076 0.051	0.317 0.076 0.051
	योग	3 /	0.444 /	0.444 /
50	भुलीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	91/2/2	0.025	0.025
	योग	1 /	0.025 /	0.025 /
51	मांगीलाल पिता पुरजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	33/2/1 34/2/1 36/1 222/1	0.108 0.107 0.466 0.100	0.108 0.107 0.466 0.100
	योग	4 /	0.781 /	0.781 /
52	मोतीलाल पिता केसर जी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	35/1 37/1 55 221/1/1 234/1/1	0.258 0.383 1.303 0.070 0.106	0.258 0.383 1.303 0.070 0.106
	योग	5 /	2.120 /	2.120 /
53	मोहनलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	29/4/1 131/2 226/2	0.510 1.315 0.076	0.247 0.735 0.076
	योग	3 —	1.901 /	1.058 /

54	मांगीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	34/1 44/2 44/4 227/2 11/7/1	0.190 0.114 0.190 0.012 0.506	0.190 0.114 0.190 0.012 0.058
	योग	5 ✓	1.012 ✓	0.564 ✓
55	मानसिंह पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/4	0.017	0.017
	योग	1 ✓	0.017 ✓	0.017 ✓
56	मांगीबाई पति देवसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	23/410/2 379/399/4/2	0.348 1.265	0.348 1.265
	योग	2 ✓	1.613 ✓	1.613 ✓
57	मांगीलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	94/1 96/1 97/1 101/1	0.291 0.082 0.398 1.164	0.291 0.082 0.398 1.164
	योग	4 ✓	1.935 ✓	1.935 ✓
58	मांगीलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/1	0.017	0.017
	योग	1 ✓	0.017 ✓	0.017 ✓
59	रामचरण पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	229/2	0.065	0.065
	योग	1 ✓	0.065 ✓	0.065 ✓
60	रामनारायण पिता सबलु सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	73/2 224/1/1	0.247 0.130	0.247 0.130
	योग	2 ✓	0.377 ✓	0.377 ✓
61	रामलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु— स्वामी	357/5/5	0.018	0.018
	योग	1 ✓	0.018 ✓	0.018 ✓
62	रतन पिता भेरु सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	11/5	1.770	1.770
	योग	1 ✓	1.770 ✓	1.770 ✓
63	रामबाबू दत्तक पुत्र मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	33/2/2 34/2/2 36/2	0.082 0.082 0.357	0.082 0.082 0.357
	योग	3 ✓	0.521 ✓	0.521 ✓
64	रमेशचन्द्र पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु— स्वामी	311/10/2	3.886	3.886
	योग	1 ✓	3.886 ✓	3.886 ✓
65	रामप्रसाद पिता भवरलाल जाति पारदी नि. ग्राम भु— स्वामी	372/2/4 252/4/4	0.316 0.633	0.316 0.130
	योग	2 ✓	0.949 ✓	0.446 ✓
66	रामसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु— स्वामी	35/3 38/2 41/2	0.127 0.183 0.399	0.127 0.183 0.399
	योग	3 ✓	0.709 ✓	0.709 ✓

67	रामकरण पिता हिन्दू सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	246/2/1/3 ✓	0.103	0.103
	योग	1 ✓	0.103 ✓	0.103 ✓
68	रत्नलाल हरिसिंह पिता भेरू देवीसिंह हिन्दूसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	223/1/1	0.120	0.120
	योग	1 ✓	0.120 ✓	0.120 ✓
69	रामसिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	362/1/3/1 367/23 379/999/1/1/5	1.000 0.506 0.730	0.842 0.506 0.300
	योग	3 ✓	2.236 ✓	1.648 ✓
70	लालसिंह पिता लक्ष्मण चारण नि. ग्राम भु—स्वामी	50/3	1.494	1.344
	योग	1 ✓	1.494 ✓	1.344 ✓
71	लालजी पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	18/4 37/4 48/409/3 49/3 109/6 221/6	1.254 0.256 0.304 0.123 0.142 0.064	1.254 0.256 0.304 0.123 0.142 0.064
	योग	6 ✓	2.143 ✓	2.143 ✓
72	ललताबाई पिता निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	66/1/1	0.747	0.200
	योग	1 ✓	0.747 ✓	0.200 ✓
73	विजयसिंह पिता पन्नालाल सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	328 230/406/2 370/1/4	1.884 0.059 0.754	0.436 0.059 0.554
	योग	3 ✓	2.697 ✓	1.049 ✓
74	शेतानबाई पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	370/3/2 ✓	1.518 ✓	1.518 ✓
	योग	1 ✓	1.518 ✓	1.518 ✓
75	शिवनारायण पिता सबलू सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	224/2/1	0.136	0.136
	योग	1 ✓	0.136 ✓	0.136 ✓
76	शिवनारायण पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	12/2/1 12/2/4 46/4/1 229/4	0.464 0.464 0.051 0.034	0.464 0.464 0.051 0.034
	योग	4 ✓	1.013 ✓	1.013 ✓
77	शम्भु पिता देवीलाल पारथी नि. ग्राम भु—स्वामी	252/4/1	0.632	0.160
	योग	1 ✓	0.632 ✓	0.160 ✓
78	संतराबाई पति करण सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	3/413/2	1.151	1.151
	योग	1 ✓	1.151 ✓	1.151 ✓
79	सरदार बाई पति उंकार सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु—स्वामी	367/1/1 367/18/1 367/18/2 367/1/12 377/407	0.500 0.750 0.750 0.363 0.455	0.500 0.750 0.750 0.363 0.455
	योग	5 ✓	2.818 ✓	2.818 ✓

80	शान्तीलाल धीरप पिता भागीरथ मु धापुबाई वि. भागीरथ पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी	252/4/3/1 272/2/1/3	0.633 0.316	0.160 0.316
	योग	2 ✓	0.949 ✓	0.476 ✓
81	सुन्दर बाई पति भंवरलाल बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	367/21	2.370	0.711
	योग	1 ✓	2.370 ✓	0.711 ✓
82	सम्पत बाई पल्ली मोतीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	5/13	1.856	1.856
	योग	1 ✓	1.856 ✓	1.856 ✓
83	हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	11/4/1 379/399/4/1 23/410/1	0.500 1.265 0.348	0.500 1.265 0.348
	योग	3 ✓	2.113 ✓	2.113 ✓
84	हमीरसिंह छोटेलाल पिता सांवतसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	342	0.316	0.316
	योग	1 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
85	हीरलाल पिता भंवरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	33/3 39 40 42 43 46/3 229/3	0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034	0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034
	योग	7 ✓	1.300 ✓	1.300 ✓
86	हरिसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	232/3 311/10/1/1 153/390/2 154/391 159/392 160/393	0.123 3.886 0.021 0.025 0.038 0.076	0.123 2.768 0.021 0.025 0.038 0.076
	योग	6 ✓	4.169 ✓	3.051 ✓
87	प्रेमसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	225/3 227/1/3	0.029 0.022	0.029 0.022
	योग	2 ✓	0.051 ✓	0.051 ✓
88	औमप्रकाश भगवानदास कमलदास चन्द्रकला भगवती अशोक पिता केसरदास सुन्दरबाई पति केसरदास बैरागी नि. ग्राम भु- स्वामी	367/1/2	1.000	1.000
	योग	1 ✓	1.000 ✓	1.000 ✓
89	भंवरिया विजयसिंह धनश्याम पिता कनीराम मु. मीराबाई बेवा कनीराम जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	70/416	0.455	0.455
	योग	1 ✓	0.455 ✓	0.455 ✓
90	प्रेमसिंह पिता दीपा बरजुबाई बेवा दीपा जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	4/414/6 367/1/10	0.063 0.500	0.063 0.500
	योग	2 ✓	0.563 ✓	0.563 ✓

91	रघुवीर, दिनेश पिता रामप्रसाद अयोध्याबाई बेवा रामप्रसाद जाति गाडरी नि. ग्राम भू- स्वामी	370/1/2	2.000	1.400
	योग	1 /	2.000 /	1.400 /
92	कंचनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/3	1.000	0.010
	योग	1 /	1.000 -	0.010 -
93	रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	63/5	2.530	1.450
	योग	1 /	2.530 /	1.450 /
94	देवबाई, गीताबाई, संतोषबाई, गंगाबाई, रमाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	63/6	0.795	0.795
	योग	1 /	0.795 /	0.795 /
95	नेनीबाई बेवा दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/2/2/1	1.916	1.916
	योग	1 /	1.916 -	1.916 -
96	विजयसिंह पिता पुरालाल सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	225/1 227/1/1	0.029 0.022	0.029 0.022
	योग	2 /	0.051 -	0.051 -
97	सांवला आम्बा पिता उमराव जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	230/1	0.160	0.160
	योग	1 /	0.160 /	0.160 /
98	छोटेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी	357/5/3	0.018	0.018
	योग	1 -	0.018 -	0.018 -
99	जोसनाबाई पति विजयसिंह जाति चारण नि. ग्राम भू- स्वामी	362/1/2 369/2/1	1.247 0.563	0.140 0.563
	योग	2 /	1.810 /	0.703 -
100	भंवरलाल पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/4	0.500	0.200
	योग	1 /	0.500 /	0.200 /
101	कालू पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/5	0.500	0.300
	योग	1 /	0.500 /	0.300 /
102	धन्ना पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/7	0.378	0.378
	योग	1 /	0.378 /	0.378 -
103	धन्नालाल पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	368/3/3	0.827	0.827
	योग	1 /	0.827 /	0.827 /
104	प्रेमसिंह पिता सब्बा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/9	0.500	0.500
	योग	1 /	0.500 /	0.500 /
105	गोपीलाल, लालसिंह पिता धूलजी, बचना बाई बेवा हीराबाई पिता धूलजी, शिवलाल, अमरसिंह पिता भोना, फूलसिंह पिता पेमा मु. भूरीबाई बेवा पेमा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/4 368/2	0.569 0.759	0.150 0.151
	योग	2 /	1.328 /	0.301 -
106	प्रेमबाई पिता मानसिंह जाति बृजा नि.ग्राम भू-स्वामी	369/2/3	0.759	0.759
	योग	1 /	0.759 /	0.759 /

107	हमीरसिंह पिता सांवतसिंह जाति चारण नि. ग्राम भू- स्वामी	370/5 /	3.794	2.700
	योग	1 /	3.794 /	2.700 /
108	किशोर पिता देवीलाल जाति परथी नि.ग्राम भू-स्वामी	372/2/3/3	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.114
109	माखनलाल पिता किशनलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम अतंरालिया भू- स्वामी	379/2	2.000	0.200
	योग	1 /	2.000 /	0.200 /
110	मांगीलाल पिता हजारी जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	385/1/2	1.000	0.600
	योग	1 /	1.000 /	0.600 /
111	चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2/2	0.158	0.158
	योग	1 /	0.158 /	0.158 /
112	देवबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/4/2	1.145	1.145
	योग	1 /	1.145 /	1.145 /
113	नारायणसिंह, रामचन्द्र पिता उंकारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	296/3	0.038	0.038
	योग	1 /	0.038 /	0.038 /
114	पर्वतसिंह, संतोषबाई, सुनीताबाई पिता उंकार, सूरजबाई बेवा उंकारसिंह, नारायणसिंह पिता बिहारीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	367/2/1/1	0.230	0.230
	योग	1 /	0.230 /	0.230 /
115	बल्लभबाई पति प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	27/1/2	0.573	0.573
	योग	1 /	0.573 /	0.573 /
116	रशबाई पति भगवानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2/1 /	0.158 /	0.158
	योग	1 /	0.158 /	0.158 /
117	लालसिंह, बजेसिंह पिता मांगीलाल, प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	267/2/4/1	0.234	0.234
	योग	1 /	0.234 /	0.234 /
118	सरदारबाई पिता नवल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	280/2/3 /	0.015	0.015
	योग	1 /	0.015 /	0.015 /
119	विष्णु पिता गणपत, सोहदरबाई बेवा गणपत जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	368/1/2	2.000	0.400
	योग	1 /	2.000 /	0.400 /
कुलयोग :-		227 /	130.016	100.918 /

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र./ए./13808

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिये दूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - सुरजपुरा		तहसील - जीरापुर		जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		अर्जित रकबा
		कुल रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉथ परियोजना के निर्माण में एवं दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	15.926		13.510 ✓
	योग	15.926		13.510

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉथ परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	मॉबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा				
					2	3	4	5	6
1	चंद्र सिंह आ. रुगनाथ जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9717994064		88/1 ✓	2.023 ✓			1.763 ✓	
	योग				2.023 ✓			1.763 ✓	
2	देवीसिंह पिता भगवान सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111279578		88/4 ✓	2.023 ✓			0.150 ✓	
	योग				2.023 ✓			0.150 ✓	
3	पान बाई पति भंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174246704		88/8 ✓	2.000 ✓			1.820 ✓	
	योग				2.000 ✓			1.820 ✓	
4	रोडीलाल आ० समदा जाति अहीर पता निवासी ग्रेम भूमि स्वामी	7697726293		88/10 ✓	2.023 ✓			2.023 ✓	
	योग				2.023 ✓			2.023 ✓	
5	कृष्णबाई पति कालू सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7773018041		88/13 ✓	2.023 ✓			2.023 ✓	
	योग				2.023 ✓			2.023 ✓	

6.	शिवलाल आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111821387	88/15/1	1.012	1.012
	योग			1.012	1.012
7.	श्याम सिंह पिता हिन्दु सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977965787	88/15/2/1	1.011	1.011
	योग			1.011	1.011
8.	निर्भय सिंह पिता बद्रीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111821387	88/15/2/2/1	0.700	0.700
	योग		88/15/2/2/2	0.312	0.312
	योग			1.012	1.012
9.	हिन्दूसिंह आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977965787	88/15/3	0.506	0.506
	योग			0.506	0.506
10.	अमर सिंह पिता कनीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120474932	88/15/4	0.506	0.506
	योग			0.506	0.506
11.	नन्दा पिता छोतर जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7770915292	88/36	0.173	0.070
	योग		88/66	0.400	0.400
	योग			0.573	0.470
12.	विष्णुप्रसाद, भगवान सिंह पिता अमर सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्रेम भूमि स्वामी	9009582645	88/50	1.214	1.214
	योग			1.214	1.214
		महायोग		15.926	13.510

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू—अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 16 मई 2017

पत्र क्र./ए./13852-प्रवा.-2017

अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली हेतु तहसील व जिला राजगढ़ की खाडियापुरा एवं खीमाखेड़ी की प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्व, क्रमवार विवरण अनुसूचि में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निम्न अनुसूचि में वर्णित भूमि की अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के टंकी निमार्ण तथा अन्य निमार्ण में प्रभावित भूमि :—

ग्राम खाडियापुरा एवं खीमाखेड़ी

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4			
1	बापूलाल पिता दवेजी जाति सौंधिया	25/2	0.861	0.120	0.000	0.0120
		26/2	0.151	0.012	0.000	0.012

2	संजय कुमार विजय कुमार विनय कुमार पिता श्री गोरखनलाल	26/1	0.456	0.007	0.000	0.007 /
3	रोडजी पिता हीरलाल	27/1/1	2.119	0.005	0.000	0.005 /
4	कंवरलाल बनेसिंह धिरपसिंह पिता भंवरलाल	27/4	0.949	0.112	0.000	0.112 /
5	रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया	27/5	0.379	0.254	0.000	0.254 /

## ग्राम खिमाखेड़ी

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4			
1	गोकुलबाई पिता भंवरलाल	86/2	0.797	0.025	0.000	0.025 /
	योग :-		5.712	0.535	0.000	0.535 /

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के गाज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तस्वीर कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सागर, दिनांक 17 मई 2017

क्र. 63अ-82-16-17-4855

मौजा मढ़खेरा जागीर पट. ह. नं.-130, तहसील सागर

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पदने की संभावना है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत

**State Level Expert Appraisal Committee** के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण : सागर
  1. जिला : सागर
  2. तहसील : सागर

3. ग्राम : मढ़खेरा जागीर  
 4. पट.ह.नं.- 130  
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 8.005 है।

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रानी दुलेया बेवा हनुमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	91	1.040	0.084	
2	जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92	1.060	0.076	
3	भूपेन्द्र सिंह पिता फेरनसिंह, सुषमा पुत्री फेरनसिंह, चंद्ररानी बेवा फेरनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/1	0.650		
4	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/2	2.000	0.400	
5	रोहित नावालिंग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/3	2.900		
6	रोहित नावा. बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/4	1.550		
7	रामपालसींग नावा. बल्द अर्जुनसींग पूरनसींग नावा. बल्द गनेश सींग अज्ययपाल न्हूवा. बल्द रूपसींग वली देवीसींग बल्द मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97/1	1.910	0.016	
8	देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/2	1.200	0.308	
9	रमेश पिता लखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	144	0.920	0.138	
		भूमिस्वामी	145	1.320	0.013	
10	कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147	0.290	0.132	
11	कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148/1	1.910	0.506	
12	रगवीर पिता ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148/2	3.820		
13	धूमन सिंह पिता रगवीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	150	0.520	0.204	
14	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	151	0.300	0.002	
15	कीरत सिंह पिता प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159	0.650	0.194	
		भूमिस्वामी	176/1	1.800	0.396	
16	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	160	1.660	0.042	
17	रोहित नावालिंग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	179	2.730	0.124	
18	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	181	1.200	0.212	
		भूमिस्वामी	210	0.550	0.024	
19	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	182	0.240	0.072	
20	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183/1	2.020	0.204	
21	रोहित नावालिंग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183/2	0.500		

22	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/1	1.870	0.264
23	रोहित नावालिंग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/2	0.400	
24	विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.280	0.384
25	देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/2	0.800	
26	आनंद पिता प्रानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/2	0.610	0.196
		भूमिस्वामी	206/7	1.000	0.088
27	रामजीसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/3	0.400	0.019
28	प्रकाश बल्द दुरगसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/8	0.400	0.196
29	भागीरथ पिता मठोला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	223	0.190	0.072
30	देवेन्द्र सींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/1	0.580	0.114
31	हरीसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/2	0.480	0.114
		भूमिस्वामी	225	0.100	0.036
32	मन्नू पिता छोटेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226	0.610	0.160
33	सुनील पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239	1.330	0.136
34	प्यारेलाल पिता हीरा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/1	— 0.700	0.172
35	विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/1	2.130	0.120
		भूमिस्वामी	251/2	0.800	
36	राजकुमार पिता हनमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/1	0.230	0.168
37	चैनसींग पिता हनमत सिंह सविता बाई पति चैन सिंह रूपवती सविन मोनिका अनुज ना.बा. बल्द चैन सींग वली मॉ सविता बाई पति चैनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/2	0.080	
38	शांति बाई पत्नि जगभान सिंह साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/3	0.240	
39	जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/4	0.230	
40	बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	998	0.400	
41	रतन पिता हल्के साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/1	1.700	0.176
42	नवलसींग पिता मनमोद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/2	2.400	
43	महेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर साकिन रजवांस भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/4	0.400	
44	शालकराम पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1002	1.380	
45	बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1003	1.840	0.224
46	राकेश सोमनाथ धरमदास दिलीप कुलदीप सावित्री, कौशल्या पिस. घसीटा रामरानी बेवा घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1008/1	1.550	0.392
47	राकेश पिता घसीटे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1008/2	1.300	

48	सपना दुर्गा सुनीता संध्या हेमलता कल्लोबाई नावा, पुत्री माखन वली व खुद माँ सोनाबाई वेवा माखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1010/1	0.760	0.028	
49	सोमनाथ पिता घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1010/2	0.400		
50	सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.387	
		भूमिस्वामी	1015	0.940	0.308	
51	राजकुमार पिता हनमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/1	0.100		
52	चेनसींग पिता हनमत सिंह, सविताबाई पति चैनसिंह, रूपवती, सचिव, मोनिका, अर्जुन नाबालिग वल्द चेनसींग वली माँ सविताबाई पति चेनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/2	0.110	0.002	
53	शांति पति जगभान साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/3	0.110		
54	जानकी प्रसाद गोबन्दी पिता गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/4	0.100		
55	अरविन्द पिता राजा सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1026	0.350	0.176	
		भूमिस्वामी	1032	1.150	0.340	
56	काशीबाई वेवा मंगल सींग देवीसींग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1027	0.200	0.004	
		भूमिस्वामी	1029	2.450	0.001	
		भूमिस्वामी	1039	0.890	0.024	
57	काशीबाई वेवा मंगल सींग देवीसींग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1030/1	0.150	0.116	
		भूमिस्वामी	1030/2	0.150		
		भूमिस्वामी	1030/3	0.150		
		भूमिस्वामी	1030/4	0.150		
58	राजासिंह पिता मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1031	1.000	0.196	
		भूमिस्वामी	1033	0.930	0.001	
		भूमिस्वामी	1034	0.540	0.072	
59	वीरसींग यशवंत सींग पिता नरानसींग लीलाबाई उषाबाई शीलाबाई पुत्री नरानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1036	1.100	0.001	
60	गोविन्द सिंह पिता राजासिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1037	1.600	0.124	
योग:-			75	72.720	8.005	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वृत्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्वृत्तवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के सम्बन्धीय यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 64अ-82-16-17-4856

मौजा बेरखेड़ी मड़िया, पट. ह. नं.-133, तहसील सागर

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-ITOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8(2) के पांतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनात्मक नहर निर्माण
(2)	भूमि का विवरण	:	सागर
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	बेरखेड़ी मड़िया
4.	पट.ह.नं.-	:	133
5.	अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :	:	1.455 है।

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकम (हेक्टेयर में)	अंजित रकम (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	विन्द्रावन वल्द निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	240	1.600	0.048	
2	श्री देवी दुर्गाजी मुह.महराजसींग वल्द घरमसींग पता सा. देह	भूमिस्वामी	241	5.250	0.720	
3	राजकुमार वल्द रूपसींग पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	242	0.550	0.130	
4	रूपसींग गोविंदसींग पिस. डोमन अवधरानी बेवा डोमन पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	243	4.350	0.293	
5	हिम्मत बल्द छुटटी गुमानोबाई पुत्री छुटटी भगोतीबाई बेवा छुटटी दलपत मगल पिता नंदलाल माखन गुड्डू नावा. पिस. रज्जू बली मा सुहागरानी पति राजू पता सा. अगरा	भूमिस्वामी	245	6.180	0.264	
योग:-			05	17.930	1.455	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नवव्या (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 65अ-82-16-17-4857

मौजा सींगना, पट. ह. नं.-131, तहसील सागर

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं। भूमि सिवित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण  
     1. जिला : सागर  
     2. तहसील : सागर  
     3. ग्राम : सींगना  
     4. पट.ह.नं.- : 131  
     5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : ३.७५... है।

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (डिक्ट्यर में)	अर्जित रकवा (डिक्ट्यर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/1	0.750		
2	कमल राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/2	0.800	0.048	
3	शंकरसींग बल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	302	1.610	0.396	
4	उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/1	0.660		
		भूमिस्वामी	326/2	0.300	0.031	
5	दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/1	1.220		
	उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/2	0.300	0.408	
6	दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	337	1.260	0.216	
7	प्रकाश पिता बंशी साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	341/1	0.510	0.132	
8	प्रकाश, देवेन्द्र वीरेन्द्र धर्मेन्द्र पिता बंशी, मीनू पिता बंशी, फूलाबाई बेवा बंशी साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	341/2	1.210	0.281	
9	बारलाल बल्द ब्रजा हल्का पिता धासी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/1	0.540		
10	केशाराम पिता दुर्जन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/2	0.630	0.191	
11	शिवराज पिता रूपसींग जमना मानसींग पिता हल्कू श्यामरानी बेवा हल्कू मुरलीधर कुन्तीबाई पिस. गनेश कमलरानी बेवा गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	355	1.850	0.180	

12	भागीरथ पिता हरी सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/1	1.260	0.336	
13	राजाराम बल्द ललजु साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/2	0.410		
14	नरबदा पिता भागीरथ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/3	0.200		
15	हल्लेभाई पिता भागीरथ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/4	0.600		
16	गजराजसींग पिता गनेशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	366	0.600		0.151
17	उदयभान पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	389	0.800	0.054	
18	गजराजसींग पिता खिलनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	390	0.820	0.280	
19	सराजेरानी बेवा विन्द्रावन कमलेश माधव नावा. पिता विन्द्रावन वली माँ सरोजरानी बेवा विन्द्रावन, गीताबाई कुवरबाई पिता विन्द्रावन वली माँ सरोजरानी बेवा विन्द्रावन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/1	1.090	0.012	
20	कमलेश माधव नावा बल्द विन्द्रावन गीताबाई कुवरबाई नाबालिंग पुत्री विन्द्रावन वली आजा गजराज वल्द खिलान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/2	0.550		
21	गनेशप्रसाद पिता बद्दूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	392	1.470	0.324	
22	बलराम, मुकेश पिता हल्कू तुलसाबाई बेवा हल्कू चन्द्राबाई ललताबाई राजकुमारी सपना पुत्री हल्कू साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	393/1	0.480	0.012	
23	रवि, राहुल, देवकी पिता हल्लूराम साकिन मोहननगर वाड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	393/2	1.200		
24	रमेश पिता लखन सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/1	1.370		
25	उदयभान पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/2	1.370	0.402	
26	कृष्णकुमार पिता लखन सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/3	1.370		
27	दिनेश सींग नावा. वल्द व वली कृष्णसींग वल्द लखनसिंह साकिन बदौना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/4	1.370		
28	बलराम पिता गरीब दास साकिन तिली वाड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	377/1	0.360		0.173
		भूमिस्वामी	377/3	0.890		
29	सुहागरानी पति रामलाल साकिन बाढलोन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	417	1.410	0.312	
30	दरयावर्सींग पिता अजीता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	418	0.720	0.012	
योग—			34	30.360	3.951	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सियाठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षय यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर स्वं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला—सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 66अ-82-16-17-4858

मौजा पिपरिया, पट. ह. नं.-129, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 28 / 10 / 2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	पिपरिया
4.	पट.ह.नं.-	:	129
5.	अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :		1.898 हैं।

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में )	अर्जित रकवा (हेक्टर में )	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	बलराम पिता रन्जोर शा. देह	भूमिस्वामी	147/1	0.560		
2	सीतारामसींग, गोविन्दसींग पिता रन्जोरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	147/2	0.550		
3	विजयसींग पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	147/3	0.280	0.136	
4	भूपेन्द्र सुरेन्द्र पिता बदन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	147/4	0.280		
3	महादेव पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	147/5	0.550		
4	भगवान सींग वल्द थानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	150	1.080	0.044	
5	महादेव पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/1	1.930		
6	गोरी पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/2	1.930	0.248	
7	चतुर्भुज पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/3	1.920		
8	अनूपरानी पति मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/1	0.590		
9	स्वदेश पिता मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/2	2.000		
10	सतेन्द्र बल्द मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/3	2.000	0.636	

11	राधवेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	262	0.740	0.031	
12	महेन्द्रसिंग पि. भगवानसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	164	0.600	0.014	
13	निर्भय सिंग वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	138	0.010	0.284	
14	प्रेमसींग पिता अमोलसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	169	0.060	0.003	
15	प्रभु वल्द परमू साकिन देह	भूमिस्वामी	170	0.050	0.016	
16	राजेन्द्र पिता बैजनाथ गीता बैवा बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	172	0.100	0.012	
17	सीतारामसिंग गोविन्दसिंग पिता रनजोरसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	173	0.060	0.012	
18	सुके गोविन्द पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	178/1	0.050	0.002	
19	दामोदर द्वारका गुड़ा संजय प्रभाबाई इमरती पिता बिहारी शा. देह	भूमिस्वामी	178/2	0.060		
20	अरविन्द सुरेन्द्र पिता प्रतापसिंह रामरानी बैवा प्रतापसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	183	0.380	0.159	
21	गणेश सिंह पिता विजयसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	184	0.620	0.154	
22	सुरेन्द्र सिंग पिता वदनसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	265	1.310	0.148	
योग:-			24	17.750	1.898	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 67अ-82-16-17-4859

मौजा बम्होरी, पट. ह. नं.-133, तहसील सागर

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक

लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संवंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	बम्हौरी
4.	पट.ह.नं.-	:	133
5.	अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :		0.923 है।

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में )	अंजित रकवा (हेक्टर में )	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	दीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	209	3.040	0.112	
2	निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग पता सा. पिपरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	210	2.750	0.168	
3	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	311/320	0.480	0.435	
4	प्रीतमसींग गबरसींग पिता चंदन सींग साकिन मढ़खेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312	1.540	0.208	
योग:-			04	5.060	0.923	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संवयवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.आ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 68अ-82-16-17-4860

मौजा बिलहरा, पट. ह. नं.-134, तहसील सागर

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 / 10 / 2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिवित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| (1) परियोजना का नाम                    | : | परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण                      |   |   |
| 1. जिला                                | : | सागर  |
| 2. तहसील                               | : | सागर  |
| 3. ग्राम                               | : | बिलहरा  |
| 4. पट.ह.नं.-                           | : | 134   |
| 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : | 2 | 15.324 है।                                    |

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्थानित्य का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में )	अर्जित रकवा (हेक्टर में )	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देव जानकी रमणमंदिर विन्द्रावन वाग सागर मुहतमकार महत नरहरिदास चेला श्यामबिहारी दास साकिन सागर भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	645	3.820	0.039	
2	हरिभगवान लखनसिंह पिता भैयालाल कुंवरबाई बेवा भैयालाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	648	0.290	0.005	
		भूमिस्वामी	679	2.600	0.330	
3	सियारानी बेवा गुलाब सींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	655	0.660	0.102	
4	नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	656	1.090	0.228	

5	बंसत कुमार पिता सतनारायण सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	657	0.500	0.114	
6	डगारसिंह पि. गुलाबसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	658	0.590	0.105	
7	बिजेन्द्र सिंह वल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	659/1	0.420	0.075	
8	कृष्णसींग वल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	659/2	0.410		
9	भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	660	1.490	0.480	
10	लछमनसींग नन्हेभाई पिता नन्हसींग बड़ीबहू बेवा नन्हसींग प्रहलादसींग सनमूरतसींग पिता भैयालाल पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	677	3.090	0.498	
11	मीकम सींग निरभे सींग वीरसींग पिता जगन्नाथ अवधरानी बेवा माधवसींग लालसींग, राजू प्रथम पिता माधवसींग, कृष्णाबाई कमलेश बाई पुत्री माधवसींग काशीबाई पुत्री जगन्नाथ सींग रघुवीर सींग सूरजबाई पुत्री जगन्नाथ पति नरायण जीराबाई पुत्री जगन्नाथ पति बहादुरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	678	1.990	0.384	
12	रतन पिता कुदरे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	744	1.320	0.060	
13	शेखमुहम्मद आरिफ पिता शेखखुमान साकिन भगतसींग वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	751	0.310	0.300	
14	बहीदन पति सुबराती साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	752	1.270	0.312	
15	मोहम्मद इन्दियाल वल्द खुमान पता साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	753	0.680	0.078	
16	मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	754/1	0.150	0.425	
		भूमिस्वामी	754/2	0.300		
17	आशीष बल्द यशोदानंदन सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	754/3	0.100		
18	मनीष पिता यशोदा नंदन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	755	1.240	0.240	
19	विष्णु पिता पंचम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	764/1	2.050	0.012	
20	अमरसींग पिता चेतु साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	764/2	2.050		
21	दुलारी बेवा पुन्नी मुरलीधर पिता गुवन्दी इन्द्रानी बेवा सुकके साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/1	0.320	0.102	
22	विष्णुप्रसाद पिता पंचम सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/2	0.150		
23	अमरसींग बल्द चेतु सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/3	0.150		
24	बैजनाथ पिता भैयालाल सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/4	0.150		
25	कृपाशंकर लज्जाशंकर पिता कुन्दनलाल सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/5	0.150		
26	मुरलीधर पिता गुवन्दी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	766	1.830	0.240	
27	कमल क्रांती पत्नि संतोषकुमार पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	770	2.370	0.522	
28	श्री देव जगन्नाथ जी स्वामी मंदिर बाके देह मुह. नरसिंहदास चेला महन्त रामदास जितेन्द्र कुमार चेला महन्त रामदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता निवासी चेदान्ती पंतनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	783	9.240	1.296	
29	ममताबाई पति धनीराम साकिन मकरोनिया सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	785/1	0.270	0.288	
30	अमित पिता ब्रजमोहन साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	785/2	1.000		
31	ऋषभ कुमार किशोरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	785/3	0.600		
32	पुष्पेन्द्र, दीपेश नाबालिंग वल्द व वली मनमोहन साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	803/1	1.560	0.204	
33	अमिषेक, हेमत वालिंग वीरेन्द्र नाबालिंग पिता व वली भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	803/2	0.060		

34	रामसेवक, आकाश नाबालिंग पिता दामोदर वल्ड व वली परमानंद साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	804/1	0.100	0.240	
35	अभिषेक, हेमत वालिंग वीरेन्द्र नाबालिंग पिता व वली भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	804/2	1.500		
36	रामसेवक, आकाश नाबालिंग पिता दामोदर वल्ड व वली परमानंद साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	805	1.460	0.168	
37	भरत पिता पुरुषोत्तम पता सा. सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	806	1.280	0.138	
38	प्यार कस्सी हरीराम पिता पचू, पूनाबाई, नन्हीबाई पुत्री पचू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1302	0.360	0.158	
39	युनुस वल्ड शेख मुहम्मद साकिन सदर बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1303	0.800	0.031	
40	गोविन्दसिंग तोरनसिंग पिता महीप सींग लक्ष्मन सींग श्रीसिंग महराजसिंग पिता कोट्सिंग पता सा. खुरई थावरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1307	6.610	0.384	
41	हरीराम पिता प्यारेलाल दुलारी बेवा प्यारेलाल गणेश पिस. मुलू मगन पिता चूरामन पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1342	1.820	0.786	
42	रामबाई बेवा किशोर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1343	1.230	0.069	
43	बाबूलाल पिता चन्द्रशेखर पता सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1344	1.000	0.217	
44	सूरजबाई पत्नि बाबूलाल पता सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1345	0.930	0.380	
		भूमिस्वामी	1348	0.550	0.045	
45	फुलू पिता वट्टू पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1346	0.410	0.120	
46	रामरानी पत्नि फुलू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1349	0.760	0.220	
	गणेश पि. टुन्डा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1357	0.270	0.012	
		भूमिस्वामी	1359	0.360	0.180	
47	रामरानी पति फुलू राधारानी पति कहेयालाल सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1358	0.600	0.324	
48	कृपाशंकर लज्जाशंकर पिता कुन्दनलाल सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1369/2	0.380	0.204	
49	रमेश उर्फ घनश्याम पिता रामरतन साकिन तिलीमाझी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1360	1.290	0.326	
50	छवरानी बिधवा छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1368	1.170	0.392	
51	बैजनाथ पिता भेयालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1369/1	0.390	0.232	
52	कृपाशंकर, लल्जा शंकर कुन्दनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1369/2	0.380		
53	लल्लूबाई मनोज नरेन्द्र पिस. बबू सियारानी बेवा बबू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1417	1.530	0.260	
54	रविशंकर पिता दीननाथ पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1418	2.970	0.666	
55	काशीराम पिता भूरा केवलारी बारी बेवा भूरा पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1419	1.480	0.250	
56	मनोहर महेन्द्र नरेन्द्र पिता माधव साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1421	1.310	0.284	
		भूमिस्वामी	1422	1.510	0.432	
57	नर्मदाप्रसाद पिता कामता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1423/1	0.660	0.228	
58	रुकमणी पत्नि देवीदयाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1423/2	1.800	0.168	
59	मृगेन्द्रदत्त वल्ड मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1425	0.350	0.006	
60	परमाबाई बेवा जगमोहन शांतिबाई, सावित्रीबाई, चिरई पिता जगमोहन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1426	1.640	0.324	
61	गोकल पिता गफलू साकिन देह सेवाखातेदार	भूमिस्वामी	1434	0.420	0.144	
62	राजेश कुमार वल्ड धरनीधर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1435	1.700	0.125	

63	अम्बिका प्रसाद रेवाराम प्रकाश छोटेलाल पिता मुरलीधर क्रान्तीबाई पुत्री मुरलीधर पति देवेन्द्र कुमार पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1441	2.630	0.400	
64	रामरानी पुत्री लक्ष्मीनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1442	0.960	0.228	
65	किशनलाल लक्ष्मीनारायण भैयालाल सुदामाप्रसाद पिता नन्हेलाल सीताराम भगवानदास पिता रामाप्रसाद उमिला सावित्री सरोज पुत्री रामाप्रसाद रूपरानी वेवा रामप्रसाद, देवेन्द्र, ओमकार, भगवतशरण, दिवेश पिता प्रभुदयाल, पुष्पा, रजनी पुत्री प्रभुदयाल, रामरत्नबाई वेवा प्रभुदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1443	0.720	0.100	
66	राजेश राजा पिता आशाराम अन्नपूर्णा सुन्दरी नीलम पुत्री आशाराम विमला वेवा आशाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1452	0.130	0.002	
67	श्रीमति लता पति भगवतशरण साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1453	1.420	0.420	
68	हीराला बल्द मिहीलाल संतोषरानी पति बालमुकुद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1456/1	0.050	0.052	
69	राजेश, राजा पिता आशाराम, अन्नपूर्णा सुन्दरी, नीलम पुत्री आशाराम विमला वेवा आशाराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1456/2	0.080		
70	हीरालाल पिता बालमुकुन्द पिता मिही लाल	भूमिस्वामी	1457	1.690	0.204	
71	नन्हा पिता रामलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1458	1.200	0.264	
72	पूरन दामोदर आशाराम पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1459/1	0.650	0.650	
73	जमना पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1459/2	0.640		
74	लक्ष्मन बल्द जवाहर सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1460/1	1.500	0.282	
75	साहाब सींग बल्द जवाहर सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1460/2	1.500		
76	कमल पिता उमराई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1467	0.190	0.003	
77	शारदाबाई पति जवाहर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1468	0.780	0.235	
		भूमिस्वामी	1469	0.400	0.028	
78	कलू भारीख छीरालाल पिता बट्टे रेवा पिता मुरलीधर भगवत, हरभजन नावालिंग पिता परमलाल पालक माँ रामवती पति परमलाल, आशाराम पिता प्यारेलाल, बृजरानी वेवा दशोदा, कमलेश पिता दशोदा, वरीता, गुड़न, अकली पुत्री दामोदर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1474	2.860	0.816	
योग:-			84 किता	100.69	15.324	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 69अ-82-16-17-4861

मौजा निटरी, पट. ह. नं.-122, तहसील सागर

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विमान जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की समावेश है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 / 10 / 2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधान निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम	: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनानांतर्गत नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण	
1. जिला	: सागर
2. तहसील	: सागर
3. ग्राम	: निटरी
4. पट.ह.नं.-	: 122
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :	3.628 हैं।

संख्या क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्थानिक का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकम (हेक्टेयर में)	अर्जित रकम (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शोभा बल्द हल्का पता साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	103	3.140	0.029	
2	माधव भूपत रामप्रसाद पिता हल्का पता सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	104	2.600	0.068	
4	भारीरथ बल्द हल्का पता सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	105	0.260	0.246	
3	कन्छेदी पिता कलू साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/1	1.900	0.198	
4	इमरती बाई पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/2	1.900		
5	नरेश पिता कन्छेदी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/3	0.560		
6	धर्मचंद भागचंद उत्तमचंद पिता अयोध्याप्रसाद मुन्नी बाई कमलाबाई पिता अयोध्याप्रसाद पता बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126	0.410	0.414	
7	सुगीलकुमार उर्फ रीतुलकुमार बल्द रमेशचंद पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/1	3.200	0.828	
8	राजेंद्रकुमार उर्फ रीतेश-कुमार बल्द रमेशचंद पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/2	2.990		
9	मोनू उर्फ राहुल कुमार बल्द महेन्द्रकुमार साकिन बड़बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/3	3.250		
10	अर्धित कुमार ना. बा. बल्दवली संतोषकुमार पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/4	3.240		
11	रामकिशन हनुमत मोहन सुन्दर पिता गोले भागबाई जानकीबाई पुजी गोले मूलचंद, खेतसिंह, नाहेभाई पिता खुशाल साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	130/1	0.310	0.360	
12	धर्मचंद भागचंद उत्तमचंद पिता अयोध्याप्रसाद मुन्नी बाई कमलाबाई पिता अयोध्याप्रसाद पता बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	130/2	0.880		
13	नरेश पिता कन्छेदी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/1	0.800	0.276	
14	राम कुमार पिता कन्छेदी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/2	0.410		
15	राधे महराज सींग पिता मनमोहन सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	142/1	1.260	0.396	
16	आशीष बल्द अशोक कुमार साकिन बाहूबली कालोनी सागर	भूमिस्वामी	142/2	1.240		
17	पवन कुमार पिता रवि शंकर तिवारी साकिन देह	भूमिस्वामी	189	0.330	0.174	
18	पुष्पा पति जगदीश पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	0.630	0.423	
योग			20	32.260	3.628	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन समाग्र क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अधिकार कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.आ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश

क्र. 1766-भू-अर्जन-2017

अधिसूचना (प्रारूप खा)

नियम 5 का उपनियम(2)

राजपुर, दिनांक 23 मई 2017

प्रकरण क्रमांक ०१ /अ-८२/२०१६-१७ अतएव राज्य सरकार को लोकहित में आवश्यक प्रतित होता है कि सेगवाल तालाब योजना की बायी तट नहर (फेस-२) के निर्माण अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम हसनखेडी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में म.प्र.राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी जिला बड़वानी द्वारा भूमिगत पार्श्व लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतित होता है कि उक्त भूमि में जिसमें भूमिगत पार्श्व लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पार्श्व लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम २०१२ (क्रमांक ५ सन् २०१३) की धारा-३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इव कीस दिवस के भितर, भूमि के निचे पार्श्व लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर जिला बड़वानी म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:- अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बड़वानी	ठीकरी	हसनखेडी प.ह.नं. २०	73/2	0.078
			130/2	0.330
			130/3	0.378
			135/2	0.369
			145	0.263
		कुल योग	05	1.418

बी. एम. कलेश, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई 2017

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17

प्रकरण क्र. 28/अ-82/2015-16 ग्राम टीकमगढ़, चौकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भवन/परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भवन/परिसम्पत्तियों की बान सूजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भवन/परिसम्पत्तियों की क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ऐ भोपाल दिनांक 12 नम्बर 2014 की कांडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि क्रय की जाने वाली भवन/सम्पूर्ण या उसके किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय व्यक्ति वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य का किसी प्रकार का कोई हित, स्वतंत्र, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त संपत्ति कहीं रहन, भार, संस्करण, बदल, दाननदेह में आदि हो तो वह इस सूचना-पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में सम्प्रभाव दर्शावेज भेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के प्रश्नात् किसी प्रकार का दावा, स्वतंत्र या आपत्ति बंदनकारी नहीं होगी, अधिहस्त्राकर्ता इस संपत्ति का क्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे। आपसी सहमति के भवन/परिसम्पत्तियों के क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ऐ भोपाल दिनांक 12 नम्बर 2014 की कांडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भवन/परिसम्पत्तियों की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम

2. भवन/परिसम्पत्तियों का विवरण

- बानसुजारा बांध परियोजना जिला टीकमगढ़

- ग्राम डोगरपुर तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़

अंजित भवन/परिसम्पत्तियों का कुल क्षेत्रफल - 10587.70 वर्ग मीटर

संक्र.	भवन स्वामी का नाम व पिता का नाम	पिलिन्थ परिया वार्ग मीटर में	ग्राम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6
1	गोकल यादव पुत्र कुल्ली	167.11	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
2	गोपी यादव उर्फ रामगोपाल पुत्र गोकल	92.49	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
3	गोहन यादव पुत्र कुल्ली	207.95	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
4	प्रेमलाल यादव पुत्र शुभत	149.61	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
5	रत्नी यादव पुत्र बल्दू	240.89	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
6	चुनीलाल चढार पुत्र हिर्झा	100.3	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
7	हल्के बाई चढार पुत्र हिर्झा	119.22	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
8	काशीराम यादव पुत्र बालचरण	96.75	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
9	पचम यादव पुत्र काशीराम	58.46	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
10	लखन यादव पुत्र काशीराम	127.63	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
11	बती यादव पुत्र गिज्जू	53.76	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
12	मुल यादव पुत्र गिज्जू	59.53	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
13	चिदू यादव पुत्र गिज्जू	110.77	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
14	इमरत लाल यादव पुत्र हरि	88.07	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
15	हरी यादव पुत्र बल्दू	59.74	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
16	मुकेश यादव पुत्र हरी	69.50	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
17	करा यादव पुत्र लब्दू	172.00	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
18	रामदयाल यादव पुत्र कुल्ली	194.39	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
19	रमेश यादव पुत्र फुन्दू	250.59	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
20	रम्जू यादव पुत्र फुन्दू	134.79	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
21	राकेश यादव पुत्र बाबू माधव यादव पुत्र बाबू	291.14	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
22	लखनयादव पुत्र मर्दे	228.49	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
23	भागीरथ यादव उर्फ भागू पुत्र बल्दू	199.96	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़

24	बहोरा बुनकर पुत्र भैयालाल	166.73	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
25	सोवत यादव पुत्र वल्दू सुमन यादव पुत्र वल्दू	176.68	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
26	राजाराम यादव पुत्र लक्षण प्रसाद	452.44	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
27	भगवान वास यादव पुत्र बालचरण	195.71	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
28	अनन्दी यादव पुत्र बालचरण	218.66	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
29	भगवान वास यादव पुत्र बालचरण	129.90	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
30	रामनाथ यादव पुत्र बालचरण	181.27	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
31	दयाराम यादव पुत्र बालचरण	268.22	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
32	राकेश यादव पुत्र भगवानदास, मुकेश यादव पुत्र भगवानदास, राजेश यादव पुत्र भगवानदास	254.22	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
33	शिख यादव वेवा भगवानदास	9.00	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
34	आशाराम यादव पुत्र शमप्रसाद	55.00	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
35	बाबू यादव पुत्र दमरू	85.26	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
36	बृजलाल यादव पुत्र बाबू	29.72	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
37	मुन्ना यादव पुत्र बाबू	21.93	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
38	महेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना	21.93	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
39	राजाराम यादव पुत्र बाबू	76.11	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
40	हरीराम यादव पुत्र बाबू	65.72	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
41	जयराम यादव पुत्र बाबू	22.36	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
42	चुनाई यादव वेवा लक्ष्मण	183.43	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
43	हीरालाल यादव पुत्र भूपति, सिया बाई यादव पत्नी हीरालाल, राजेश यादव पुत्र हीरालाल, सुरेन्द्र यादव पुत्र हीरालाल	240.45	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
44	झापादेवी यादव वेवा ठाकुरदास	86.60	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
45	बैनीबाई अहिरवार वेवा चौदा	24.00	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
46	भूपत यादव पुत्र झल्ले	193.23	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
47	पन्नालाल यादव पुत्र भूपत	93.60	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
48	हरीराम यादव पुत्र अधार	290.57	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
49	करिया बुनकर पुत्र मंकुन्दा	101.83	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
50	हिरालाल चढार पुत्र मंकुन्दा	132.61	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
51	नारायणदास यादव पुत्र मत्थे	178.31	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
52	ठाकुरदास यादव पुत्र कनई	168.03	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
53	मोहन अहिरवार पुत्र तिजूआ	38.61	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
54	मूलचन्द्र अहिरवार पुत्र बल्दुवा	117.71	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
55	गोकल, बैजनाथ अहिरवार पुत्र रघुआ	170.36	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
56	भागीरथ अहिरवार पुत्र जलमा	146.07	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
57	मर्ल अहिरवार पुत्र मलथुआ	151.12	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
58	मूस्ती अहिरवार पुत्र हस्ता	33.00	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
59	घर्मा अहिरवार पुत्र नथुवा	77.83	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़

				टीकमगढ़	टीकमगढ़
60	दमू अहिरवार पुत्र भुल्ली	103.89	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
61	संजू अहिरवार पुत्र नथुवा	81.33	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
62	मोतीलाल अहिरवार पुत्र नथुवा, रति अहिरवार पुत्र नथुवा	107.69	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
63	ललऊ अहिरवार पुत्र गोपला	75.80	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
64	परसादी अहिरवार पुत्र ललऊ	65.20	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
65	किशोरी लाल चढार पुत्र दरक	172.45	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
66	लम्पू चढार पुत्र चालदे	118.67	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
67	तुलसी चढार गनेश	31.71	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
68	प्रेमनारायण चढार पुत्र तुलसी	62.50	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
69	राजेश चढार पुत्र तुलसी	62.75	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
70	मुलुआ चढार पुत्र रतुआ	85.38	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
71	लल्ली चढार पुत्र रतुआ	113.48	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
72	सुककी उर्फ़ सुकली चढार पुत्र लम्पुआ	57.04	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
73	मुन्नीलाल चढार पुत्र लम्पुआ	54.46	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
74	रतुआ चढार पुत्र चालदा	90.66	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
75	मुकेश चढार पुत्र पुनुआ	77.60	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
76	नंदू चढार पुत्र पुनुआ	39.42	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
77	पुनुआ चढार पुत्र रतना	130.68	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
78	तिलइया चढार पुत्र रतना	167.86	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
79	भोहनलाल चढार पुत्र पल्लुआ	117.59	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
80	खुमना चढार पुत्र पल्लुआ	54.40	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
81	अच्छेलाल चढार पुत्र पल्लुआ	70.11	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
82	पहलवान चढार पुत्र पल्लुआ	43.38	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
83	सरमन चढार पुत्र वल्दुवा	141.28	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
84	नन्हीबाई चढार बेवा कप्यवा	91.44	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
85	मनका चढार पुत्र हल्कुवा	121.97	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
86	मुलुआ चढार पुत्र भैयालाल	56.40	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
87	जगदीश चढार पुत्र मुलुआ	30.60	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
88	राकेश चढार पुत्र मुलुआ	30.60	डोगरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़
	गोग—	10587.70			

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है — बानसुजारा बांध परियोजना के ढूब क्षेत्र में प्रभावित भवन / परिस्थिति के अर्जन हेतु ।

4. भवन / परिस्थितियों के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण — अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभ टीकमगढ़ में किया जा सकता है ।

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17

प्रकरण क्र. 28/अ-82/2015-16 ग्राम टीकमगढ़, चौकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित परियोजना डेटु अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भवन/परिस्थितियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भवन/परिस्थितियों की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भवन भोपाल की आपसी सहमति से भवन/परिस्थितियों की क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ऐ भोपाल दिनांक 12 नम्बर 2014 की कड़िका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि क्रय की जाने वाली मकान सम्पूर्ण या उसके किसी हिस्से भाग से किसी भी शासकीय/अद्वैशासकीय व्यक्ति वित्तीय सम्पत्ति कहीं रहन, भार, सम्यक, बंधन, दानमेहर में आदि हो तो वह इस सूचना-पत्र प्रकाशन की दिवस की अवधि में मध्यप्राप्त संपत्ति दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के प्रश्वात किसी प्रकार का दावा, स्वतं या आपसी बंधनकारी नहीं होगी, अधोलिस्त्राकर्ता इस संपत्ति का विक्रय प्रतिफल राखे अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे। आपसी सहमति के भवन/परिस्थितियों की क्रय नीति क्रांतकारी एफ 12-2/2014/सात/2 ऐ भोपाल दिनांक 12 नम्बर 2014 की कड़िका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भवन/परिस्थितियों की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम

- बानसुजारा बांध परियोजना जिला टीकमगढ़

2. भवन/परिस्थितियों का विवरण

- ग्राम धर्मपुरा विलरय तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़

अंजित भवन/परिस्थितियों का कुल क्षेत्रफल - 12881.70 वर्ग मीटर

स.क्र.	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	पिलिन्य एरिया वर्ग मीटर में	ग्राम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6
1	महेश खंगार पुत्र पूरन	107.49	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
2	गोकल खंगार पुत्र हिर्दा	114.97	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
3	लखन ढीमर पुत्र पचुआ एवं जलमा ढीमर पुत्र पचुआ भाग सम	196.44	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
4	बाबूलाल ढीमर पुत्र जगुआ	105.36	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
5	रत्न ढीमर पुत्र जगुआ	64.60	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
6	प्राणी लोधी पुत्र रामदयाल एवं अजदी लोधी पुत्र रामदयाल भाग सम	197.87	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
7	सरजू लोधी पुत्र झलू एवं करण लोधी पुत्र सरजू भाग सम	85.50	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
8	ब्रिजेश लोधी पुत्र धन्या	130.85	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
9	गोवर्धन लोधी पुत्र भवूदी एवं मोतीलाल लोधी पुत्र भवूदी भाग सम	353.99	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
10	धनीराम लोधी पुत्र जशरथ एवं दयाराम लोधी पुत्र जशरथ भाग सम	84.05	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
11	धनीराम लोधी पुत्र जशरथ	61.98	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
12	दयाराम लोधी पुत्र जशरथ	66.84	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
13	गोवर्धन लोधी पुत्र जशरथ	108.64	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़

14	धनीराम लोधी पुत्र जशरथ, दयाराम लोधी पुत्र जशरथ एवं गोवर्धन लोधी पुत्र जशरथ भाग सम	117.40	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
15	दुलीबंद लोधी पुत्र ऊदल	53.92	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
16	बृहियां कुमार पुत्र ऊदल	275.57	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
17	कपूरा ढीमर पुत्र मर्दना	184.69	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
18	झुल्सी ढीमर पुत्र मर्दना	109.90	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
19	रत्तू ढीमर पुत्र गनुआ	76.73	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
20	परमलाल ढीमर पुत्र गनु	48.88	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
21	हरप्रसाद ढीमर पुत्र गनु	66.76	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
22	हीरालाल ढीमर पुत्र लल्लू	71.34	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
23	चन्द्रभान ढीमर पुत्र हीरालाल	36.54	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
24	कन्हैया लाल ढीमर पुत्र हीरालाल	22.92	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
25	पप्पू ढीमर पुत्र हीरालाल	85.17	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
26	रामदरण ढीमर पुत्र हीरालाल	22.92	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
27	गनेश ढीमर पुत्र हीरालाल	23.10	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
28	दयाराम ढीमर पुत्र हीरालाल	20.70	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
29	नवलकिशोर ढीमर पुत्र धर्मीटा	78.50	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
30	धनुवा ढीमर पुत्र नथुवा	109.70	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
31	मल्थूबाई ढीमर देवा सुकका	70.38	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
32	रामदीन लोधी पुत्र तुलसी	34.68	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
33	तुलेया ढीमर पुत्र दुर्जना	76.71	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
34	लक्षण ढीमर पुत्र तुलेया	112.22	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
35	कालीराम लोधी पुत्र नाथूराम	187.05	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
36	गोविन्द लोधी पुत्र नाथूराम	201.10	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
37	बिन्दा लोधी पुत्र कमुआ, चन्दू लोधी पुत्र देवा	52.27	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
38	बिहारी लाल लोधी पुत्र कमुआ	90.01	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
39	गुनआ ढीमर पुत्र सुनुआ	31.85	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
40	प्रेमलाल राय पुत्र महादेव प्रसाद एवं देवेन्द्र राय पुत्र किलकोटी राय, मुकेश राय पुत्र किलकोटी राय भाग सम	329.80	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
41	सीमा राय पल्ली छोटेलाल एवं राहुल राय पुत्र छोटेलाल, दीपक राय पुत्र छोटेलाल भाग सम	175.87	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
42	फूलचंद लोधी पुत्र परमसुख	169.72	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
43	मनीराम लोधी पुत्र फूलचंद	114.36	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
44	गनेश लोधी पुत्र तुलसी	164.85	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
45	नथुआ लोधी पुत्र सर	87.60	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़

46	प्यारेलाल लोधी पुत्र सुन्दरलाल	125.92	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
47	दुड़ा लोधी पुत्र भुन्दरलाल	114.79	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
48	गोरेलाल साहू पुत्र कुदूद	49.67	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
49	मोहनलाल साहू पुत्र कुदूद	83.74	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
50	कल्यू खंगार पुत्र भरोसा, रामकुमार खंगार पुत्र भरोसा, धनीराम खंगार पुत्र भरोसा एवं श्रीराम खंगार पुत्र भरोसा आग सम	183.78	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
51	काशीराम खंगार पुत्र मुलूआ	120.57	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
52	जगदीश लोधी पुत्र हल्के	100.44	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
53	पुरुषोत्तम तिवारी पुत्र नाशयण दास	20.16	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
54	शंकर लोधी पुत्र सरजू	73.83	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
55	राजाराम सपेठा पुत्र सुखदास	118.60	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
56	श्रीनाथ सपेठा पुत्र सुखदास	130.62	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
57	मनीराम लोधी पुत्र फूलचंद	126.86	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
58	हरबाई लोधी पित मकुन्दा	22.78	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
59	मनोज सैन पिता भानू	30.80	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
60	गोकल विश्वकर्मा पुत्र सुखदीन	116.20	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
61	राजाराम विश्वकर्मा पुत्र गोकल	42.48	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
62	हरीराम लोधी पुत्र सरजू, रमन लोधी पुत्र सरजू एवं गजेन्द्र लोधी पुत्र हरसेवक भागसम	255.18	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
63	जगन्सिंह लोधी पुत्र मान	357.89	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
64	लल्ती बाई बेठा गनू लोधी	125.26	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
65	अशोक सैन पुत्र रमला	113.02	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
66	लूपन सैन पुत्र भानू	80.41	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
67	भानू नापित पुत्र अर्जना	41.65	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
68	गौरीशंकर लोधी पुत्र देशराज	71.69	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
69	सुन्टाई लोधी पुत्र सरमन	225.04	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
70	दुलीचंद लोधी पुत्र ऊदल एवं जशरथ लोधी पुत्र खुन्दू भागसम	94.14	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
71	जशरथ लोधी पुत्र खुन्दू	101.59	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
72	रिणा लोधी पुत्र ऊदल	70.34	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
73	इमरत लोधी पुत्र देशराज	112.56	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
74	मोती लोधी पुत्र बल्दू	141.36	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
75	विन्दा लोधी पुत्र हल्के	93.65	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
76	सुरु लोधी पुत्र हरलाल	174.60	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
77	छक्की लोधी पुत्र हरलाल	123.17	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
78	हल्के लोधी पुत्र हरलाल, सूरु लोधी पुत्र हरलाल एवं छक्की लोधी पुत्र हरलाल भागसम	32.40	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़

79	कोमल लोधी पुत्र सुर्ख	44.55	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
80	नंदकिशोर लोधी पुत्र गोवर्धन	16.81	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
81	गोवर्धन लोधी पुत्र घम्मू	71.31	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
82	शिवदयाल लोधी पुत्र घम्मू	21.54	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
83	गोवर्धन लोधी पुत्र घम्मू एवं शिवदयाल लोधी पुत्र घम्मू भागसम	133.73	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
84	प्रेमलाल लोधी पुत्र बल्दू	31.54	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
85	मोती लोधी पुत्र बल्दू	233.43	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
86	प्यारेलाल लोधी पुत्र सुन्दरलाल एवं दूड़ा लोधी पुत्र सुन्दरलाल भागसम	206.47	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
87	राजू बरोर पुत्र खिलौना	69.00	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
88	गोकल नाई पुत्र सुक्का	110.83	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
89	बलुआ ढीमर पुत्र तिजुआ	77.67	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
90	भोनलाल लोधी पुत्र गोरेलाल	258.70	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
91	रिणा ढीमर पुत्र धुन्हा	120.29	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
92	लल्लाबाई ढीमर वेपा पल्दू	75.40	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
93	रामनाथ बाई पुत्र धर्मदास	46.00	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
94	घनीराम विश्वकर्मा पुत्र बंदी	54.24	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
95	ग्यासी विश्वकर्मा पुत्र धर्मदास	42.13	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
96	कैलाश ढीमर पुत्र मोहन	71.25	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
97	गनेशा ढीमर पुत्र तिजुआ	106.99	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
98	कालू ढीमर पुत्र गनेशा	21.12	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
99	दिलू ढीमर पुत्र गनेशा	29.60	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
100	कुन्जी विश्वकर्मा पुत्र हरचरण	83.39	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
101	काशीराम लोधी पुत्र सुन्दर	127.21	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
102	हरदास लोधी पुत्र मकुन्दा	39.98	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
103	सिल्ली लोधी पुत्र मकुन्दा	75.71	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
104	राजू रैकवार पुत्र तिजुआ	17.40	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
105	आशाराम रैकवार पुत्र राजू	26.95	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
106	परम रैकवार पुत्र राजू	17.64	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
107	कमतू ढीमर पुत्र तिजुवा	67.37	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
108	पट्टू ढीमर पुत्र कमतू	32.00	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
109	अमनलाल ढीमर पुत्र कमतू	40.26	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
110	कुरा ढीमर पुत्र तिजुवा	36.00	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
111	पत्तू ढीमर पुत्र तिजुआ	107.89	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
112	राजू रैकवार पुत्र तिजुआ, आशाराम रैकवार पुत्र राजू एवं परम रैकवार पत्र राजू भागसम	70.18	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
113	कमलेशनाथ सपेरा पुत्र भगवानदास	67.74	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़

114	भगवानदास सपेरा पुत्र सुखदास	34.85	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
115	मुकेश सपेरा पुत्र श्रीमाथ	43.12	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
116	आशाराम राय पुत्र हल्के, भगवानदास राय पुत्र हल्के	280.38	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
117	लायदी सपेरा पुत्र सुखदास	20.16	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
118	पप्पू सपेरा पुत्र लायदी	20.16	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
119	प्रकाश सपेरा पुत्र लायदी	17.10	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
120	सुरेश सपेरा पुत्र लायदी	38.76	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
121	रामसहाय सपेरा पुत्र सुखदास	24.00	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
122	जगदीश रैकवार पुत्र गमचा	69.26	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
123	चंदन रैकवार पुत्र जगदीश	70.21	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
124	बालकिशन रैकवार पुत्र जगदीश	56.21	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
125	गज्जू रैकवार पुत्र गमचा	118.48	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
126	दीरेन रैकवार पुत्र गज्जू	44.53	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
127	फुलधंद रैकवार पुत्र गज्जू	51.92	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
128	शीलधंद रैकवार पुत्र गमचा	64.72	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
129	गमचा रैकवार पुत्र हरियां	25.81	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
130	गनपत रैकवार पुत्र हरियां	53.64	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
131	पंखू रैकवार पुत्र गनपत	121.87	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
132	रघुदीर रैकवार पुत्र गनपत	98.77	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
133	नन्हू रैकवार पुत्र हरियां	38.56	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
134	मुल्ला रैकवार पुत्र नन्हू	76.02	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
135	सरमन उर्फ सिल्जा रैकवार पुत्र नन्हू	63.90	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
136	देशराज रैकवार पुत्र गमचा	80.41	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
137	लल्लू रैकवार पुत्र देशराज	29.88	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
138	गुरुडन रैकवार पुत्र देशराज	29.88	धर्मपुरा विलरय	टीकमगढ़	टीकमगढ़
	योग—	12881.70			

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है – बानसुजारा बांध परियोजना के छूट क्षेत्र में प्रभावित भवन / परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु ।
4. भवन / परिसम्पत्तियों के नवशे एवं प्लान का निरीक्षण – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सीधी, दिनांक 16 मई 2017

**पत्र क्र. 631-भू-अर्जन-2017.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुनित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बांध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि का सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

**(1) भूमि का विवरण—**

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम का नाम—खन्तरा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 22.99 हेक्टर।

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)		
1	126	0.850	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान बांध के जल जल
2	125	0.750	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	भण्डार हेतु
3	124	0.310	(म. प्र.).	
4	104	0.400		
5	99	0.700		
6	45	0.040		
7	98	1.750		
8	38	0.580		
9	97	0.060		
10	131	1.780		
11	133	1.690		
12	41	0.340		
13	50	0.110		
14	15	0.250		
15	1376	0.150		
16	1375	0.150		
17	1381/1	0.090		
18	89	0.240		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	86	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान बांध के जल जल
20	82	0.210	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	भण्डार हेतु.
21	81	0.200	(म. प्र.).	
22	94	0.070		
23	105	0.140		
24	93	0.170		
25	96	0.040		
26	43	0.930		
27	103	1.730		
28	117	0.410		
29	118	0.210		
30	129	0.090		
31	119	0.610		
32	100	0.240		
33	101	0.580		
34	120	0.700		
35	121	1.180		
36	122	0.040		
37	127	0.230		
38	128	1.120		
39	39	0.610		
40	14	0.370		
41	92	0.470		
42	91	1.850		
43	105	0.140		
44	112	0.040		
45	102	0.360		
कुल . .		<u>22.99</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, मझौली में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 633-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध

है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बांध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम का नाम—चुनगुना
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 19.378 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)		
1	48	0.032	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान बांध के जल जल
2	49	0.451	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	भण्डार हेतु.
3	126	0.065	(म. प्र.).	
4	50	0.070		
5	68	0.244		
6	67	0.178		
7	60	0.116		
8	572	0.568		
9	260	0.108		
10	603	0.030		
11	59	0.140		
12	76	0.471		
13	84	0.270		
14	85	0.126		
15	86	0.112		
16	91	0.190		
17	78	0.060		
18	56	0.080		
19	92	0.190		
20	89	0.360		
21	94	1.190		
22	302	0.253		
23	298	1.227		
24	300	0.530		
25	297	0.576		
26	293	0.012		
27	292	0.026		
28	290	0.148		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	279/1021	0.080	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान बांध के जल जल
30	655	0.172	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	भण्डार हेतु.
31	305	0.590	(म. प्र.).	
32	288	0.020		
33	295	0.047		
34	596	0.042		
35	118	1.730		
36	117	0.764		
37	119	0.010		
38	116	0.046		
39	120	0.520		
40	128	0.340		
41	571	0.179		
42	566	0.070		
43	567	0.058		
44	564	0.079		
45	694	0.368		
46	560	0.090		
47	661	0.022		
48	559	0.170		
49	663	0.150		
50	658	0.009		
51	659	0.013		
52	575	0.046		
53	557	0.090		
54	561	0.118		
55	553	0.030		
56	597	0.036		
57	598	0.030		
58	600	0.068		
59	604	0.028		
60	608	0.028		
61	610	0.082		
62	613	0.073		
63	609	0.007		
64	720	0.210		
65	707	0.040		
66	745	1.380		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	265/1040	0.860	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान बांध के जल जल
68	657	0.023	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	भण्डार हेतु
69	656	0.042	(म. प्र.).	
70	664	0.028		
71	563	0.040		
72	611	0.152		
73	614	0.070		
74	612/1	0.531		
75	739	0.231		
76	741	0.160		
77	724	0.007		
78	725	0.216		
79	697	0.170		
80	272	0.260		
81	64	0.400		
82	262	0.130		
83	568	0.040		
84	263	0.020		
85	268	0.010		
86	267	0.040		
87	599	0.110		
88	726	0.120		
89	727	0.060		
	कुल	19.378		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपर्युक्त अधिकारी मझौली में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 635-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बांध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं

है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

**“अनुसूची”**

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम का नाम—छूटी
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.010 है.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	24/1.	0.160	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान बॉथ के जल भण्डार
2	24/3.	0.150	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	हेतु.
3	24/2.	0.310	(म. प्र.).	
4	1090/1	1.230		
5	1090/2	0.020		
6	75/1	0.160		
7	75/2	0.080		
8	75/3	0.040		
9	1088	0.070		
10	1081	0.890		
11	1070	0.050		
12	1113	0.390		
13	2383	0.090		
14	1411	0.280		
15	1408	0.090		
कुल . .		<u>4.010</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है, अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अभ्यर्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 4 मई 2017

प्र. क्र. 12-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुरुष्ववस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सलेहा	निजी भूमि रकबा 1.32 है। एवं शासकीय, भूमि रकबा 0.00 है।  कुल रकबा 1.32 है।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना.	तलैया से सलेहा मार्ग निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुरुष्ववस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सलेहा	निजी भूमि रकबा 1.32 है। एवं शासकीय, भूमि रकबा 0.00 है।  कुल रकबा 1.32 है।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना.	रिहूल से तलैया मार्ग निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 8 मई 2017

क्र. 2339-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक योजना बाधन्नारा योजना शीर्ष एवं नहर में आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के कालम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को वर्णित भूमि, अनुसूची कालम नं. (6) उल्लेखित भूमि के रक्कड़े का सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	बाधन्नारा	8.523	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.	बाधन्नारा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण.
		निजी भूमि योग . .	<u>8.523</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाधन्नारा बांध एवं नहर निर्माण हेतु।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अधिकारी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 15 मई 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 34-अ-82-2016-17-1928.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	नौढिया	11.607	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 शहडोल (म. प्र.).	समधिन जलाशय योजना निर्माण संभाग, क्रमांक-2 शहडोल (म. प्र.). से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 मई 2017

प्र. क्र. 07-अ-82-भू-अर्जन-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	(5)	(6) तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
छतरपुर	छतरपुर	दिदौल	2.220			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	(5)	(6) तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
छतरपुर	छतरपुर	बंधीखुर्द	2.500			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

छतरपुर, दिनांक 18 मई 2017

प्र. क्र. 09-अ-82-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	(5)	(6) ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
छतरपुर	राजनगर	बराखेरा	24.000			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)	लगभग (4)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	24.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.
छत्तीसगढ़	राजनगर	राजपुर			ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।					

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)	लगभग (4)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	7.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.
छत्तीसगढ़	राजनगर	पीरा			ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।					

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)	लगभग (4)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	41.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.
छत्तीसगढ़	राजनगर	टिकुरी			ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।					

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल	लगभग (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	धमना	1.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल	लगभग (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सर्पाँहा	12.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल	लगभग (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	पहाड़ीबाबन	14.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				अर्जित क्षेत्रफल	लगभग (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
छत्तीरपुर	राजनगर	भिंयाताल	3.000	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 18 मई 2017

क्र. 2428-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः “भूमि-अधिग्रहण” पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-शा-2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				लगभग (हेक्टेयर में)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>निजी भूमि रक्का</b>						
अनूपपुर	जैतहरी	वेंकटनगर	1.00	भू-अर्जन अधिकारी,		सिंहपुर डायवर्सन योजना
		खैरी	4.00	जिला अनूपपुर (म. प्र.).		दूब क्षेत्र।
			योग . . 5.00			
अनूपपुर	जैतहरी	उमरिया	2.10	कार्यपालन यंत्री, जल		सिंहपुर डायवर्सन योजना
		चोरभठी	3.20	संसाधन संभाग, अनूपपुर.		मुख्य नहर एवं माइनर
		गोधन	3.51			नहर क्षेत्र।
		सुलखारी	4.10			
		खाड़ी	1.55			
		खैरी	1.51			
			योग . . 15.97			
			महायोग . . 20.97			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 17 मई 2017

**पत्र क्र. 829-प्रका.-भू-अर्जन-2016.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) बड़ागांव	(4) 2.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

**पत्र क्र. 831-प्रका.-भू-अर्जन-2016.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

अनुसूची				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) डीह	(4) 2.035	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

**पत्र क्र. 833-प्रका.-भू-अर्जन-2016.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव

सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) बुदामा	(4) 2.525	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 835-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) मोहड़ा नं.-2	(4) 1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 837-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) मोहड़ा नं.-1	(4) 1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 839-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) परवा	(4) 0.500	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।	

पत्र क्र. 841-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) अतरैला	(4) 0.880	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।	

पत्र क्र. 843-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) कोनी खुर्द	(4) 1.200	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।	

पत्र क्र. 845-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खजुरी नं. 100	1.355	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 847-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खजुरी नं. 101	1.210	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 863-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टेरहाई	0.300	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

क्र. 849-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) गोपाल पुरवा	(4) 0.500	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 851-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) अतरसुद्या	(4) 0.800	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 853-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान

निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
रीवा	त्योंथर	राजापुर	0.300

#### धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर  
संभाग, जल संसाधन विभाग  
सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).

#### सार्वजनिक प्रयोजन

#### का वर्णन

बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई  
योजना की माईनर में आने वाली  
भूमि के लिये तथा उस पर स्थित  
संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 855-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
रीवा	त्योंथर	मटियारी	0.200

#### धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर  
संभाग, जल संसाधन विभाग  
सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).

#### सार्वजनिक प्रयोजन

#### का वर्णन

बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई  
योजना की माईनर में आने वाली  
भूमि के लिये तथा उस पर स्थित  
संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 857-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
रीवा	त्योंथर	भूगा	0.170

#### धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर  
संभाग, जल संसाधन विभाग  
सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).

#### सार्वजनिक प्रयोजन

#### का वर्णन

बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई  
योजना की माईनर में आने वाली  
भूमि के लिये तथा उस पर स्थित  
संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 859-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	नष्टगावा	0.850	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 861-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मलपार	0.750	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 865-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके

द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)	(5)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) टिकुरी	0.230	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 867-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)	(5)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) मझिगाँव	2.250	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 869-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)	(5)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) पुरवा	0.900	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 871-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा।	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
रीवा	त्योंथर	फरहदी	1.800		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 873-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा।	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
रीवा	त्योंथर	अतरैला	0.300		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 875-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि

नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) अंजोरा	(4) 1.700	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा. (म. प्र.).	(6) बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 877-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) चंदई	(4) 0.900	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा. (म. प्र.).	(6) बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 879-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) देउपा	(4) 1.200	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा. (म. प्र.).	(6) बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 881-भू-अर्जन.—1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	त्योंथर	सतपुरा पड़िवार	0.180	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसगर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 883-भू-अर्जन.—1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	त्योंथर	सतपुरा कोठार	0.800	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसगर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 899-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा

11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) सिरैया-545	(4) 0.250	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 901-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चंदेह के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) चौरहाई-190	(4) 1.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) चंदेह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 903-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) कोलहा-82	(4) 2.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 16 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 905-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) भोथी-426	(4) 1.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 907-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) टिकुरी	(4) 8.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 909-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) अटारी-574	(4) 0.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 911-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगावा	(3) रघुनाथगंज-194	(4) 2.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 1 एवं 2 के नहर निर्माण हेतु

प. क्र. 913-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगावा	(3) रीवा-502	(4) 2.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु

प. क्र. 915-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चंदेह के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगावा	(3) दुआरा-271	(4) 2.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) चंदेह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु

क्र. 917-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चंद्रेह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगावा	मैथोरी-530	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चंद्रेह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 919-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगावा	कठेरी-42	4.777	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 921-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चंद्रेह के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगावा	सेमरीकला-617	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चंद्रेह माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 923-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वाचित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	हर्दी-630	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बहुती नहर के चन्देह माइनर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).

क्र. 925-प्रशा.-भू-अर्जन.—2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वाचित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डेल्ही-242	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु

रीवा, दिनांक 18 मई 2017

पत्र क्र. 927-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	चेक टेड़	0.700	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरपौर. जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 929-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) पड़ी	(4) 1.250	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु,	

पत्र क्र. 931-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) सोनवर्डा	(4) 0.950	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु,	

पत्र क्र. 933-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)			
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) कैंथा	(4) 0.750	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु,	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 2 जून 2017

प्र. क्र. 6-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बानसुजारा बांध नहर परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) डिस्ट्रीब्युसन चैम्बर पम्प हाउस निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही चाँचित है:-

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	कुड़ीला	1.762	भू-अर्जन अधिकारी, वल्देवगढ़	बानसुजारा बांध नहर परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) पम्प हाउस निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) वल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 12 मई 2017

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची

#### भूमि का विवरण

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	पूँछी	3.135	उपमुख्य अभियंता निर्माण परियम मध्य रेलवे जबलपुर.	झुकेही-कैमोर कार्ड रेल लाईन की निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला कटनी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

दमोह, दिनांक 10 फरवरी 2017

पत्र क्र. 694-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्र. (1) में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—बटियागढ़
- (ग) नगर/ग्राम—रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.48 हे.

खसरा क्र. नंबर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) 0.080	कुल रकबा
2/2	0.220	40
3/1	0.180	45
22/4		46
		47
		48
		49
		50
		55/1
		57
		78
		79
		82
		142
		144
		155
		157
		180
		186
		187
		193
		201
		406
		414
		444
		445
		447

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.480 हे.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

अलीराजपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2017

प्र. क्र. 0004-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—अलीराजपुर
- (ग) ग्राम—दुदलवाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा—सिंचित-8.70, असिंचित-7.68, कुल रकबा-16.38

#### अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्र. (1)	सिंचित (2)	असिंचित (3)	कुल रकबा (4)
39	0.13	0.01	0.14
40	0.32	0.00	0.32
45	0.44	0.00	0.44
46	0.38	0.01	0.39
47	0.05	0.00	0.05
48	0.07	0.00	0.07
49	0.15	0.00	0.15
50	0.02	0.00	0.02
55/1	0.17	0.00	0.17
57	0.26	0.00	0.26
78	0.00	0.01	0.01
79	0.00	0.17	0.17
82	0.00	0.37	0.37
142	0.00	0.68	0.68
144	0.00	0.17	0.17
155	0.00	0.36	0.36
157	0.45	0.00	0.45
180	0.25	0.00	0.25
186	0.00	0.33	0.33
187	0.00	0.12	0.12
193	0.00	1.22	1.22
201	0.62	1.00	1.62
406	0.03	0.00	0.03
414	1.05	0.00	1.05
444	0.00	0.01	0.01
445	0.78	0.00	0.78
447	0.65	0.00	0.65

(1)	(2)	(3)	(4)	(ग) ग्राम—चौंगंवाट
448	0.74	0.01	0.75	(घ) लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा—सिंचित-12.80, असिंचित-1.13, कुल रकबा-13.93
466	0.00	0.26	0.26	
467	0.00	0.55	0.55	
472	0.00	0.59	0.59	
474	0.00	0.01	0.01	
141/1	0.00	0.09	0.09	
158/1	0.37	0.00	0.37	
185/1/1	0.00	0.17	0.17	
471/2	0.21	0.00	0.21	
51/1	0.13	0.02	0.15	
59/2	0.21	0.02	0.23	
77/1	0.00	0.12	0.12	
141/3	0.00	0.01	0.01	
43/1	0.04	0.00	0.04	
43/2	0.10	0.00	0.10	
43/3	0.05	0.00	0.05	
147/4	0.00	0.16	0.16	
158/2	0.04	0.00	0.04	
185/1/3	0.00	0.15	0.15	
185/1/2	0.00	0.30	0.30	
51/2	0.15	0.05	0.20	
443	0.00	0.71	0.71	
981/414	0.71	0.00	0.71	
436	0.03	0.00	0.03	
59/1	0.10	0.00	0.10	
कुल योग .	8.70	7.68	16.38	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) परिचम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

अलीराजपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

प्र. क्र. 06-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—अलीराजपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			
खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
62	0.42	0.00	0.042
82	0.40	0.00	0.40
91	0.86	0.00	0.86
100	0.51	0.00	0.51
112	0.40	0.93	1.33
114	0.31	0.00	0.31
130	0.94	0.00	0.94
140	0.24	0.00	0.24
151	0.34	0.00	0.34
153	0.34	0.00	0.34
166	0.71	0.00	0.71
167	0.51	0.02	0.53
222	0.07	0.00	0.07
111/1	0.10	0.00	0.10
115/1	0.07	0.00	0.07
115/2	0.17	0.00	0.17
117/1	0.23	0.00	0.23
128/2	0.71	0.00	0.71
118/4	0.05	0.00	0.05
118/5/1	0.10	0.00	0.10
118/5/2	0.20	0.00	0.20
118/5/3	0.14	0.00	0.14
118/7	0.06	0.00	0.06
135/1	0.10	0.00	0.10
135/2	0.01	0.00	0.01
135/3	0.57	0.00	0.57
137/1	0.06	0.00	0.06
137/2	0.04	0.00	0.04
137/3	0.13	0.00	0.13
138/1	0.20	0.00	0.20
138/2	0.25	0.00	0.25
141/1	0.17	0.00	0.17
141/2	0.05	0.00	0.05
142/2	0.08	0.00	0.08
158/1	0.19	0.00	0.19
158/2	0.32	0.00	0.32
160/1	0.19	0.00	0.19
160/2/1	0.53	0.00	0.53
160/2/2	0.36	0.00	0.36
174/2	0.00	0.01	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
174/3	0.00	0.17	0.17	(1)	(2)
85/1	0.50	0.00	0.50	465	0.060
85/2	0.39	0.00	0.39	446	0.420
90/2	0.02	0.00	0.02	448	0.048
99/1	0.19	0.00	0.19	442	1.700
99/2	0.12	0.00	0.12	447	0.040
99/3	0.03	0.00	0.03	445	0.060
99/5	0.09	0.00	0.09	451	0.029
118/6	0.30	0.00	0.30	452	0.269
99/6	0.02	0.00	0.02	449/2	0.050
157	0.01	0.00	0.01	479/2	1.340
कुल योग . .	12.80	1.13	13.93		
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउडयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.			454/2	0.020
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यालय इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउडयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.			454/2492/2	0.030
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			479/1	1.340
				450/1	0.020
				454/2492/1	0.030
				464	0.040
				467	1.530
				463	0.690
				466	0.400
				440	0.320
				441	0.200
				योग . .	8.636

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 544-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्के का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) नगर/ग्राम—गजरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 8.636 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महान बांध के ढूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

क्र. 542-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्के का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—रूपईडोल	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.577 हेक्टेयर.	699/1	0.120
खसरा नं.	रकबा	
	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
64	0.099	744/2 0.030
30	0.015	740/2 0.170
44	0.043	699/2 0.110
60	0.030	740/4 0.020
181	0.042	699/4 0.040
77/3	0.010	740/5 0.020
55	0.128	699/5 0.040
180	0.100	740/6 0.020
185	0.030	699/6 0.040
271	0.080	699/7 0.040
योग . .	<u>0.577</u>	728 0.064
		709 1.070
		722 0.120
		707 0.114
		योग . . <u>2.392</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महान बांध के ढूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है।

क्र. 548-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) नगर/ग्राम—करमाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 2.392 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
678	0.021
740/1	0.160
744/1	0.030
711	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महान बांध के ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है।

क्र. 546-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) नगर/ग्राम—तिलवारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.472 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.109
515/1	0.253
394/Min-3	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
1008	0.04	484/1	0.300
1011	0.02	377/2	0.040
योग . .	<u>0.472</u>	539/1/क	2.060
		524/1/क	0.190
		485/1/क	0.060
		538/1/क	0.030
		249	0.180
		250	0.120
		योग . .	<u>8.147</u>

क्र. 538-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्कें का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) नगर/ग्राम—कोटरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 8.147 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
432	1.063
433	0.074
442	0.066
462	1.494
439	0.280
437	0.053
441	0.167
524/2	0.070
540/2	0.090
538/2	0.020
545	1.040
548	0.170
528	0.020
485/1	0.110
524/1	0.380
538/1	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महान बांध के द्वाब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

क्र. 540-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्कें का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) नगर/ग्राम—सेंधवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 16.218 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
74	0.200	
135	0.115	
90	0.231	
93	0.052	
129	0.053	
148	0.570	
597	0.190	
602	0.170	
601	0.520	

(1)	(2)	(1)	(2)
147	0.539	817	0.310
281	0.330	819	0.070
600	0.480	818	0.400
139	0.130	826	1.100
315	0.660	392	0.200
162	0.110	35	1.240
208/2	0.122	36	0.500
170	1.359	योग . .	<u>16.218</u>
290	1.005		
289	0.170	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महान बांध के ढूब क्षेत्र हेतु.	
283	0.050	(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.	
207	0.020		
305	0.416		
294	0.060		
370	0.010	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
374	0.043		
368	0.010		
373	0.030	कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
369	0.006		
306	0.900		
303	0.033		
25	0.245	खण्डवा, दिनांक 2 मई 2017	
151	0.020		
394	0.040		
18	0.126		
154	0.032	नस्ती क्र. 135-एलए-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-15-	
133	0.290	16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
598	0.580		
599	0.090		
253	0.120		
255	0.250		
259	0.210	अनुसूची	
266	0.230		
276	0.200	(1) भूमि का वर्णन—	
277	0.560	(क) जिला—खण्डवा	
282	0.230	(ख) तहसील—खण्डवा	
284	0.060	(ग) ग्राम—सहेजला	
286	0.400	(घ) अर्जित रकबा—0.03 हेक्टेयर.	
595	0.130		
		खसरा क्रमांक	अर्जित रकवा
		(1)	(हे. में)
		237/1	<u>0.03</u>
		कुल . .	<u>0.03</u>

•

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुरांवबंजारी से बीड़ तक रेल मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यालय श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वाती भीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 2 मई 2017

प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—चौकी, प.ह.नं. 00029
- (घ) क्षेत्रफल—1.950 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
561/1	0.005	निजी भूमि
562/1	0.022	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
566	0.015	निजी भूमि
567	0.016	निजी भूमि
568	0.030	निजी भूमि
565	0.032	निजी भूमि
580/2	0.055	निजी भूमि
581	0.032	निजी भूमि
578	0.016	निजी भूमि
579	0.015	निजी भूमि
570	0.014	निजी भूमि
979/1	0.030	निजी भूमि
979/2	0.102	निजी भूमि
577/1	0.013	निजी भूमि
580/1	0.028	निजी भूमि
582/1	0.010	निजी भूमि
576	0.020	निजी भूमि
586/1	0.240	निजी भूमि
816	0.080	निजी भूमि
817	0.068	निजी भूमि
818	0.030	निजी भूमि
819	0.025	निजी भूमि
820	0.060	निजी भूमि
851	0.124	निजी भूमि
826	0.105	निजी भूमि
963	0.135	निजी भूमि
975	0.036	निजी भूमि
993	0.082	निजी भूमि
973	0.120	निजी भूमि
972	0.090	निजी भूमि
789	0.300	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि .. 1.950

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिर्नी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत चौकी माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 105-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—धरवारा, प.ह.नं. 00053
- (घ) क्षेत्रफल—4.270 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
619	0.042	निजी भूमि
616	0.045	निजी भूमि
615	0.084	निजी भूमि
617/4	0.015	निजी भूमि
612/1	0.020	निजी भूमि
612/2	0.060	निजी भूमि
611	0.012	निजी भूमि
899	0.111	निजी भूमि
900	0.060	निजी भूमि
901	0.018	निजी भूमि
504	0.015	निजी भूमि
905/1	0.165	निजी भूमि
499	0.007	निजी भूमि
498	0.120	निजी भूमि
905/2	0.005	निजी भूमि
905/3	0.006	निजी भूमि
822/1/क	0.074	निजी भूमि
985	0.016	निजी भूमि
986	0.336	निजी भूमि
823/2/ख	0.472	निजी भूमि
803/2	0.630	निजी भूमि
443/1	0.036	निजी भूमि
443/2	0.030	निजी भूमि
441	0.114	निजी भूमि
439/1	0.078	निजी भूमि
438/1	0.014	निजी भूमि
439/2	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
410/1/क	0.030	निजी भूमि
410/1/ख	0.045	निजी भूमि
411	0.054	निजी भूमि
412/1	0.045	निजी भूमि
413	0.030	निजी भूमि
414	0.016	निजी भूमि
415	0.045	निजी भूमि
497	0.004	निजी भूमि
394	0.063	निजी भूमि
389	0.070	निजी भूमि
388	0.050	निजी भूमि
326	0.048	निजी भूमि
502	0.010	निजी भूमि
324	0.010	निजी भूमि
325	0.043	निजी भूमि
323/1	0.045	निजी भूमि
323/2	0.045	निजी भूमि
323/3	0.010	निजी भूमि
189	0.210	निजी भूमि
185/1	0.083	निजी भूमि
185/2	0.022	निजी भूमि
186	0.015	निजी भूमि
182/1/ख	0.004	निजी भूमि
183	0.126	निजी भूमि
129/2	0.156	निजी भूमि
129/1	0.078	निजी भूमि
125	0.018	निजी भूमि
124	0.136	निजी भूमि
108/2	0.144	निजी भूमि
कुल रकबा	निजी भूमि	4.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिर्फी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत पिपरिया माईनर अमुवा माईनर एवं पठान टोला माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 106-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—पिपरिया, प.ह.नं. 00053
- (घ) क्षेत्रफल—3.355 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
170	0.740	निजी भूमि
209	0.020	निजी भूमि
210/1	0.210	निजी भूमि
212	0.224	निजी भूमि
211/1	0.105	निजी भूमि
165/1	0.010	निजी भूमि
156/2	0.224	निजी भूमि
157/1	0.102	निजी भूमि
166/1	0.088	निजी भूमि
163/2	0.102	निजी भूमि
162	0.010	निजी भूमि
161/3	0.102	निजी भूमि
142/4	0.102	निजी भूमि
141	0.102	निजी भूमि
140	0.374	निजी भूमि
131	0.008	निजी भूमि
79	0.133	निजी भूमि
78	0.080	निजी भूमि
80	0.057	निजी भूमि
73	0.100	निजी भूमि
72	0.048	निजी भूमि
58	0.150	निजी भूमि
61/2	0.150	निजी भूमि
61/1	0.024	निजी भूमि
41	0.090	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	3.355	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिर्टी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत पिपरिया माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 4 मई 2017

प्र. क्र. 112-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय—सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—मुराछ, प.ह.नं. 014
- (घ) क्षेत्रफल—3.630 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
	3023	निजी भूमि
	3025	निजी भूमि
	3026	निजी भूमि
	3029/1	निजी भूमि
	3029/2	निजी भूमि
	3030	निजी भूमि
	3032/3	निजी भूमि
	3032/2	निजी भूमि
	3031	निजी भूमि
	3033	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3034	0.240	निजी भूमि	1341/2	0.040	निजी भूमि
2973	0.010	निजी भूमि	1335/1	0.040	निजी भूमि
2972/1	0.010	निजी भूमि	1335/2	0.040	निजी भूमि
2972/2	0.070	निजी भूमि	1329	0.010	निजी भूमि
2971	0.050	निजी भूमि	1334	0.020	निजी भूमि
2704/1	0.070	निजी भूमि	1333	0.010	निजी भूमि
2702/2	0.020	निजी भूमि	1332	0.070	निजी भूमि
2704/2	0.020	निजी भूमि	1314	0.060	निजी भूमि
2703/3	0.060	निजी भूमि	1313	0.060	निजी भूमि
2705	0.010	निजी भूमि	कुल रकमा निजी भूमि ..	3.630	
2706/1	0.110	निजी भूमि			
2706/2	0.040	निजी भूमि			
2720/1	0.040	निजी भूमि			
2720/2	0.020	निजी भूमि			
2718	0.160	निजी भूमि			
2717	0.010	निजी भूमि			
2711/3	0.040	निजी भूमि			
2712	0.010	निजी भूमि			
1566	0.160	निजी भूमि			
1567	0.010	निजी भूमि			
1576/1	0.080	निजी भूमि			
1576/2	0.010	निजी भूमि			
1575	0.010	निजी भूमि			
1572	0.020	निजी भूमि			
1574	0.100	निजी भूमि			
1580	0.010	निजी भूमि			
1581	0.150	निजी भूमि			
1543	0.010	निजी भूमि			
1540/1	0.100	निजी भूमि			
1540/2	0.090	निजी भूमि			
1501	0.050	निजी भूमि			
1502/1/ka	0.030	निजी भूमि			
1502/1/kha	0.090	निजी भूमि			
1502/2	0.010	निजी भूमि			
1503	0.080	निजी भूमि			
1505	0.010	निजी भूमि			
1506	0.090	निजी भूमि			
1494	0.010	निजी भूमि			
1493	0.120	निजी भूमि			
1488	0.010	निजी भूमि			
1490	0.280	निजी भूमि			
1348	0.010	निजी भूमि			
1349	0.150	निजी भूमि			
1350	0.010	निजी भूमि			
1347/1	0.010	निजी भूमि			
1341/1	0.040	निजी भूमि			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 123-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पर्वई
- (ग) ग्राम—कुड़गवा, प.ह.नं. 04
- (घ) क्षेत्रफल—0.86 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकमा	भूमि का
(1)	(2)	(3)
158	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
159	0.03	निजी भूमि
160	0.19	निजी भूमि
161	0.14	निजी भूमि
162	0.12	निजी भूमि
192	0.03	निजी भूमि
193	0.14	निजी भूमि
197	0.03	निजी भूमि
198	0.04	निजी भूमि
199	0.01	निजी भूमि
52	0.12	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	0.86	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर के शेष निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 8 मई 2017

क्र. 2340-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
- (ख) तहसील—बांधवगढ़
- (ग) ग्राम—धनवाही, पटवारी हल्का क्र. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.770 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1) 144/3	(2) 0.100
7/3/क	0.100

(1)	(2)
126/1	0.100
11/165/1	0.100
11/165/2	0.100
11/165/6	0.070
123/2	0.100
11/165/4	0.100
योग . .	0.770

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
- (ख) तहसील—बांधवगढ़
- (ग) ग्राम—देवदण्डी, पटवारी हल्का क्र. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.500 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
241	0.100
288/1/ख	0.219
230	0.117
231	0.024
243/3	0.202
243/2	0.126
232	0.121
85	0.040
79/1/ख	0.020
83	0.020
79/1/क	0.020
79/1/ग	0.020
358	0.040
218/1	0.283
224/2	0.048
288/1/घ	0.100
योग . .	1.500

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
- (ख) तहसील—बांधवगढ़
- (ग) ग्राम—महुरी, पटवारी हल्का क्र. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.444 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
329/1/ख	0.040
337	0.040

(1)	(2)
346	0.030
295/3	0.040
287/1	0.100
252	0.030
255/3	0.030
256/3	0.030
385/3	0.030
229/3	0.010
351/1	0.016
351/2/ક	0.016
351/2/ખ	0.016
351/4	0.016
યોગ . .	0.444
અનુસંધાન	

### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया  
 (ख) तहसील—बांधवगढ़  
 (ग) ग्राम—बिजौरा, पटवारी हल्का क्र. 31  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.580 हेक्टर.

(1)	(2)
165/1/ग	0.080
165/2	0.060
193/2	0.040
88/4	0.210
190	0.100
71/18	0.040
142	0.030
185	0.020
योग . .	0.580

अनुसूची

### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया  
 (ख) तहसील—बांधवगढ़  
 (ग) ग्राम—धनवार, पटवारी हल्का क्र. 29  
 (घ) लंगभग क्षेत्रफल—0.840 हेक्टर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)
449/4/ਕ	0.030
449/4/ਗ	0.030
514/1/ਖ	0.020
449/4/ਬ	0.030
449/4/ਖ	0.030
270/1/ਖ	0.020
517/1/ਜ	0.060
273/2	0.060
282/2	0.040
302	0.040

(1)	(2)
206/1/क/1	0.070
182	0.030
190/1/क	0.070
188	0.100
189	0.050
283	0.090
200/2	0.070
योग . .	0.840

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया  
 (ख) तहसील—बांधवगढ़  
 (ग) ग्राम—नरवार, पटवारी हल्का क्र. 35  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.409 हेक्टर.

## खसरा नम्बर

(1)	(2)
736/1	1.694
736/2	2.000
736/3	1.694
736/4	1.694
733	0.810
732/3	0.759
732/2	0.758
योग . .	9.409

अनुसूची

### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया  
 (ख) तहसील—बांधवगढ़  
 (ग) ग्राम—सिंधवाड़ा, पटवारी हल्का क्र. 02  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.810 हेक्टर.

(1)	(2)
261	0.090
266	0.080
292	0.080
291/1	0.090
291/2	0.090
291/3	0.100
288/1	0.080
344/3	0.900
348	0.090
349	0.100
435	0.110
	योग
	1.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—धनवाही व्यपर्वत्तन योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध एवं नहर निर्माण हेतु।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अभिषेक सिंह, कलकट्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 मई 2017

क्र. 885-प्रका.-भू-अर्जन-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—मैला
- (घ) क्षेत्रफल लगभग —0.062 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
143/11	0.050
108	0.012
योग . .	<u>0.062</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के सिरमौर वितरक की मैला माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 887-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—उमरिया चौबेन-71

(घ) क्षेत्रफल —1.256 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अर्जित रकम  
(हे. में)

(1)	(2)
<b>अ—निजी पट्टे की भूमि</b>	
115	0.129
114	0.073
113	0.030
112	0.003
111	0.037
123	0.036
110	0.011
124	0.106
125	0.018
92	0.033
191	0.041
192	0.065
187	0.021
188	0.090
179	0.023
178	0.022
177	0.048
132	0.022
171	0.093
258	0.144
265	0.051
266	0.062
267	0.030
273	0.030
275	0.024
274	0.014
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.256</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ +ब का योग . .	<u>1.256</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 889-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) नगर/ग्राम—कौदा-653
- (घ) क्षेत्रफल —0.595 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

132	0.189
121	0.219
114	0.096
115	0.028
116	0.063

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.595

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ +ब का योग . . 0.595

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 891-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—झूसी-363
- (घ) क्षेत्रफल —0.294 हेक्टेयर.

#### खसरा क्र.

#### अर्जित रकम

(हे. में)

#### (1)

#### (2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

40	0.003
42	0.064
46	0.001
47	0.037
48	0.019
49	0.012
17	0.002
16	0.033
12	0.009
13	0.096
14	0.018

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.294

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ +ब का योग . . 0.294

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 893-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—भटिगां—770
- (घ) क्षेत्रफल —0.513 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)

(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

386	0.079
350	0.007
349	0.076
348	0.008
347	0.074
341	0.073
342	0.049
343	0.053
339	0.012
170	0.076
168	0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.513

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ +ब का योग . .	0.513

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 895-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—तिवरिगां—433
- (घ) क्षेत्रफल —0.057 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)

(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

214	0.039
202	0.018
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.057

#### ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ +ब का योग . .	0.057

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 897-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—बहेरा-710

(घ) क्षेत्रफल —0.483 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रक्कम  
(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

32	0.100
28	0.053
27	0.021
25	0.082
24	0.002
23	0.028
110	0.039
18	0.007
112	0.028
114	0.021
115	0.026
119	0.002
120	0.024
123	0.050

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.483

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ +ब का योग . .	0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 18 मई 2017

पत्र क्र. 935-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योथर

(ग) ग्राम—शुभनाथ

(घ) क्षेत्रफल —0.239 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रक्कम	निजी भूमि	शासकीय भूमि
222	0.007		
223	0.232		
योग . .	0.239		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
यो. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 मई 2017

प्र. क्र. 8288-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्की

(ग) ग्राम—टोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.433 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित  
रक्कम (हेक्टर में)

(1)

(2)

114

0.522

120/1

0.238

(1)	(2)
120/7	0.239
131/2/2	0.33
120/2	0.238
120/4	0.246
120/8	0.239
122	0.303
123/3	0.403
131/2/3	0.329
117/2	0.100
117/5	0.415
120/3	0.238
120/5	0.247
120/6	0.239
123/1	0.707
117/3	0.100
131/2/1	0.329
123/2	0.707
117/1	0.162
117/4	0.200
124/1/1	0.322
124/1/3	0.322
124/1/4	0.323
124/1/2	0.644
124/3	0.429
124/2	0.949
126/2	1.631
124/4	0.470
124/5	0.240
126/1	1.360
133	0.042
135	0.012
129	3.658
132	0.283
131/1	0.987
10/1	0.110
10/2	0.120
योग . .	18.433

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सिवनी, दिनांक 11 मई 2017

क्र. 1083-जि.भू.आ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—केवलारी
- (ग) ग्राम—मोहगांव, प.ह.नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.35 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
16	0.05
19/1	0.45
150	0.05
258	0.33
18	0.05
149	0.27
151/1	0.15
योग . .	1.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है— जलाशय निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनराजू एस. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.”

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्रधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) हातोद, जिला-इन्दौर (म.प्र)

हातोद, दिनांक 01 जून 2017

क्रमांक-913-भू-अर्जन-2017

### प्ररूप—“ख”

**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

**क्रमांक- 12/22-82/1/-17** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईष नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हस्तांक क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	274 106 108 105/1 105/2	0.055 0.065 0.108  0.003

अधिकारी  
जिला-इन्दौर

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	109/3	0.029
			109/2	0.039
			109/1	0.030
			119/2	0.020
			119/1	0.049
			130/1/1	0.032
			131/2/2	0.031
			131/3	0.076
			131/1/1	0.073
			124/2/min-2	0.004
			125/2	0.072
			125/1	0.067
			126/1	0.090
			126/2	0.052
			164/1	0.060
			165/1	0.001
			167/1	0.085
			164/2	0.007
			165/2	0.068
			कुल योग	

क्रमांक-918-भू-अर्जन-2017

## प्ररूप—“ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— 19/ ३८-४२/८८-१८** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौँयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घटिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला— धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हातोद, प.ह.न. — 21	44/1	0.039 ✓
			337/2/1	0.018 —
			43	0.192 —
			38/2	0.098 —
			42/min-1	0.063 —

अधिकारी  
भल्ला-इन्दौर

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद प.ह.न. - 21	हातोद, प.ह.न. - 21	42/min-2	0.058 ✓
			41	0.080 -
			40	0.021 -
			38/1	0.075 -
			33	0.058 -
			35	0.058 -
			18/2/4	0.073 -
			18/2/1	0.066 -
			18/1/2	0.035 -
			18/2/2	0.073 -
			18/2/3	0.068 -
			18/3/2	0.022 -
			18/3/1/3/1	0.056 -
			18/3/1/4	0.192 -
			19/9/1	0.018 -
			19/9/2	0.018 -
			19/4	0.110 -
			19/6	0.072 -
			19/7	0.120 -
			22	0.034 -
			176	0.080 -
			21	0.017 -
			82/1	0.341 -
			83/4	0.032 -
			173/1	0.171 -
			174/1	0.104 -
	141	0.046 -		
	142	0.011 -		
	156	0.060 -		
	161/1	0.066 -		
	161/2	0.055 -		
	160	0.071 -		
	260/1	0.171 -		

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हातोद, प.ह.न. – 21	262	0.029 -
			332/3	0.120 -
			333/1/1	0.087 -
			334/2/2/2 MIN-2	0.017 -
			333/1/2	0.102 -
			334/2/2/1/2	0.003 -
			333/2/2	0.152 -
			333/2/1	0.002 -
			334/2/1/5	0.125 -
			331/1/1	0.102 -
			311	0.016 -
			310/1/2	0.144 -
			310/1/1	0.225 -
		कुल योग	51	4.066

क्रमांक-923/भू-अर्जन/2017

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक 15/35-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौंयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बसान्द्रा, प.ह.न. — 12,	581/1	0.124
			536/1	0.042
			581/2/1	0.009
			578/3	0.002
			578/4	0.015
इन्दौर	हातोद	बसान्द्रा, प.ह.न. — 12,	579	0.022
			580/2	0.107
			580/1	0.151
			564/2/2	0.039
			564/1/1	0.110
			563/4	0.061
			538	0.053
			535/1/3	0.005
			535/1/1	0.032
			537	0.109
			536/2	0.003
			535/1/2	0.084
			535/2	0.123
			518	0.126
			519/4	0.137
			520	0.213
			515	0.154
			514	
			150/2	0.024
			147	0.100
			148/1	0.106
			143/3	0.090
			143/2	0.022
			141	0.058
			139	0.200
			114/3	0.066
			114/4	0.040
			114/1	0.116
			114/2	0.085
			113	0.091
			111/4	0.014
			112	0.085
			110/1	0.313
			110/5/2	0.072
			110/5/1	0.140
कुल योग			40	3.343

क्रमांक-928-भू-अर्जन-2017

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— 13/85-82/16-17** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला— धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरियापाल, प.ह.न. — 10	786/2	0.110
			785/1	0.091
			784	0.206
			781/4	0.034
			781/3	0.037
			780/2	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरियापाल, प.ह.न. - 10	780/1	0.031
			739	0.106
			738/1/2	0.076
			738/1/1	0.084
			737/2	0.068
			736/1	0.110
			735/1	0.091
			706/1	0.114
			706/2	0.043
			688/2	0.134
			689/4	0.040
			689/2	0.040
			689/3	0.034
			689/1	0.039
			690	0.019
			624/3/2/1/1	0.090
			624/2	0.123
			624/1/2 KHA	0.186
			623/3	0.062
			623/2/2	0.064
			621	0.147
			622	
			620/1/1	0.030
			620/1/2	0.046
			620/2	0.053
			481/2	0.052
			481/1	0.058
			485/1/3/2	0.032
			482	0.011
			483	0.085
			484	0.078
			485/1/4/1	0.019
			485/1/2/2	0.062
			485/1/1	0.158
			496/1/2/1	0.108
कुल योग			41	3.014

क्रमांक-933-भू-अर्जन-2017

## प्रस्तुप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— 14/25-82/16-17** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गंगीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भल्ला, तहसील—घट्टिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला—धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरिया बोडिया, प.ह.न.—19	79	0.130
			76/5	0.123
			76/2	0.059
			76/4	0.002
			76/1	0.088
			74/1	0.084
			149/2	0.005
			149/3	0.034

अधिकारी  
जिला-इन्दौर

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरिया बोडिया, प.ह.न.—19	74/2 MIN-2	0.107
			74/2 MIN-1	0.006
			72/1	0.043
			69/1	0.012
			67/3	0.162
			67/2	0.026
			88/1	0.152
			59/3	0.038
			59/4	0.064
			58/343	0.005
			58	0.256
			56	0.011
			54/1/2	0.110
			54/2	0.043
			53/2/2	0.097
			53/2/1	0.057
			95	0.040
			48/2	0.019
			38/1	0.043
			100/1	0.035
			101/1	0.302
			226	0.147
			163/2	0.098
			162/7	0.029
			162/5	0.043
			162/2	0.005
			162/1	0.112
			157/2/1	0.002

प्रशिकारी

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरिया बोडिया, प.ह.न.—19	163/1	0.034
			164/2	0.216
			166/1	0.064
			165/3	0.164
			150/2	0.094
			148/2	0.154
			148/1	0.060
			140/3	0.001
			140/4	0.291
			141/1	0.050
कुल योग			46	3.717

क्रमांक-943-भू-अर्जन-2017

### प्ररूप— “ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक— 18/2-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला— धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर  1 अधिकारी जिला-इन्दौर	हातोद	रोजड़ी, प.ह.न.-22	188/2/1	0.051
			188/1/1	0.089
			187/3	0.091
			187/2	0.056
			187/1	0.035
			182/2	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	रोजड़ी, प.ह.न.-22	189/1/1	0.134
			170	0.071
			18/2	0.030
			17/1/2	0.043
			17/1/1	0.067
			14/1	0.022
			12/1/2	0.081
			12/1/1/2	0.091
			12/1/1/1	0.098
			11/1/1/2/1	0.024
			11/1/1/2/2	0.127
			11/3	0.006
			11/2	0.133
			26	0.025
कुल योग			21	1.318

क्रमांक-938-भू-अर्जन-2017

## प्ररूप—“ख”

### [ नियम— 5 का उपनियम (2) ]

**क्रमांक— 16/अ—४/८५-१७** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भल्ला, तहसील—घट्टिया, जिला—उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला—धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकाम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नाहरखेड़ा, प.ह.न.—11	252	0.125
			247	0.050
			246	0.043
			248/2	0.048
			245/2	0.046
			245/1	0.010

प्र  
अधिकारी  
द. जिला-इन्दौर

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नाहरखेड़ा, प.ह.न.—11	233/1	0.138
			72/2/2	0.039
			72/2/1	0.133
			72/1	0.109
			73	0.086
			65/2	0.016
			65/1	0.273
			64	0.071
			48/1	0.045
			48/3	0.014
			48/2	0.028
			45	0.120
			44/2	0.085
			44/1	0.084
			42	0.111
			41/2/2	0.114
			41/1/3	0.073
			41/1/2	0.064
			41/1/1	0.066
			39	0.020
कुल योग		26	2.011	

नरेन्द्रनाथ पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी।

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सांवर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

सांवर, दिनांक 05 जून 2017

क्रमांक-1911-भू-अर्जन-2017

### प्ररूप—“ख”

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 34/अ-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोंगी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	बलधारा, प.ह.न. - 19	230	0.013
			14/2	0.001
			14/1/1	0.008
			229	0.105
			228/1	0.066

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बलधारा, प.ह.न. — 19	228/2	0.008
			222	0.020
			133/2	0.132
			135/2	0.087
			119/1/2	0.021
			119/1/1	0.023
			133/1	0.012
			134	0.163
			122	0.054
			122/421	
			97	0.161
			20	0.132
			119/2	0.043
			118/2	0.035
			118/1	0.120
			117/3	0.001
			116	0.118
			19	0.055
			18	0.067
			17/3.	0.050
			16/3.	0.102
			14/1/2.	0.060
			14/1/6.	0.038
			14/1/3.	0.045
			14/1/4.	0.060
कुल योग		30	1.800	

क्रमांक-1916-भू-अर्जन-2017

## प्ररूप—“ख”

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक- 33/37-82/16-17** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह

आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- सज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

क्रोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पिपलई, प.ह.न.- 02	237	0.216
			236/4	0.058
			227/3	0.028
			227/2	0.038
			227/1	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	पिपलई, प.ह.न.- 02	226/2	0.014
			226/1	0.077
			223	0.091
			224/3	0.027
			224/2	0.031
			224/1	0.037
			214/1/2	0.070
			214/1/1	0.069
			211/2	0.078
			212	0.014
कुल योग			15	0.888

क्रमांक-1921-भू-अर्जन-2017

### प्ररूप— “ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 38।अ-82।16-।३ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोषी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुकिमागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बड़ोदिया पंथ, प.ह.न. - 01	392/2	0.051
			393/4	0.025
			393/3	0.066
			386/1	0.093
			370/2/1	0.018
इन्दौर	सांवेर	बड़ोदिया पंथ, प.ह.न. - 01	370/2/2	0.046
			378	0.022
			377/6	0.039
			377/7	0.079
			377/4	0.019
			377/2	0.011
			362/2	0.080
			361	0.027
कुल योग			13	0.576

क्रमांक-1926-भू-अर्जन-2017

## प्ररुप— “ख”

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक- 37/अ० 82 | 16-17** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (ग्र.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी ठल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	खामोद आंजना, प.ह.न.- 02	292/2	0.138
			293/2	0.053
			293/1	0.051
			295	0.149
			296	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
इन्दौर	सांवर	खामोद आंजना, प.ह.न.- 02	297	0.038		
			251/2	0.190		
			251/3	0.096		
			251/1/1	0.074		
			248/2/2	0.051		
			248/2/1	0.072		
			251/1/2	0.057		
			248/1/Min-3	0.038		
			248/1/Min-2	0.019		
			248/1/Min-1	0.066		
कुल योग			242/8	0.016		
कुल योग			16	1.116		

क्रमांक-1931-भू-अर्जन-2017

### प्ररूप—“ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 3913-82116-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोन्ही तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कछालिया, प.ह.न.- 24	272	0.056
			271	0.109
			270	0.094
			269/2	0.045
			266	0.029
			265	0.019
			212	0.011
			211	0.133
			207	0.037
			206/2	0.030
			206/1	0.056
कुल योग			11	0.619

क्रमांक-1936-भू-अर्जन-2017

## प्ररूप—“ख”

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक- १०/३५-८२/१६-१२** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पार्श्व नहर की ब्रांच मार्झनर पार्श्व नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पार्श्वपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पार्श्वपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पार्श्वपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पार्श्वपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पार्श्वपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02	452 344/1 445/2 445/1 446/2	0.010 0.019 0.050 0.027 0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02	446/1	0.051
			385/2	0.039
			385/1	0.003
			379/1	0.022
			384	0.017
			383	0.008
			382/2	0.038
			382/1	0.045
			339/1	0.051
			393/2	0.042
			393/1	0.038
			394	0.058
			396	0.106
			398	0.022
			400/2	0.011
			401/2/1	0.026
			401/2/2	0.039
			401/1	0.040
			403	0.046
			405/1	0.058
			406	0.013
			408	0.074
			313/3/2/1	0.008
			313/3/2/2	0.008
			313/3/1/1	0.043
			313/3/1/5	0.034
			313/3/1/6	0.002
			313/3/1/3	0.018

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	हासाखेड़ी, प.ह.न.— 02	313/3/1/4	0.016
			312	0.025
			313/2/1	0.066
			337/1/1	0.092
			337/2	0.006
			338/3	0.053
			75/1/2/1	0.001
			74	0.066
			340/3	0.067
			340/2	0.019
कुल योग			43	1.490

क्रमांक-1941-भू-अर्जन-2017

### प्ररूप— “ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 36/35-82/16-17

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोंयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविमागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	खलखला, प.ह.न.— 20	480/1	0.020
			495	0.030
			496/1	0.090
			499	0.016
			497/3	0.035
इन्दौर	सांवेर	खलखला, प.ह.न.— 20	497/1	0.066
			497/2	
			498	0.062
			474/1	0.080
			469/1	0.142
			476	0.019
			कुल योग	11 0.560

क्रमांक-1946-भू-अर्जन-2017

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— ३५/३८-८२/१६-१७** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम— तालोद, तहसील— उज्जैन, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला— धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला— इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	घटगारा, प.ह.न.— 02	151	0.014
			129/1	0.018
			147/3	0.086
			150/2	0.074
			147/2	0.063

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावर	घटगारा, प.ह.न.- 02	147/1	0.045
			146/2	0.007
			146/3	0.090
			138/3	0.178
			134/3	0.016
			133/2	0.055
			133/1	0.001
			128/2/2	0.001
			130/4	0.117
			130/2	0.097
			128/2/1	0.055
			128/1	0.073
कुल योग			17	0.990

रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.

### राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ), मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 2 जून 2017

पत्र क्रमांक-प्रवा.2017-प्र. क्र. 14330-2016-17

(आंतर्गत थारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013)चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि निचे दी गई अनुसूची में भोहनपुरा बुहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ की गाम लगदरिया एवं खीमाखेड़ी के लिए इब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि विसका कृषकावार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित हैं।सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।अतः अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013)की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
	ग्राम लगदरिया					
1	गोर्वधन पिता शिवनारायण जाति दांगी	3/1/3 /	2.000	0.000	2.000	2.000
	योग	1	2.000 /	0.000	2.000 /	2.000 /

2	रमेशचन्द्र पिता शिवनारायण	3/1/4 /	2.000	0.000	2.000	2.000
	योग	1	2.000	0.000	2.000	2.000
3	चैनसिंह, देवसिंह पिता हजारी	3/3/1 /	0.506	0.506	0	0.506
		8/5/1 /	1.265	0.181	0	0.181
		3/3/2 /	0.253	0.253	0	0.253
		3/3/3 /	0.253	0.253	0	0.253
		8/2 /	1.770	0.354	0	0.354
		7/2 /	0.822	0.800	0	0.800
		7/6 /	1.999	1.999	0	1.999
		योग	7	6.868	4.346	0
4	प्रेमसिंह पिता चंद्रलाल	17/2/1 /	0.348	0.348	0	0.348
		17/1/1/2	0.087	0.087	0	0.087
		17/1/1/3 /	0.088	0.088	0	0.088
	योग	3	0.523	0.523	0	0.523
5	राधेश्याम, सीताराम, गोवर्धन पिता हजारीलाल	8/5/2 /	0.632	0.097	0	0.097
	योग	1	0.632	0.097	0	0.097
6	देवनारायण, अमरसिंह पिता दोलतराम	8/5/3 /	0.632	0.090	0	0.090
	योग	1	0.632	0.090	0	0.090
7	गीताबाई बेवा कैलाशनारायण, केदारनाथ, पप्पूलाल पिता कैलाशनारायण	10/2 /	0.379	0	0.379	0.379
		7/4 /	0.759	0.759	0	0.759
	योग	2	1.138	0.759	0.379	1.138
8	विजयसिंह पिता किशोर	10/1/2 /	2.000	2.000	0	2.000
	योग	1	2.000	2.000	0	2.000
9	कालू पिता नाथू	17/1/1/1	0.175	0	0.175	0.175
	योग	1	0.175	0	0.175	0.175
10	बापूलाल पिता हजारी	17/1/3 /	0.710	0	0.710	0.710
	योग	1	0.710	0	0.710	0.710
11	सालगराम पिता जालम	7/1 /	1.025	0	1.025	1.025
	योग	1	1.025	0	1.025	1.025
12	किशन पिता सालगराम, धीसा पिता नारान	7/5 /	2.276	0.271	0	0.271
	योग	1	2.276	0.271	0	0.271

13	मोती पिता धन्ना	7/7 /	1.151	1.151	0	1.151 /
	योग	1	1.151	1.151	0	1.151
14	प्रभूलाल पिता अमरा	7/8 /	4.424	0.303	0	0.303 /
	योग	1	4.424	0.303	0	0.303
15	विजयसिंह पिता शिवनारायण	3/8 /	1.189	0.101	0	0.101 /
	योग	1	1.189	0.101	0	0.101
16	ग्यारसीबाई पिता मानसिंह	5 /	0.708	0	0.708	0.708 /

	योग	1	0.708	0	0.708	0.708
17	मोतीलाल पिता गोपीलाल	6 /	0.948	0	0.948	0.948 /
	योग	1	0.948	0	0.948	0.948
18	अमरलाल पिता प्रभूलाल	17/1/2 /	2.000	0.050	0	0.050 /
	योग	1	2.000	0.050	0	0.050
19	हीरालाल, मांगीबाई पिता गिरधारीलाल	8/4 /	1.315	0	0.526	0.526 /
		7/3 /	1.593	0.030	0	0.030 /
	योग	2	2.908	0.030	0.526	0.556
	कुल योग	29	33.307	9.721	8.471	18.192

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तस्वीर कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.